

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2023 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2023

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

स्व. श्री वीरभद्र सिंह निवासी धौरपुर जिला अम्बिकापुर की संदेहास्पद मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच
[गृह]

1. (*क्र. 1773) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सच है कि दिनांक 11.08.2022 को दुर्ग-अम्बिकापुर ट्रेन से यात्रा करते समय श्री वीरभद्र सिंह, निवासी धौरपुर, जिला-अम्बिकापुर की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई थी, यदि हां तो मृत्यु का कारण क्या है? (ख) क्या परिवारजनों ने मृत्यु की जांच हेतु कोई उच्च स्तरीय जांच की मांग की है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) जांच कब तक पूर्ण की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) स्टेशन प्रबंधक, करगीरोड कोटा द्वारा सलका रोड एवं बेलगहना के बीच रेल्वे ट्रैक किनारे एक 40 वर्षीय युवक का शव देखे जाने की सूचना थाना-कोटा को दी गई। थाना कोटा में मर्ग क्रमांक 130/2022 कायम कर जांच में लिया गया। जांच में मृतक की पहचान वीरभद्र सिंह उर्फ सचिन, निवासी-धौरपुर, जिला-अम्बिकापुर के रूप में हुई। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण सिर व चेहरे में विविध गंभीर चोटें आने व अत्यधिक रक्त स्राव होने से लेख किया गया है।(ख) परिजनों के द्वारा मृत्यु में संदेह व्यक्त करते हुये सूक्ष्म जांच की मांग की गई है। इस परिपेक्ष्य में मृतक के मृत्यु की जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), जिला-बिलासपुर को आदेशित किया गया है।(ग) मर्ग की जांच जारी है, जो एक सतत प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल की घोषणा एवं स्वीकृत राशि
[पर्यटन]

2. (*क्र. 1735) डॉ. प्रीतम राम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित किया गया है? क्या किसी स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित करने हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31 जनवरी 2023 तक कौन-कौन से पर्यटन स्थल हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है। लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित करने का कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेण्डर प्राप्त करने की शिकायत पर कृत कार्यवाही
[लोक निर्माण]

3. (*क्र. 1769) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी, 2023 के मध्य लोक निर्माण विभाग में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से टेण्डर प्राप्त

करने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कितने टेण्डर में ? कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, बतावें? **(ख)** बिलासपुर जिले में बैमा में केन्द्रीय जेल बिल्डिंग निर्माण (पानी सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग) का ठेका किस-किस कंपनी को दिया गया है? क्या टेण्डर प्राप्तकर्ता फर्म के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायत मिली है ? यदि हां तो क्या शिकायत थी, और शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** क्या कंडिका **(ख)** के टेण्डर में फर्जी शासकीय दस्तावेज संलग्न किया गया था एवं क्या उसे जारी कर्ता विभाग/अधिकारी ने फर्जी होने की सूचना दी है? यदि हां तो कब व उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या पूर्व में भी इस फर्म के खिलाफ कोई शिकायत या कार्यवाही के आदेश हुए हैं? यदि हां तो कब और फर्म के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई थी ? **(घ)** क्या कंडिका **(क)** की अवधि में कंडिका **(ख)** से संबंधित फर्म द्वारा विभाग में और कौन-कौन से काम किये गये हैं, जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जी हां एक टेंडर में एक शिकायत प्राप्त हुई। **(ख)** मां भगवती कंस्ट्रक्शन की निविदा स्वीकृत हुई है। जी हां, प्रमुख अभियंता कार्यालय को समान प्रकृति के कार्य का प्रमाण पत्र फर्जी होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई। निविदा में प्रस्तुत समान प्रकृति कार्य की प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टी संभागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर से कराने पर तथा प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया गया तथा अमानत राशि राजसात कर ली गई। ठेकेदार के पंजीयन को आगामी पांच वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया है। **(ग)** जी हां, टेंडर में प्रस्तुत दस्तावेज का पुष्टीकरण कराने के उत्तर में संभागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर ने दिनांक 16.02.2023 को उक्त निविदा में ठेकेदार द्वारा संलग्न शासकीय दस्तावेज असत्य पाये जाने की सूचना, प्रमुख अभियंता कार्यालय को दी। कंडिका 'ख' में दिये गये उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है। पूर्व में उक्त फर्म के खिलाफ कोई शिकायत या कार्यवाही के आदेश नहीं हुए है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

संयंत्र में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन

[श्रम]

4. (*क्र. 537) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर चाम्पा जिले में कहां-कहां पर, किस-किस संयंत्र में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन कब से, किस एजेंसी द्वारा कितने डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के साथ किया जा रहा है ? दिनांक 14/02/2023 कि स्थिति में जानकारी बताएं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जांजगीर चाम्पा जिले में दिनांक 14.02.2023 की स्थिति में कुल 12 संयंत्रों में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। संयंत्रों में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन, प्रारंभ वर्ष, नियुक्त डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तथा संचालनकर्ता एजेंसी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

बिलासपुर नगर निगम द्वारा संचालित अमृत मिशन योजना में प्रदर्शित नल कनेक्शन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 1405) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर नगर निगम द्वारा संचालित अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कितने नल कनेक्शन दिए गए हैं एवं कितने लोगों को इस योजना में नियमित पानी दिया जा रहा है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बिलासपुर नगर निगम द्वारा संचालित अमृत मिशन योजना के अंतर्गत दिनांक 15.03.2023 तक कुल 33829 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं एवं 32235 नल कनेक्शनों के द्वारा लोगों को नियमित पानी दिया जा रहा है।

14 वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि वापिस लेकर अन्य पद में स्वीकृत देने हेतु
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 1709) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 314, दिनांक 21/03/2022 के उत्तर में यह बताया गया था कि 14वें वित्त आयोग एवं अधोसंरचना मद में वर्ष 2020-21 में तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 अंतर्गत राठौर चौक से तेलघानी नाका चौक तक नाला निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 38.77 लाख तथा तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 अंतर्गत सिंधी स्कूल के पास से राठौर चौक तक नाला निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 46.59 लाख स्वीकृत किये गये थे ? क्या उत्तर में यह भी बताया गया था कि जोन क्रमांक 3 अंतर्गत गुरू गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 अंतर्गत अनुव्रत काम्पलेक्स, शंकर नगर से जगन्नाथ नगर सुलभ शौचालय के मध्य नाला निर्माण तथा सुलभ शौचालय से गोरखा कालोनी तक कव्हर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण हेतु क्रमशः राशि रू. 97.00 लाख तथा राशि रू. 134.01 लाख स्वीकृत किये गये थे तथा इसी जोन के शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 अंतर्गत गोरखा कालोनी से दुर्गा मैदान तक कव्हर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण हेतु राशि रू. 146.49 लाख स्वीकृत किये गये थे ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई, अद्यतन स्थिति बतावें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जी हाँ। उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

छ0ग0 प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 1549) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छ0ग0 प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, में समर्थन मूल्य में कुल कितनी मात्रा में धान उपार्जित की गई ? उक्त वर्ष में उपार्जित धान से कस्टम मिलिंग उपरांत कितनी मात्रा में चावल एफ.सी.आई. एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया? कितनी मात्रा में चावल जमा करना शेष है? (ख) वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कब से कब तक किया गया? उपार्जन किये गये समस्त धान की कितनी मात्रा में धान कस्टम मिलिंग हेतु मिलरों को जारी कर दी गई है एवं मिलरों द्वारा कितनी मात्रा में चावल कस्टम मिलिंग उपरांत जमा कर दी गई है? क्या उक्त वर्ष में मीलरों द्वारा समयावधि में चावल जमा नहीं करने की शिकायत/जानकारी मिली है? यदि हां तो कितने मिलरों पर एवं क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या समर्थन मूल्य में धान खरीदी उपरांत किसानों को अतिरिक्त राशि उक्त वर्षों में दी गई है? यदि हां तो किस आधार पर, कितनी राशि, किसानों को दी गई? (घ) कस्टम मिलिंग हेतु भारत सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा वर्तमान में कितनी राशि मिलरों को प्रति क्विंटल जी जा रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) छ0ग0 प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 2021-22 में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग उपरांत एफसीआई एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा चावल एवं जमा हेतु शेष चावल की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ वर्ष	धान खरीदी की मात्रा (लाख मेट्रिक टन मे)	एफसीआई में जमा चावल की मात्रा (लाख मेट्रिक टन मे)	नागरिक आपूर्ति निगम में जमा चावल (लाख मेट्रिक टन मे)	एफसीआई में जमा हेतु शेष चावल	नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हेतु शेष चावल (मेट्रिक टन मे)
2019-20	83.94	26.38	28.60	0	0
2020-21	92.02	22.84	31.22	0	0
2021-22	97.99	32.44	32.93	0	7470
2022-23 (दिनांक 11.03.2023 की स्थिति में)	107.53	23.15	16.63	चावल जमा प्रक्रियाधीन	

(ख) वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन 01 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक किया गया। उपार्जित धान में से दिनांक 11.03.2023 की स्थिति में 104.85 लाख मेट्रिक टन कस्टम मिलिंग हेतु मिलरों को प्रदाय किया गया है जिसके विरुद्ध मिलरों द्वारा 39.78 लाख मेट्रिक टन चावल जमा किया गया है तथा शेष चावल जमा करने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) समर्थन मूल्य में धान खरीदी उपरांत किसानों को अतिरिक्त राशि प्रश्नांकित वर्षों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदाय की गई है। जिसकी वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदाय की गई (राशि करोड़ में)
2019-20	5596.39
2020-21	5521.44
2021-22	5231.03
2022-23	निरंक

(घ) कस्टम मिलिंग हेतु भारत सरकार के द्वारा अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 10 रुपये प्रति क्विंटल एवं उसना कस्टम मिलिंग हेतु 20 रुपये प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग दर निर्धारित है।

राज्य भंडार निगम अंतर्गत निर्मित गोदाम [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 1757) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से मार्च, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार निगम द्वारा कहां-कहां पर, कितनी-कितनी क्षमता के गोदाम, कितनी-कितनी लागत से बनाये गये हैं? वर्षवार/जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कंडिका 'क' के निर्मित गोदामों के निर्माण हेतु निर्धारित योग्यता/मापदंड को पूरा नहीं करने के बाद भी क्या अपात्रों को कार्य आर्बटित करने के संबंध में सीएजी कार्यालय के उपमहालेखाकार द्वारा रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को भेजी गयी थी? यदि हां तो अपात्रों को किस आधार पर एवं किन-किन कंपनियों/ठेकेदारों को किन-किन स्थानों हेतु कितनी-कितनी राशि के कार्य आर्बटित किये गये? (ग) प्रश्नांश 'ख' के आर्बटित कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? अपात्रों को कार्य आर्बटित करने हेतु दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांक "क" की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं। महालेखाकार की ऑडिट टीम द्वारा ऑडिट ओब्जर्वेशन बाराद्वार सक्ती गुप अनुबंधित राशि 1275.027 लाख के गोदाम निर्माण के संबंध में जारी किया गया था। उक्त ऑडिट आब्जर्वेशन के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी उप महालेखाकार को पत्र क्रमांक 2387 दिनांक 02.03.2023 प्रेषित किया गया है। (ग) सक्ती (टेमर) - 7200 मे. टन कार्य माह जनवरी 2023 में पूर्ण किया गया है। बाराद्वार (सारागांव) 15000 मे. टन में से 4 गोदाम पूर्ण हो गया है। शेष 5 गोदाम अप्रैल 2023 तक पूर्ण होना संभावित है। प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

रामवनगमन पथ विकास की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति [पर्यटन]

9. (*क्र. 419) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या दिनांक 7.01.2023 की स्थिति में राम वन गमन पथ विकास के लिये शासन ने कोई योजना स्वीकृत की है ? यदि हां तो कौन से वर्ष में स्वीकृत की और उसके लिये कितनी राशि कौन से वित्तीय वर्ष के बजट में स्वीकृत है? (ख) 1 दिसंबर 2018 से 7.01.2023 तक राम वन गमन पथ में क्या क्या कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हुये हैं और कौन-कौन सी कार्य एजेंसी द्वारा कार्य संपादित कराये जा रहे हैं? इन कार्यों के पूर्णता की अवधि क्या

है? (ग) 7.01.2023 की स्थिति में पूरे राम वन गमन पथ की विकास योजना कौन सी निजी एजेंसी/विभाग ने तैयार की है? यदि किसी निजी एजेंसी ने तैयार की है तो उसको कितना भुगतान, किस मद से किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हाँ। वर्ष 2020 में राम वन गमन पथ विकास हेतु योजना स्वीकृत की गई है। कार्ययोजना हेतु विभिन्न विभागवार बजट उपलब्धता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। (ख) प्रशांकित अवधि में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के कार्यों हेतु स्वीकृत तथा एजेंसी द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। कार्यों की पूर्णता की अवधि जून 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। (ग) राम वन गमन पर्यटन परिपथ की विकास योजना छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की अनुबंधित एजेंसी 1. टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली 2. वाफ्कोस लिमिटेड, गुरुग्राम (हरियाणा) (भारत सरकार की उपक्रम) से कान्सेप्ट प्लान तैयार कराया गया है। राम वनगमन पथ निर्माण एवं उन्नयन मद योजना क्र. 6360 से भुगतान किया गया है जिसका जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

प्रदेश में नवीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रजिस्ट्रेशन तथा भुगतान [संस्कृति]

10. (*क्र. 1640) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कृति विभाग के अंतर्गत किस- किस श्रेणी के कौन-कौन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया गया है ? उक्त कार्यक्रम किनके- किनके द्वारा संचालित किया जाता है तथा उनके एक कार्यक्रम का विभाग द्वारा कितना भुगतान किया जाता है? (ख) वर्ष 2019 से दिनांक 15.2.2023 तक किस-किस श्रेणी के कितने कितने कार्यक्रम, किस- किस स्थानों पर आयोजित कराये गये हैं तथा उनको कितना-कितना भुगतान प्रदान किया गया है, कितना भुगतान करना शेष है ? भुगतान शेष होने के क्या कारण है तथा कब तक पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) विगत 3 वर्षों में कितने नये सांस्कृतिक कार्यक्रम/भजन मंडली/पंथी पार्टी आदि का रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा उनके द्वारा वर्ष में कितने कितने कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने का प्रावधान है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब" अनुसार है।

जैजैपुर वि.स. क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट में शामिल सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति [लोक निर्माण]

11. (*क्र. 1753) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जैजैपुर वि.स. क्षेत्र में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में किन-किन सड़कों को बजट में शामिल किया गया है, बतायें ? (ख) प्रशांकित "क" अनुसार उपरोक्त सड़कों में किन-किन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है और किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, बतायें ? (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट में शामिल ऐसी सड़के जो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बजट से बाहर हो गयी है, उनकी जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

नगर पालिका परिषद कटघोरा, नवागांव की भूमि में बिना अनुमति भवन निर्माण पर कृत कार्यवाही [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

12. (*क्र. 762) श्री ननकी राम कंवर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह बात सही है कि नगर पालिका परिषद कटघोरा वार्ड क्रमांक 05 नवागांव कटघोरा में भूमि खसरा नं0 150, कुल रकबा 0.053 हे0 में बिना अनुमति भवन निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां तो किसके द्वारा कराया जा रहा है? (ख) क्या यह बात भी सही है कि नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा अवैध भवन निर्माणकर्ता को बिना अनुमति भवन निर्माण बंद करने हेतु कई बार नोटिस भी दिया गया और नोटिस में यह भी लिखा गया कि

अवैध निर्माण कार्य बंद नहीं करने एवं जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार तोड़ने की कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या यह बात सही है कि अवैध रूप से भवन निर्माण करने वाले के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटघोरा द्वारा संतुष्ट नहीं होने पर दिनांक 20.04.2022 को अंतिम नोटिस जारी कर 7 दिवस का समय दिया गया था और समय सीमा समाप्त होने के बाद भी तोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां तो अवैधानिक रूप से निर्मित अपूर्ण भवन निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही कब तक की जायेगी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हाँ। नगर पालिका परिषद कटघोरा वार्ड क्रमांक 05 नवागांव कटघोरा में सम्मिलित खाते की भूमि खसरा नं. 150 रकबा 0.053 हे. में बिना अनुमति भवन निर्माण श्री ब्रह्मप्रकाश कश्यप पिता स्व. श्री प्रीतराम के द्वारा किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा अवैध भवन निर्माण कर्ता को बिना अनुमति भवन निर्माण बंद करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने नोटिस दिया गया। (ग) जी हाँ। अवैध निर्माण कर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिन्हें पुनः 07 दिवस के समय के साथ निर्माण कार्य तोड़ने की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र दिया गया। श्री ब्रह्मप्रकाश द्वारा बिना अनुमति भवन निर्माण को नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.03.2023 को प्रेषित किया गया है।

जिला- बस्तर में नगरीय निकायों में पेयजल की व्यवस्था

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

13. (*क्र. 1785) श्री बघेल लखेश्वर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर नगरीय निकायों में कितने वार्डों में पेयजल की समस्या है ? नगरीय निकायों के नाम व वार्डों की संख्या बतावें? (ख) पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु किये जा रहे विभागीय प्रयासों के संबंध में बतावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी/मजदूरी/श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु

[श्रम]

14. (*क्र. 902) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में वर्ष 2021 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक कार्यरत कितने कर्मचारी/मजदूरी/श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हुई है? मृतक का नाम, पता सहित, उद्योगवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) मृतक के परिजन/आश्रित को मुआवजा एवं रोजगार दिये जाने का क्या प्रावधान है? प्रश्नांश "क" संदर्भ में कितनों को मुआवजा व रोजगार दिया गया है? उद्योगवार, लाभान्वित व्यक्तिवार पृथक-पृथक जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में वर्ष 2021 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक की अवधि में 33 श्रमिकों की कारखाने में घटित दुर्घटना में मृत्यु हुई है। मृतक श्रमिकों के नाम व पता सहित कारखानेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) मृतक श्रमिक के परिजन/आश्रित को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत पेंशन अथवा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कारखाने में कार्य के दौरान मृत्यु होने की स्थिति पर मृतक श्रमिक के आश्रित को रोजगार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नांश "क" के संदर्भ में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दिये गये मुआवजे एवं रोजगार की जानकारी उद्योगवार, लाभान्वित व्यक्तिवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

धान की कस्टम मिलिंग के संदर्भ में जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (*क्र. 1599) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 जनवरी 2019 से फरवरी 2023 तक कितनी धान की कस्टम मिलिंग की गयी है, जानकारी दें? मिलर्स को किस- किस मद में कितनी- कितनी राशि, कितने राइस मिलर्स को भुगतान की गयी है, यदि राशि बकाया है तो किस-किस मद की कितनी-कितनी, विवरण दें? **(ख)** कंडिका "क" के राशि में से केंद्र से कितनी राशि, कब-कब प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त राशि का उपयोग किया गया है, हां तो विवरण दें ? नहीं तो क्यों ? **(ग)** कंडिका "क" में कस्टम मिलिंग के लिए वर्ष 2022-23 के लिए राशि बढ़ने का कारण क्या था, कारण सहित उल्लेख करें? **(घ)** कंडिका "क" की धान खरीदी में प्रश्न अवधि में राज्य शासन को कितना- कितना घाटा हुआ, वर्षवार विस्तृत विवरण दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** 1 जनवरी, 2019 से फरवरी 2023 तक कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की मात्रा लाख मेट्रिक टन मे
2019-20	81.49
2020-21	80.35
2021-22	97.30
2022-23	104.85

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। मिलर्स को मदवार भुगतान एवं भुगतान हेतु बकाया राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -अ अनुसार** है। **(ख)** कंडिका "क" में उलेखित राशि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 10 रुपये प्रति क्विंटल एवं उसना कस्टम मिलिंग हेतु 20 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है जो प्रावधिक लागत पत्रक में निर्धारित किए गए सी.एम.आर दरों में सम्मिलित होती है। एफ़सीआई में जमा चावल की राशि की विमुक्ति एफ़सीआई द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। जिसमें मिलर्स को प्रदाय किए जाने वाले भुगतान की राशि सम्मिलित होती है। जी हाँ, एफ़सीआई से प्राप्त राशि का उपयोग मिलर्स द्वारा देयक प्रस्तुत करने उपरांत उन्हें भुगतान किया जाता है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (ग)** कंडिका "क" में कस्टम मिलिंग के लिए वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर अरवा कस्टम मिलिंग हेतु 10 रुपये प्रति क्विंटल राशि एवं उसना कस्टम मिलिंग हेतु 20 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कंडिका "क" प्रश्नावधि में अंकेक्षित लेखाओं की अंतिमीकरण की कार्यवाही भारत सरकार से प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित पी. डी. एस. दुकान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (*क्र. 1761) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने पी. डी. एस. दुकान संचालित हैं, कितने पी. डी. एस. दुकान शासकीय भवन में संचालित हैं व कितने पी. डी. एस. दुकान किराये के भवन में संचालित हैं, जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 100 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है। जिनमें से 68 दुकाने शासकीय भवन में तथा 32 दुकाने किराये के भवन में संचालित है।

रायगढ़ जिला अंतर्गत खरिपहाड़ कया-कमतारा जर्जर मार्ग निर्माण की जानकारी
[लोक निर्माण]

17. (*क्र. 1496) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या रायगढ़ अंतर्गत खरिपहाड़ कया-कमतारा मार्ग अत्यंत जर्जर है ? यदि हाँ तो उक्त सड़क मार्ग का निर्माण कब तक किया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी हाँ। मजबूतीकरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

सांस्कृतिक विभाग में भुगतान एवं पंजीयन
[संस्कृति]

18. (*क्र. 1524) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कृति विभाग के अंतर्गत किस-किस श्रेणी के, कितने-कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सूचिबद्ध किया गया है? उक्त कार्यक्रम किनके द्वारा संचालित किया जाता है तथा उनके एक कार्यक्रम का विभाग द्वारा कितना भुगतान किया जाता है? **(ख)** वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक किस किस श्रेणी के, कितने कितने कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं तथा उनको कितना कितना भुगताना प्रदान किया गया है कितना भुगतान करना शेष है? भुगतान शेष होने के क्या कारण है तथा कब तक पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा? विधानसभवार जानकारी देवें ? **(ग)** वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक कितने नये सांस्कृतिक कार्यक्रम/भजन मंडली/पंथी पार्टी आदि का पंजीयन किया गया है तथा उनके द्वारा वर्ष में कितने कितने कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने का प्रावधान है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब" अनुसार है।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं की जानकारी
[लोक निर्माण]

19. (*क्र. 1722) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के कितने पद स्वीकृत हैं ? **(ख)** स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? संभाग वार स्वीकृत पदस्थ एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करें । **(ग)** प्रश्नांश "क" में से कितने स्थानों पर वरिष्ठ पद पर कनिष्ठ पदाधिकारी प्रभार में कार्य कर रहे हैं ? इनमें से कितने स्थानों पर वरिष्ठ पदाधिकारी के रहते हुए भी कनिष्ठ पदाधिकारी को वरिष्ठ पद के प्रभार पर नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

जिला कबीरधाम के अंतर्गत आबंटित बजट राशि एवं व्यय
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

20. (*क्र. 1727) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कबीरधाम में वर्ष 2020-21 से फ़रवरी 2023 तक किस-किस योजना में बजट में किये गए प्रावधानों के अनुसार मदवार कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अंतर्गत प्रश्नांकित वर्षों में विज्ञापन, प्रचार-प्रसार पर कितना व्यय किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी नहीं।
[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

हिग्राहियों को सामग्री वितरण

[श्रम]

21. (*क्र. 1741) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) श्रम विभाग के अंतर्गत बिलासपुर संभाग में वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.2.2023 तक कितने हितग्राहियों को कितनी व कौन-कौन सी सामग्री का वितरण किया गया है? इस हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, कितने स्वीकृत व कितने निरस्त हुए व कितने लंबित हैं? वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में उक्त सामग्री हेतु किन-किन फर्मों को कितना-कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार सामग्री आपूर्ति में सामग्री प्रदायकर्ता फर्म व विभागीय अधिकारियों को लेकर क्या-क्या शिकायतें की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** बिलासपुर संभागान्तर्गत श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित सामग्रीमूलक योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक वितरित सामग्रियों, प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, निरस्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उक्त संचालित मंडलों द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किसी भी फर्म से कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। अतः भुगतान की जानकारी निरंक है। **(ख)** कंडिका-क' अनुसार सामग्री आपूर्ति में सामग्री प्रदायकर्ता फर्म व विभागीय अधिकारियों को लेकर शिकायत की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

जिला बिलासपुर में सिटी बस संचालन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

22. (*क्र. 1750) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर जिले में जनवरी, 2021 से दिनांक 15/02/2023 तक शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन हेतु कुल कितनी बसें कितनी राशि की किस फर्म से किस आधार पर क्रय की गयी है तथा इन्हें कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है ? **(ख)** क्या यह सही है कि बिलासपुर में सिटी बस का संचालन किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गों में सिटी बस का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है तथा इनके विरुद्ध क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई हैं ? इन फर्मों से कितनी राशि ली जानी थी कितनी ली गई है? कितनी शेष है? वर्षवार जानकारी देंवे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** बिलासपुर जिले में जनवरी 2021 से दिनांक 15.02.2023 तक बस क्रय नहीं की गई है। **(ख)** जी हां। बिलासपुर में सिटी बस का संचालन किया जा रहा है। सिटी बसों का संचालन बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से खुंटाघाट, तखतपुर, कोटा, सीपत, लूथरा, मल्हार, बिल्हा, बिरकोना, घुटकु, चकरभाठा मार्गों पर चयनित बस ऑपरेटर मेसर्स सन मेगा वेन्चर्स प्रा.लि. रायपुर के द्वारा किया जा रहा है। इनके विरुद्ध सिटी बसों के संचालन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी बिलासपुर एवं सन मेगा वेन्चर्स प्रा.लि. रायपुर के मध्य दिनांक 13.01.2023 को अनुबंध कारित किया गया है। सन मेगा वेन्चर्स प्रा.लि. रायपुर (बस ऑपरेटर) से वर्ष 2023 (दिनांक 14.01.2023 से दिनांक 15.02.2023 तक) राशि रू.37500.00 के विरुद्ध पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है। वर्तमान संचालनकर्ता से कोई राशि लिया जाना शेष नहीं है।

जल आवर्धन योजना एवं अमृत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

23. (*क्र. 1739) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल आवर्धन योजना एवं अमृत मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.2.2023 तक नगर पंचायत खरोरा एवं नगर पंचायत कुरा को कितनी राशि की स्वीकृति मिली तथा प्राप्त राशि से कौन- कौन से कार्य स्वीकृत किए गए एवं स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? **(ख)** पाइप लाइन विस्तार हेतु खोदे गए गड्ढे की मरम्मत कार्य हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। अमृत मिशन योजना की जानकारी निरंक है। **(ख)** जल आवर्धन योजना में प्रश्नांकित अवधि के अंतर्गत कोई पाइप लाइन का विस्तार कार्य नहीं किया गया है। अतः मरम्मत कार्य का प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में किये गये विविध कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]

24. (*क्र. 1777) श्री दलेश्वर साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ए डी बी/CG road and infrastructure development corporation ltd के माध्यम से सड़क निर्माण के साथ-साथ अन्य विविध कार्य किया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष 2020-2021से 15.02.2023 तक राजनांदगांव जिला के कौन-कौन सी सड़कों में कितने किलोमीटर में वृक्षारोपण, प्रोटेक्शन-वाल, टो-वाल, रिटर्निंग-वाल संबंधित कार्य किया गया है? उक्त कार्यों हेतु कितनी राशि का प्रावधान था और कितनी राशि व्यय की गयी है? रोपण में कितने पौधे जीवित व अजीवित हैं, पौधों के वार्षिक रखरखाव में कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्षवार, सड़कवार, एजेंसीवार, रिटर्निंग-वाल की मीटरवार, कार्यवार, राशिवार व्यय की जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

जिला -बलौदा बाजार-भाटापारा अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा की गई खरीदी
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

25. (*क्र. 1767) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित नगर पालिका एवं नगर पंचायत हेतु कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी -कितनी राशि की, किस-किस फर्म से खरीदी गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराए। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के खरीदी में अनियमितता /गुणवत्ता हीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई? हाँ तो दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** जी नहीं।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****प्रदेश में अवैध कालोनियां एवं कब्जा के प्रकरण**
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

1. (क्र. 403) श्री अजय चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2020 तक किन-किन जिलों में, कितनी-कितनी अवैध कालोनियों एवं कब्जा के प्रकरण प्राप्त हुये हैं? इनमें से कितने प्रकरण निराकृत कर दिये गये हैं और कितने अवैध कालोनियों पर रोक लगाई गयी है ? (ख) राजधानी रायपुर ,अंतर्गत वर्ष 2020 से 2022 अंतर्गत कहां-कहां, किनके द्वारा अवैध कालोनियां निर्मित किए जाने के प्रकरण प्राप्त हुये हैं? इसके लिये शासन या प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही, की गयी है? (ग) क्या नगर पंचायत रामानुजगंज अंतर्गत शासकीय जमीनों को फर्जी तरीके से रिकार्ड दुरूस्त कराकर, पट्टा बनवाकर रजिस्ट्री कराने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुयी है ? यदि हां तो कितनी भूमि, कहां-कहां की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और क्या कार्यवाही, की गयी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2020 तक अवैध कालोनियों एवं कब्जा के प्राप्त प्रकरण, निराकृत प्रकरण एवं अवैध कालोनियों पर रोक लगाये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी जिलावार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) राजधानी रायपुर क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2020 से 2022 अंतर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों में अवैध प्लाटिंगकर्ता/भूस्वामी द्वारा 246 निर्मित अवैध कालोनी/प्लाटिंग के प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) नगर पंचायत रामानुजगंज अंतर्गत शासकीय जमीनों को फर्जी तरीके से दुरूस्त कराकर एवं पट्टा बनवाकर रजिस्ट्री कराने के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुआ है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में धान खरीदी के लिए बारदाने की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (क्र. 470) श्री सौरभ सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीब वर्ष 2021-22 व 2022-23 और 2023-24 की अवधि में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु कितनी-कितनी मात्रा में, बारदाने की खरीदी, कितनी लागत से किन-किन फर्म/संस्था से की गई है? (ख) क्या "कंडिका "क" के बारदानों की सेम्पल जांच की गई? यदि हां तो, कितनी मात्रा में बारदाने अमानक पाए गये, अमानक बारदानों की वापसी फर्म/कंपनी को कब-कब की गई? (ग) "कंडिका "क" के कितने बारदाने उपयोग में लाए गए, कितने शेष हैं? क्या भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां तो, भौतिक सत्यापन में कितने बारदानों की कमी पायी गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2021-22 व 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु खरीदे गये बारदाने की मात्रा, लागत एवं फर्म/संस्था की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर बारदाना खरीदी निरंक है। (ख) जी हां कंडिका "क" के बारदाने के सेम्पल की जांच की गई है। वर्षवार अमानक हुए बारदाने की जानकारी निम्नानुसार है:-

अमानक नये जुट बारदाना

क्र.	खरीफ वर्ष	अमानक हुए जुट बारदाने की मात्रा (गठान में)	रिमार्क
1	2021-22	23	अमानक बारदाने को वापस नहीं किये गये है अपितु पटसन आयुक्त/मुख्य महाप्रबंधक भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड को अमानक बारदाने के लिए संबंधित फर्म से राशि कटौती हेतु क्लेम प्रस्तुत किया गया है।
2	2022-23	243	
3	2023-24	निरंक	

अमानक नये एचडीपीई/पीपी बारदानें

क्र.	खरीफ वर्ष	अमानक हुए एचडीपीई/पीपी बारदानें की मात्रा (गठान में)	रिमार्क
1	2021-22	5	संबंधित फर्म को अमानक हुए बारदानें की राशि का भुगतान नहीं किया गया है
		775	जांच में मानक स्तर के नहीं पाये जाने के कारण उक्त एचडीपीई/पीपी बारदाना को आपूर्तिकर्ता फर्म को वापस किया गया।
2	2022-23	निरंक	
3	2023-24	निरंक	

(ग) खरीफ वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उपयोग में लाये गये एवं शेष बारदानें की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-“ब” अनुसार** है। जी हाँ, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भौतिक सत्यापन कराया गया है, भौतिक सत्यापन में बारदानों में कमी नहीं पाया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 का भौतिक सत्यापन किया जाना प्रक्रियाधीन है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपयोग एवं शेष की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "\]](#)

उद्योगों से वेलफेयर फंड के तहत प्राप्त राशि

[श्रम]

3. (क्र. 538) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर चाम्पा जिले में पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 13/02/2023 तक वेलफेयर फंड के तहत किस-किस उद्योग से कितना-कितना पैसा प्रतिवर्ष श्रम विभाग को प्राप्त हुआ है ? (ख) उपरोक्त राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 13/02/2023 तक श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल को प्राप्त अभिदाय की वित्तीय वर्षवार, उद्योगवार/स्थापनावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल को नियमानुसार प्रदेश के विभिन्न उद्योगों, स्थापनाओं एवं शासन से प्राप्त अभिदाय राशि से मंडल द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व अन्य प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किया जाता है। अतः प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित प्राप्त राशि सहित प्रदेश के विभिन्न उद्योग, स्थापना एवं शासन से प्राप्त अभिदाय राशि में से जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 13.02.2023 तक व्यय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

आदिवासी सांस्कृतिक सेवा केन्द्र के सामुदायिक भवन को तोड़ने की कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (क्र. 763) श्री ननकी राम कंवर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कोरबा शहर में आदिवासी सांस्कृतिक सेवा केन्द्र सक्तीपीठ बुधवारी बाजार कोरबा में भवन निर्माण हेतु माननीय पूर्व सांसद श्री नंदकुमार साय जी द्वारा अपने मद से राशि रूपये 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान कर भवन निर्माण कराया गया था ? (ख) यदि हां तो क्या यह बात सही है कि उक्त भवन को तोड़कर उसके स्थान पर दुकान का निर्माण कराया गया है? यदि हां तो भवन किसके द्वारा तोड़ा गया और दुकान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया ? (ग) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर निर्मित दुकान को नियम के विपरीत अधिकतर शासकीय सेवकों एवं उनके रिश्तेदारों को दिया गया है ? यदि हां तो किस आधार पर आबंटन किया गया है ? क्या यह दुकान गरीब लोगों को आबंटन कर उनके जीविकोपार्जन के लिए बनायी गयी हैं ? (घ) क्या यह बात सही है कि भवन तोड़ने की शिकायत आदिवासी सांस्कृतिक सेवा केन्द्र सक्तीपीठ बुधवारी बाजार कोरबा द्वारा जिला

कलेक्टर को की गई थी ? यदि हां तो कलेक्टर द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) कोरबा छ.ग. के आदेश क्र. 287-2015-जि.यो.सा.क./सांसद मद कोरबा दिनांक 23.02.2015 के अंतर्गत राशि रूपये 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था। जिसके परिपालन में स्थल पर 15.7 m x 5.9 m का सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया एवं संस्था को आधिपत्य दिया गया है। (ख) उक्त सामुदायिक भवन को तोड़ा नहीं गया है। संबंधित संस्था द्वारा भवन के आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर भवन को 05 भागों में बांटकर 05 दुकान का निर्माण किया गया है। (ग) उक्त दुकानों को संबंधित संस्था द्वारा स्वयं के स्तर से आबंटित किया गया है। (घ) छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद द्वारा कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 29.08.2022 को सांसद मद सन् 2014-2015 के सामुदायिक भवन के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जांच टीम का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है।

राजनांदगांव जिले में संचालित राइस मिलों में मृत मजदूरों को प्रदायित सहायता

[श्रम]

5. (क्र. 1099) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में 15 फरवरी, 2023 की तक की स्थिति में कितने लाइसेंस धारी राइस मिल संचालित हैं ? विकासखंड वार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के इन राइसमिलों में प्रश्नांकित अवधि में क्या मजदूरों की मौत हुई है ? यदि हाँ तो कितने ? एवं इनमें कौन-कौन दोषी है, और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? राइस मिलों वार जानकारी देवें ? (ग) कंडिका "क" में पीड़ित परिवारों को क्या-क्या सहायता राशि प्रदान की गई है ? कृपया बताये ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राजनांदगांव जिले में 15 फरवरी, 2023 तक की स्थिति में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कुल 84 पंजीकृत राइस मिल संचालित है, जिनमें से राजनांदगांव विकासखण्ड में 42, डोंगरगढ़ विकासखण्ड में 15, डोंगरगांव विकासखण्ड में 17 एवं छुरिया विकासखण्ड में 10 पंजीकृत राइसमिल संचालित है। (ख) जी हां, प्रश्नांकित अवधि में 02 राइसमिलों में कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं में 02 मजदूरों की मौत हुई है। दोषी और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण राइसमिलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) (1) मेसर्स आर.एस. फूड प्रोसेसेस (इंडिया) प्रा.लि. रेवाडीह, राजनांदगांव में घटित दुर्घटना में मृतक श्रमिक श्री यशवंत साहू के आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कारखाने द्वारा आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति श्रम न्यायालय राजनांदगांव में जमा की गई मुआवजा राशि रूपए 6,12,360/- दिनांक 07.08.2021 को प्रदाय किया गया है। (2) मेसर्स तिरूपति एग्रो ग्राम लाटमेटा, तहसील छुरिया, जिला-राजनांदगांव में घटित दुर्घटना में मृतक श्रमिक श्री मयाराम निषाद के आश्रितों को तात्कालिक सहायता राशि रूपए 51,000/- कारखाने की ओर से प्रदाय किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानानुसार मुआवजा राशि प्राप्त होने तक कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रित को समझौता अनुसार प्रतिमाह 15,000/- रूपये सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

धान खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (क्र. 1178) श्री धरम लाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2023 की अवधि तक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल कितना व कितनी राशि की धान खरीदी की है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान को कुल कितने किसानों से खरीदा गया और इसमें कुल कितने किसान का रकबा 5 एकड़ या इससे कम था और कुल क्रय धान का कितना प्रतिशत धान इनसे क्रय किया गया है? (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में कुल धान खरीदी के एवज में कितनी मात्रा की मिलिंग होनी थी व कितनी मात्रा की मिलिंग की गई है व कितनी मात्रा की मिलिंग होना शेष है तथा मिलिंग में कितने धान की क्षति/कमी हुई है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कुल कितनी

अवधि में लेखा मिलान हो गया है तथा धान खरीदी में सूखत, चोरी से, सड़ जाने के कारण व अन्य किन कारणों से कितनी राशि का धान कम हुआ है? वर्षवार जानकारी दें? (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के एवज में कितनी राशि/चावल प्राप्त होना था व कितनी राशि/चावल प्राप्त हो गई है व कितनी राशि/चावल प्राप्त होना शेष है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 से जनवरी 2023 की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा एवं समर्थन मूल्य पर राशि तथा किसानों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ वर्ष	धान खरीदी मात्रा(मे टन में)	समर्थन मूल्य की राशि (राशि करोड़ में)	धान बेचने वाले किसान	5 एकड़ से कम रकबा वाले किसान की संख्या	5 एकड़ से कम रकबा वाले किसान से खरीदे गये धान का प्रतिशत
2019-20	8394590	15285	1838593	1517054	55%
2020-21	9202392	17240	2053600	1714707	55%
2021-22	9799367	19038	2177477	1818272	55%
2022-23	10753025	21962	2342050	1954580	55%

(ख) प्रश्नांश क की अवधि में शासन को कस्टम मिलिंग में धान की क्षति/कमी नहीं हुई है। वर्षवार कस्टम मिलिंग एवं जमा चावल की जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा मे टन में)

खरीफ वर्ष	धान खरीदी की मात्रा	मिलरों द्वारा उठाये गये धान की मात्रा	उठाये गये धान का अनुपातिक चावल	मिलर द्वारा जमा चावल की मात्रा	जमा हेतु शेष चावल की मात्रा
2019-20	8394590	8149803	5501117	5498937	0
2020-21	9202392	8035740	5424125	5407038	0
2021-22	9799367	9730638	6545758	6538288	7470
2022-23(जनवरी 2023 की स्थिति में)	10753025	9048084	6107456	2790203	3317253

(ग) प्रश्नांश 'क' की अवधि में लेखा मिलान की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

खरीफ वर्ष	लेखा मिलान की अवधि
2019-20	05.07.2020 से 24.11.2020 तक
2020-21	27.09.2021 से 27.11.2021 तक
2021-22	27.06.2022 से 28.10.2022 तक
2022-23 (जनवरी 2023 की स्थिति में)	लेखा मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेष प्रश्नांश में चाही गई जानकारी की विषयवस्तु पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक **PIL No. 75/2022** अजय चंद्राकर एवं अन्य विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य प्रचलित है जो कि विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अध्याय 7 की कंडीका क्रं 36 (6) के तहत निषेध है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य के एवज में प्राप्त चावल तथा जमा हेतु शेष चावल की राशि की जानकारी निम्नानुसार है -

खरीफ वर्ष	प्राप्ती योग्य चावल की राशि (राशि करोड़ में)	प्राप्त चावल की राशि (राशि करोड़ में)	प्राप्त होना शेष चावल की राशि (राशि करोड़ में)
2019-20	16855.52	16514.50	341.02
2020-21	17043.86	16838.20	205.66
2021-22	22075.37	20811.09	1264.28
2022-23 (जनवरी 2023 की स्थिति में)	9898.43	1810.83	8087.60

नगर निगम बिलासपुर द्वारा नई कालोनियों को लिए गए हैंड ओवर की जानकारी [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (क्र. 1406) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 1 जनवरी 2019 से दिनांक 15.02.2023 तक बिलासपुर नगर निगम द्वारा कितनी नई कॉलोनियों का हैंड ओवर लिया गया है और कितनी प्रक्रियाधीन हैं, कृपया सूची उपलब्ध कराएं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : 01 जनवरी 2019 से दिनांक 15.02.2023 तक बिलासपुर नगर निगम में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर द्वारा निर्मित कुल 07 कॉलोनियों का हस्तांतरण प्राप्त किया गया है तथा 02 कॉलोनी नेचर सिटी का तत्कालीन नगर पंचायत द्वारा हस्तांतरण लिया गया था। वर्तमान में कोई भी कालोनियां निगम के हस्तांतरण हेतु प्रक्रियाधीन नहीं है। सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान का स्टॉक मिलान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 1434) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई? कितने खरीदी केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र बनाये गये थे? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या कंडिका 'क' की खरीदी गई धान का स्टॉक मिलान कराया गया? यदि हां, तो स्टॉक में कितनी कमी पायी गयी? कितनी मात्रा में धान कस्टम मिलिंग हेतु उठाना था एवं कितना उठाया गया है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) कंडिका 'क' के तहत धान की स्टॉक में कमी पाए जाने पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ, शेष प्रश्नांश में चाही गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक पीआईएल नम्बर 75/2022 अजय चन्द्राकर एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य प्रचलित है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना निषेधित है। कस्टम मिलिंग हेतु वर्षवार एवं जिलेवार उठाव किए गए धान की जानकारी संलग्न प्रपत्र -"ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश में चाही गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक पीआईएल नम्बर 75/2022 अजय चन्द्राकर एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य प्रचलित है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना निषेधित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह" \]](#)

रायगढ़ जिला मे राशन कार्ड के प्राप्त एवं जारी आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (क्र. 1498) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में राशन कार्ड बनवाने हेतु विगत 02 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए है एवं कितना राशन कार्ड जारी किया गया है, विकासखंड वार जानकारी देवें? (ख) कितने शेष हैं, कब तक बनाये जाएँगे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) रायगढ़ जिले में विगत 02 वर्षों में नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु प्राप्त

आवेदन पत्र एवं जारी किये गये राशनकार्डों की विकासखण्डवार/नगरीय निकायवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी 2023 तक प्राप्त आवेदनों में से जिले में राशनकार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र शेष नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस"\]](#)

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी, पुलिस थाना एवं नये थाना भवन के संबंध में [गृह]

10. (क्र. 1550) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी, पुलिस थाना एवं नये थाना भवन व कुछ ग्रामों को अन्यत्र थाने में बदलने हेतु वर्ष 2021-22 से फरवरी, 2023 तक विभाग को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो नाम सहित जानकारी देवें? उक्त पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी हां। धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी गंगरेल, पुलिस चौकी छाती, पुलिस चौकी डोंगेश्वर धाम देवपुर, पुलिस थाना हटकेशर, महिला थाना, यातायात थाना एवं हाईवे पुलिस थाना छाती के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जो समीक्षा में है, तथा पुलिस थाना अर्जुनी हेतु नये भवन निर्माण के लिए भी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी अद्यतन स्थिति **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। कुछ ग्रामों को अन्यत्र थाने में बदलने हेतु प्राप्त पत्र एवं उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"\]](#)

लुंडा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की मौत की जांच [गृह]

11. (क्र. 1609) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 12 अगस्त, 2022 की सुबह बिलासपुर जिले के बेलगहना रेलवे पटरी के पास क्या लुंडा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का शव मिला था? इस प्रकरण में क्या हत्या की आशंका जताई गयी थी? क्या उसकी जांच की गई? तथा अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जी हां। मृतक के पिता ने मृतक की हत्या का संदेह व्यक्त किया है एवं सूक्ष्म जांच की मांग की है। मर्ग की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला-बिलासपुर द्वारा की जा रही है। अब तक की जांच में कोई संदेहास्पद तथ्य उजागर नहीं हुआ है, सभी बिन्दुओं पर जांच जारी है।

रायपुर में स्काईवॉक पर निर्णय [लोक निर्माण]

12. (क्र. 1610) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर में स्काईवॉक के सन्दर्भ में निर्माण पूरा करवाने अथवा उसका वैकल्पिक उपयोग किये जाने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई है? **(ख)** स्काईवॉक के निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है? शेष निर्माण यदि करवाया जाता है तो इस पर लगभग कितनी राशि और व्यय करनी होगी? **(ग)** क्या स्काईवॉक का निर्माण करवाने के पहले इसकी उपयोगिता पर कोई सर्वे किया गया था? यदि हाँ तो सर्वे में क्या तथ्य पाए गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** स्काईवाक पूर्ण करवाने अथवा उसका वैकल्पिक उपयोगिता की संभावनाओं पर सुझाव हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य सुझाव समिति एवं तकनीकी सुझाव समिति का गठन किया गया है, गठित समितियों द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** अब तक का कुल- रु. 36.58 करोड़ व्यय, शेष कार्य पर - रु. 40.52 करोड़ संभावित व्यय। **(ग)** जी हाँ। स्काईवाक निर्माण करवाने के पहले पैदल यातायात

गणना कराई गई थी। यातायात गणना अनुसार 27000 पदयात्री (2530 पैदल यात्री पीक आवर प्रति घंटा) शास्त्री चौक एवं 14000 पदयात्री का मेकाहारा चौक से प्रतिदिन आवागमन होता है।

वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं के संबंध में

[गृह]

13. (क्र. 1611) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 15.02.2023 तक सड़क दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है व कितने घायल हुए हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) उक्तानुसार दुर्घटना ग्रस्त वाहनों में कितने वाहन का परमिट व बीमा वैध था व कितने का नहीं था? जिनका बीमा वैध नहीं था, उन वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा देने के क्या नियम हैं व कितनों को मुआवजा दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) उक्तानुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में 27,500 वाहन का परमिट व बीमा वैध था तथा 3,143 वाहन का परमिट व बीमा वैध नहीं था। ऐसे वाहन जिनका बीमा वैध नहीं है, उन वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु दावा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय 12 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिनियम की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। संख्या बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

पेट्रोल एजेंसी के निरीक्षण विषयक

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (क्र. 1728) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला कबीरधाम में संचालित पेट्रोल एजेंसी की वर्ष 2020-21 से फ़रवरी 2023 तक गुणवत्ता, परीक्षण, नापतौल, सुरक्षा के मानक सम्बन्धी परीक्षण कब-कब एवं किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया ? एजेंसीवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है ।

प्रदेश में संगठित एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

15. (क्र. 1736) डॉ. प्रीतम राम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक किस-किस जिले में संगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? तथा कितने संख्या में पंजीयन किए गए हैं?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संगठित श्रमिकों द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया नहीं है, अपितु मंडल में संगठित क्षेत्र के स्थापना के नियोक्ता द्वारा श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में संस्थान के नियोजक द्वारा नियोजक एवं नियोजित श्रमिकों की अभिदाय राशि जमा कर श्रमिकों के नामों की प्रविष्टि की जाती है, जिसमें श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं। छ0ग0 प्रदेश में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 (31.01.2023 तक) में संगठित क्षेत्र के स्थापनाओं द्वारा पोर्टल में दर्ज नवीन श्रमिकों की जानकारी जो कि पंजीकृत हुए हैं, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

भेंट मुलाकात कार्यक्रम में टेण्ट पण्डाल व्यवस्था हेतु अनुबंध [लोक निर्माण]

16. (क्र. 1745) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दिनांक 04 जनवरी, 2023 प्रश्न क्रमांक 343 में दिये गए उत्तर अनुसार मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में टेण्ट पण्डाल एवं अन्य व्यवस्था के लिए पूर्व से अनुमोदित दर के आधार पर विभिन्न फर्मों से कार्य कराये जाने की जानकारी, साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर बिना निविदा के कार्य कराये जाने की जानकारी तथा वर्ष 2018 में अनुमोदित दर से कार्य कराये जाने की जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो 4 वर्ष पुराने अनुबंध के आधार पर किस नियम के तहत कार्य कराया गया है तथा नवीन अनुबंध क्यों नहीं कराया गया है? **(ख)** कंडिका 'क' में बिना निविदा के पूर्व से अनुमोदित दर का अनुमोदन कब व किसके द्वारा किया गया है तथा अनुमोदन की वैधता कब तक थी व भुगतान किन नियमों के अंतर्गत किया गया है? फर्म चयन का आधार क्या था ? **(ग)** दिनांक 15/02/2023 की स्थिति में कुल कितने भेंट मुलाकात कार्यक्रमों के लिये टेण्ट व पण्डाल की कितनी राशि का भुगतान किस फर्म को किया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? फर्म सहित जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जी हाँ। उपलब्ध उपयुक्त एजेंसी द्वारा पूर्व अनुमोदित दर पर कार्य करने हेतु सहमत होने पर तात्कालिक प्रकृति का कार्य होने के कारण कार्य कराया गया। इसी कारण नवीन अनुबंध नहीं किया गया। **(ख)** पूर्व से अनुमोदित दर पर फर्म द्वारा दिये गये सहमति के आधार पर कार्य कराया गया। कार्य त्वरित एवं तात्कालिक प्रकृति का होने के कारण नवीन अनुबंध एवं निविदा की कार्यवाही नहीं की गई। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

जैजैपुर से मालखरौदा, गोबराभांठा सड़क निर्माण में प्रदत्त मुआवजा [लोक निर्माण]

17. (क्र. 1754) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ए.डी.बी. विभाग द्वारा निर्मित सड़क जैजैपुर से मालखरौदा, गोबराभांठा सड़क निर्माण में किन-किन ग्रामों के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, ग्रामवार, बतायें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" अनुसार उपरोक्त ग्रामों के किसानों को शत प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है, यदि हां, तो किन-किन किसानों को, कितनी-कितनी राशि बतायें ? **(ग)** वर्तमान में कितने किसान मुआवजा राशि हेतु शेष हैं, कब तक मुआवजा का भुगतान कर किया जावेगा, बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** मार्ग में किसी भी किसान की भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। **(ख)** भूमि अधिग्रहित नहीं की गयी है। अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** वर्तमान में 419 किसानों का भू-अर्जन प्रकरण प्रक्रियाधीन है। मुआवजा भुगतान की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं।

नगरीय निकायों द्वारा की गई खरीदी [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

18. (क्र. 1758) श्री नारायण चंदेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत संचालित नगरपालिका एवं नगर पंचायतों हेतु कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी राशि की, किस-किस फर्म से खरीदी गयी है? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांक 'क' की खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया? **(ग)** प्रश्नांक 'क' के खरीदी में अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आई? हाँ तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत संचालित नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में क्रय की सामग्री, मात्रा, राशि एवं फर्म की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" की खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है। (ग) प्रश्नांश "क" के खरीदी में अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क, पुल-पुलिया व भवनों के मरम्मत कार्य [लोक निर्माण]

19. (क्र. 1762) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक कितने सड़क, पुल-पुलिया व भवनों के मरम्मत कार्य कराये गये हैं, कार्य का नाम, लागत राशि सहित जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक [श्रम]

20. (क्र. 1768) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को किन-किन योजना के तहत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.2023 तक लाभान्वित किया गया है ? विकासखण्डवार लाभान्वित श्रमिकों की जानकारी दें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (दिनांक 15.02.2023 तक) में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा लाभान्वित श्रमिकों की मंडलवार, योजनावार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

श्रमिकों को योजनाओं का लाभ [श्रम]

21. (क्र. 1772) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने-कितने श्रमिकों को निर्माण मजदूर कार्ड एवं असंगठित मजदूर कार्ड जारी किए हैं? 1 जनवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2023 तक कितने-कितने श्रमिकों को, किन-किन योजनाओं का लाभ दिया गया है? इन दोनों वर्ग के मजदूरों को, प्रदाय की गई योजना में, कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? योजनावार श्रमिक संख्या सहित बतावें ? (ख) क्या कंडिका "क" के श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा की सुविधा है? यदि हाँ तो कितने मजदूरों को दुर्घटना उपरान्त कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? (ग) कंडिका "क" के श्रमिकों के लिए प्रदेश में किन-किन निजी अस्पतालों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गई बीमा योजना के तहत कितनी राशि की निःशुल्क ईलाज की सुविधा है ? क्या इसमें रायपुर स्थित डी.के.एस. सुपरस्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल है? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिनांक 08.03.2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 18,39,582 निर्माण श्रमिक तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 15,93,393 असंगठित कर्मकार के लिए श्रमिक कार्ड जारी किये गये हैं। 01 जनवरी 2020 से 28 फरवरी, 2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित श्रमिकों एवं व्यय की मंडलवार, योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) उक्त दोनों मंडल अंतर्गत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा की सुविधा नहीं है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। [संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जोनल टेंडर के माध्यम से सड़कों का निर्माण एवं अन्य कार्य
[लोक निर्माण]

22. (क्र. 1778) श्री दलेश्वर साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विगत 3 वर्ष में राजनांदगांव जिला के लोक निर्माण संभाग, राजनांदगांव एवं खैरागढ़ में पंच रिपेयरिंग, मरम्मत कार्य हेतु कितने-कितने किलोमीटर का, कौन-कौन से दिनांक को जोनल टेंडर जारी किया गया ? उक्त जोनल टेंडर में किन-किन सड़कों एवं अन्य कार्यों को शामिल कर कार्यों की सड़कवार, डब्ल्यू एमएम, बी एम, एम एस एस, किलोमीटरवार, वर्षवार, कार्यवार, राशिवार व्यय सहित मूल्यांकन, सत्यापन की दिनांकवार जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

खुज्जी विधानसभा में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों के टेंडर एवं अद्यतन स्थिति
[लोक निर्माण]

23. (क्र. 1781) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सत्र 2020 -21 से 28 फरवरी 2023 तक किन-किन कार्यों के लिए टेंडर हुआ ? उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? वर्ष वार, विकासखंड वार जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी एवं नगर पंचायत छुरिया के अंतर्गत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

24. (क्र. 1782) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020- 21 से 28 फरवरी, 2023 तक नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी एवं नगर पंचायत छुरिया को किन-किन योजनाओं में, किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार, योजना वार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका " क " के कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन एवं विकास हेतु योजनायें
[संस्कृति]

25. (क्र. 1786) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छ0ग0 राज्य में आदिवासी संस्कृति ,लोक कलायें व धार्मिक-सांस्कृतिक ,रीति-रिवाजों के संरक्षण, संवर्धन एवं समूह बनाने हेतु क्या प्रयासों किए जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में बस्तर व सरगुजा (आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र) संभाग में क्या-क्या कार्यक्रम/योजनायें व कार्य किये जा रहे हैं? कृपया बतावें? (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में इस हेतु वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.2023 तक स्वीकृत कार्य एवं व्यय की गई राशि के संबंध में बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****प्रदेश में पंजीकृत धार्मिक न्यास/ट्रस्ट की जानकारी व व्यय**
[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

1. (क्र. 421) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कितने पंजीकृत धार्मिक न्यास/ट्रस्ट गठित हैं, उनकी कुल कितनी-कितनी संपत्ति है ? जिलावार बतायें ? **(ख)** उक्त ट्रस्टों में वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक कितने कार्यों के लिये, कितनी राशि व्यय की गयी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** एवं **(ख)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परसाही बाना से ढोरला सड़क निर्माण के लिए जारी निविदा
[लोक निर्माण]

2. (क्र. 633) श्री सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में परसाही बाना से ढोरला सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? **(ख)** उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए कब निविदा बुलाई गई है और निविदा के बाद किस व्यक्ति/एजेंसी को सड़क निर्माण का कार्य दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** दिनांक 07.02.2022 **(ख)** नाबार्ड लोन दिनांक 27.02.2023 को प्राप्त हुआ है। निविदा आमंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बलौदा बायपास निर्माण में किसानों भूमि का भू-अर्जन व मुआवजा प्रकरण
[लोक निर्माण]

3. (क्र. 634) श्री सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में बलौदा बायपास निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन किसानों के, कितने भू-अर्जन प्रकरण किस कारण से कब से लंबित हैं ? पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15/02/2023 तक किन-किन किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? किन-किन किसानों के कितने मुआवजे के प्रकरण लंबित हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र पर कृत कार्यवाही
[गृह]

4. (क्र. 772) श्री ननकी राम कंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव के द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग को प्रेषित क्रमांक 3893/vip/मुमंस/2022/एम 5-27, दिनांक 23/09/2022 पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** क्या उक्त पत्र कोरबा जिले के पुलिस थाने में की गई शिकायत से संबंधित है ? यदि हाँ तो क्या कोरबा जिले में एस.सी/ एसटी धारा से संबंधित शिकायत जुलाई, 2022 में किस किस थाने चौकी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुई थी ? यदि हुई थी तो शिकायत क्या थी और उस शिकायत पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों और उक्त शिकायत पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? **(ग)** क्या उक्त शिकायत पर शिकायतकर्ता एवं गवाह का बयान लिया गया था ? यदि हाँ तो किस थाने में

लिया गया था यदि बयान लिया गया था तो क्या बयान में जातिगत गाली देने और मारपीट करने की बात आई थी ? यदि हां तो आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? आदिवासियों को न्याय दिलाते हुए क्या आरोपियों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) शिकायत प्राप्त होने पर गृह विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक, छ0ग0, पुलिस मुख्यालय को एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा को जांच हेतु भेजा गया था, जांच पर पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध का होना पाये जाने से आवेदकों को धारा 155 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय की शरण में जाने की राय देते हुए फैना क्रमांक 37/22 दिया गया है। भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इस हेतु धारा 107, 116(3) द.प्र.सं. की कार्यवाही की गई है। (ख) प्रश्नांश "क" के आशय की शिकायत पत्र मात्र जुलाई, 2022 में पुलिस अधीक्षक, कोरबा एवं थाना प्रभारी अजाक, कोरबा को प्राप्त हुई थी। थाना अजाक, कोरबा से शिकायत जांच पर पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध का होना पाये जाने पर न्यायालय की शरण में जाने की राय दी गई है। (ग) उक्त शिकायत पर शिकायतकर्ता एवं गवाहों का कथन अजाक थाना कोरबा में लिया गया है। जांच में जमीन संबंधी विवाद होने तथा घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से आवेदक पक्ष को धारा 155 द.प्र.सं. के तहत फैना क्रमांक 37/22 दिया गया है। पुलिस अधिकारी द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है, एवं की गई कार्यवाही की सूचना पुलिस अधीक्षक, कोरबा द्वारा थाना प्रभारी बालको के माध्यम से आवेदकों को दी गई है।

बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (क्र. 1399) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, और उन पर क्या कार्रवाई हुई।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक अवैध प्लाटिंग की 55 शिकायतें प्राप्ते हुई है। 40 प्रकरणों में किसी प्रकार भवन का निर्माण नहीं हुआ था। उन अवैध कालोनियों की निर्मित डब्ल्यू.बी.एम./सी.सी.सड़क, बाऊण्डीवाल, विद्युत पोल, गेट को हटाया गया तथा रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 15 अवैध कॉलोनी मार्ग संरचना के मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने पर मार्ग संरचना तैयार कर नगर तथा ग्राम निवेश को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात एम.आई.सी. द्वारा दर अनुमोदन किया गया है एवं नक्शा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। विकास शुल्क के रूप में कुल राशि 23.17 लाख 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक प्राप्त हुई है। .नगर निगम बिलासपुर के पत्र दिनांक 10.11.2020, दिनांक 23.11.2020, दिनांक 07.12.2020, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 23.03.2021 एवं दिनांक 05.04.2021 दिनांक 10.11.2022 दिनांक 06.12.2022 दिनांक 15.12.2022 वास्तविक भूमि स्वामी तथा खसरा नं. व रकबा एवं टुकड़ों पर बिक्री की जानकारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को पत्र लिखा गया है। नगर निगम बिलासपुर के पत्र दिनांक 24.02.2021, दिनांक 23.03.2021 एवं दिनांक 05.04.2021 दिनांक 10.11.2022 दिनांक 06.12.2022 दिनांक 15.12.2022 को टुकड़ों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पंजीयक, जिला-बिलासपुर प्रेषित किया गया।

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणा का क्रियान्वयन

[लोक निर्माण]

6. (क्र. 1423) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी वर्ष 2020-21 से अक्टूबर, 2022 तक कौन-कौन से निर्माण कार्यों की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? (ख) प्रश्न "क" अनुसार कौन-कौन से निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हो गए हैं ? (ग) अगर कार्य आरंभ नहीं हुए हैं तो क्या कारण है, जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के विकास खंडों में शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान
 [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (क्र. 1424) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन नगर पंचायतों में कितने शौचालय का निर्माण किया गया है? **(ख)** क्या उक्त शौचालय निर्माण का भुगतान बकाया है? यदि हां तो कितनी राशि का भुगतान किन-किन नगरीय निकायों में बकाया है ?विकासखंड वार जानकारी दें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत लैलूंगा अंतर्गत 833 निजी शौचालय एवं 01 नग सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।**(ख)** जी नहीं। नगर पंचायत लैलूंगा क्षेत्रांतर्गत निजी एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण का भुगतान बकाया नहीं है।

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धान उपाजन केंद्र में खरीदी गई धान
 [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 1444) श्री रामकुमार यादव :क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने धान उपाजन केंद्र हैं ? खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 से 31/01/2023 तक में खरीदे गये धान के उठाव का माहवार विवरण दें। **(ख)** धान के उठाव हेतु कितना-कितना धान राईस मिलरों को दिया गया एवं कितना धान संग्रहण केंद्रों में भंडारण किया गया ? संग्रहण केंद्र व उपाजन केन्द्र अनुसार विवरण दें। **(ग)** वर्ष 2020-21 में कितने किसानों का धान खरीदी निरस्त किया गया है ? क्या निरस्त करने के बाद उनका धान किसान को वापस किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2020-21 से 31.01.2023 तक उपाजन केंद्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	उपाजन केन्द्रों की संख्या
1	2020-21	49
2	2021-22	52
3	2022-23	55

खरीफ वर्षवार खरीदे गये धान के माहवार उठाव की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है।**(ख)** खरीफ वर्षवार मिलरों को उपाजन केन्द्रों से प्रदाय धान की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" (1), ब (2) एवं ब (3) में तथा संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"स" अनुसार है। **(ग)**वर्ष 2020-21 में चन्द्रपुर विधानसभा अंतर्गत छोटेकटे कोनी उपाजन केन्द्र के मात्र एक किसान श्री महेत्तर दास पिता खुसुडदास ग्राम छुहीपाली पंजीयन क्रमांक टीएफ5 401160280072 का 58.40 कि. धान तकनीकी कारणों से समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं किया जा सका। कृषक द्वारा 58.40 कि. धान वापस प्राप्त कर लिया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

धान वितरण एवं संग्रहण केन्द्रों में कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल मजदूरों/ कर्मचारी को देय भुगतान
 [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (क्र. 1472) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या धान वितरण एवं संग्रहण केन्द्रों में कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल मजदूरों/ कर्मचारी से कार्य लिया जाता है? यदि हाँ तो राजनांदगांव जिले के किन किन धान वितरण एवं संग्रहण केन्द्रों में कितने मजदूर या कर्मचारी वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में

15.02.2023 तक कार्यरत है? उक्त मजदूर या कर्मचारी का कितने माह का भुगतान लंबित है? मजदूर या कर्मचारी को किये गये भुगतान, पी पी एफ कटौती की केन्द्रवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जी हां, राजनांदगांव जिले के धान संग्रहण केन्द्रों में कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों/श्रमिकों से कार्य लिया जाता है। जिले के धान संग्रहण केन्द्रों कलकशा, बीजाभाठा, सेवताटोला एवं सिंघौला में दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में खरीफ वर्ष 2021-22 में धान भंडारित नहीं है। खरीफ वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में कार्यरत मजदूरों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। कुशल श्रमिक/कर्मचारी विपणन संघ के अधीनस्थ नियोजित है जिनको माह जनवरी 2023 तक भुगतान किया जा चुका है। अर्द्धकुशल/अकुशल मजदूर/श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए गए हैं। ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए अर्द्धकुशल एवं अकुशल मजदूरों के वेतन आदि देयताओं का भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है। ठेकेदार के अधीनस्थ नियोजित उक्त श्रमिकों के भुगतान पर पीपीएफ की कटौती नहीं की जाती अपितु ईपीएफ की कटौती की जाती है। उपरोक्तानुसार जिले के संग्रहण केन्द्रों में नियोजित कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान माह जनवरी 2023 तक किया जा चुका है। माह फरवरी 2023 के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य की स्वीकृति [लोक निर्माण]

10. (क्र. 1497) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा कितनी सड़कों का नव निर्माण एवं कितनी सड़कों के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

सड़क दुर्घटना में मृत एवं घायल व्यक्ति को मुआवजा [गृह]

11. (क्र. 1499) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में सड़क दुर्घटना के कितने प्रकरण दर्ज किए गये हैं? कितने व्यक्ति मृत, घायल हैं, थानावार जानकारी देवें ? **(ख)** मृत एवं घायल व्यक्तियों को कितनी राशि मुआवजा के रूप प्रदान की गयी है, कितना प्रकरण लंबित है, कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ? नाम सहित जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की थानावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** 01 प्रकरण में मृत व्यक्ति को राशि ₹ 25000/- मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है। 57 प्रकरण लंबित हैं। शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। नाम सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

राशन कार्ड बनाने के संबंध में जानकारी एवं राशन दुकानों के संलग्नीकरण की जानकारी [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 1516) श्री शैलेश पांडे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खाद्य विभाग अंतर्गत राशन कार्ड बनाने के क्या मापदंड हैं? 1 जनवरी, 2020 से दिनांक 15.02.2023 तक जिला बिलासपुर में

कितने ऐसे हितग्राही हैं, जिनका सामान्य कार्ड निरस्त करके बीपीएल या अन्य कार्ड बनाया गया है, इसके क्या कारण रहे हैं? (ख) राशन दुकान दूसरे दुकान में संलग्न करने संबंधी क्या नियम हैं? 1 जनवरी 2020 से दिनांक 15.02.2023 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत कितने दुकान कितने समय से दूसरे दुकान में संलग्न हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के अनुसार राशनकार्ड हेतु पात्र हितग्राहियों तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। प्रश्रुत अवधि में जिला बिलासपुर में 7683 हितग्राहियों का सामान्य राशनकार्ड निरस्त करके बीपीएल राशनकार्ड बनाया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 में स्थानीय निकायों को राशनकार्ड जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी अनुशंसा पर उपरोक्त राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही की गयी है। (ख) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 (17) के अनुसार उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण या निलंबन की दशा में आबंटन अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान से संलग्न राशनकार्ड को उसके निकटस्थ उचित मूल्य की दुकान में जोड़ दिया जायेगा। प्रश्रुत अवधि में जिला बिलासपुर में अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान में संलग्न उचित मूल्य दुकानों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

जिला बिलासपुर अंतर्गत गरीबी रेखा राशन कार्ड संबंधी जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (क्र. 1517) श्री शैलेश पांडे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? क्या गरीबी रेखा राशन कार्ड के लिए श्रमिक कार्ड आवश्यक है? जिला बिलासपुर अंतर्गत कितने ऐसे गरीबी रेखा राशन कार्ड हैं, जो श्रमिक कार्ड के बिना बनाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के अनुसार राशनकार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। प्राथमिकता राशनकार्ड वाले परिवार के पहचान हेतु राशनकार्ड नियम 2016 के खण्ड 5 के अंतर्गत असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रावधान है। जिला बिलासपुर अंतर्गत गरीब परिवारों को जारी 3,50,706 ऐसे राशनकार्ड हैं, जो श्रमिक कार्ड के बिना बनाए गए हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

विषय-प्रदेश मे महिला सेल का गठन के संबध मे

[गृह]

14. (क्र. 1525) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ के कितने थानों में पृथक रूप से महिला सेल का गठन किया गया है तथा उक्त सेल में वर्ष 2021 से 15.2.2023 तक कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है? (ख) क्या आत्मसात किए गए जन घोषणा पत्र मे प्रत्येक थाने मे महिला सेल बनाने और साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की बात का उल्लेख था ? यदि हां तो यह घोषणा पूर्ण हुई है ? यदि नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है और कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साह) : (क) छत्तीसगढ़ के 446 थानों में पृथक रूप से महिला सेल का गठन किया गया है तथा उक्त सेल में वर्ष 2021 से 15.02.2023 तक 26491 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। (ख) जनघोषणा पत्र में प्रत्येक थाने में महिला सेल बनाने का उल्लेख है प्रदेश के कुल 466 थानों में से 446 थानों में महिला सेल का गठन किया गया है। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने हेतु दिनांक 09.03.2019 को पुलिस मुख्यालय, छ0ग0 द्वारा परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा -निर्देश दिये गये हैं, जिसकी सतत् मानिट्रिंग की जा रही है।

नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग जिला मे अवैध प्लाटिंग के दर्ज प्रकरण
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

15. (क्र. 1526) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायपुर एवं दुर्ग में वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.2.2023 तक अवैध प्लाटिंग के कितने प्रकरण/शिकायत प्राप्त हुई? उक्तानुसार प्रकरण कहां कहां के हैं, प्रकरणवार, शिकायतवार व जानकारी विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश क अनुसार अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है व कौन दोषी पाया गया है? जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** जिला रायपुर एवं दुर्ग में वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2023 तक अवैध प्लाटिंग के 435 प्रकरण/शिकायत प्राप्त हुए है। जानकारी प्रकरणवार, शिकायतवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों की गई कार्यवाही एवं दोषी की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है।**

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्राप्त राशि
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

16. (क्र. 1548) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी, 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत नगर पालिक निगम धमतरी को कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का खर्च किन किन कार्यों में किया गया कार्यवार, वर्षवार व्यय राशि की जानकारी देवें? क्या स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की योजना वर्तमान में चल रही है ? यदि हां तो उसमें कितनी राशि दी जाती है? **(ख)** क्या उक्त अवधि में उक्त मद से सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है ? यदि हां, तो जानकारी देवें? क्या निगम के द्वारा सार्वजनिक शौचालय की देखरेख हेतु (केयर टेकर) नियुक्त किया गया है ?यदि हां, तो किसे कितना मानदेय दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो उनकी देखरेख किसके द्वारा कीया जा रही है? **(ग)** क्या निगम क्षेत्र अंतर्गत महिला शौचालय बनाया गया है ?यदि हां तो किन- किन स्थानों में बनाया गया है एवं क्या उनकी उपयोगिता शुरू हो गई है? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण हो जाएगी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** नगर पालिक निगम धमतरी को 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत कुल राशि रू. 64.14 लाख प्राप्त हुए है। प्राप्त राशि की कार्यवार एवं वर्षवार व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के घटक का प्रावधान निहित है, जिसके अंतर्गत शौचालय हेतु प्रति इकाई लागत राशि रू. 30,000 प्रस्तावित है। जिसमें से भारत सरकार द्वारा रू. 4,000 एवं राज्य शासन द्वारा रू. 2667 अनुदान आबंटित किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** नगर पालिक निगम धमतरी में प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी नवीन सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। नगर निगम धमतरी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के देखरेख हेतु केयर टेकर नियुक्त नहीं किये गये हैं। नगर पालिक निगम धमतरी में विद्यमान 52 सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालयों का संचालन संधारण अशासकीय संगठन, स्व-सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। **(ग)** नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्रांतर्गत महिला शौचालय निर्माण नहीं किया गया है। अतएव शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैतीस" \]](#)

धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनायों तथा मोहल्ला क्लिनिक
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

17. (क्र. 1551) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना , मुख्यमंत्री मोबाईल योजना, दाई दीदी योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है? यदि

हाँ, तो इसके अंतर्गत किस स्तर के कितने चिकित्सक नर्स एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? उक्त योजना में वर्ष 2021-22 से 15.2.2023 तक कितनी राशि किस-किस मद से प्राप्त हुई एवं कितनी खर्च की गई एवं कितने लाभान्वित हुए, वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** नगर पालिक निगम क्षेत्र धमतरी में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हेतु कितने स्थानों पर कितनी राशि किस मद से जारी की गई है? क्या सभी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? यदि नहीं तो किस-किस स्तर पर लंबित है? क्या निगम के द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग में नाम का परिवर्तन किया गया है, यदि हां तो कारण बतावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 02 मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रति एमएमयू 01 डॉक्टर, 01 नर्स, 01 फार्मासिस्ट, 01 लैब टैक्शियन तथा 01 ड्रायवर कार्यरत है। योजनांतर्गत वर्षवार प्राप्त एवं व्यय राशि तथा लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांश 'ख' की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

राजधानी रायपुर का निर्माणाधीन स्काईवॉक

[लोक निर्माण]

18. (क्र. 1600) श्री धर्मजीत सिंह (श्री शिवरतन शर्मा) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर राजधानी के आंतरिक क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्काईवॉक निर्माण में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है एवं कुल लागत के विरुद्ध, निर्माण एजेंसी को कितना भुगतान किया गया ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि कंडिका "क" के स्काईवॉक निर्माण को निरस्त किया जाकर, उसे हटाए जाने का निर्णय लिया गया है, हां तो क्यों विवरण देवें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि निर्माण एजेंसी को उनके किए गए कार्य का भुगतान नहीं किया गया है ? हां तो क्यों और कितना लंबित हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** खर्च की गई राशि रु. 36.58 करोड़ एजेंसी को भुगतान की गई राशि रु. 28.74 करोड़। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हाँ, आंशिक भुगतान लंबित है, दिनांक 01.03.2019 की बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार स्काईवॉक के निर्माण को शासन द्वारा तत्काल रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कारण राशि रु. 7.00 लाख का भुगतान लंबित है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रामवन गमन पथ का चयन तथा स्वीकृत राशि

[पर्यटन]

19. (क्र. 1697) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राम वनगमन पथ के तहत किन-किन स्थानों का चयन किया गया है एवं वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक उनके विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुए है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राम वनगमन पथ के तहत श्रृंगी-ऋषि आश्रम सिहावा तथा मुकुंदपुर-नगरी (सिहावा) को चयनित किया गया है। वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक चिन्हित स्थलों के विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी वर्षवार **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

नगर पंचायत नगरी में गौरव पथ निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

20. (क्र. 1698) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत नगरी में गौरव पथ सड़क निर्माण कार्य किस वर्ष में, कितनी लागत से किया गया ? **(ख)** उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक एवं निर्माण कार्य पूर्णता तिथि क्या है ? **(ग)** उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक से कितने बार समयावधि बढ़ायी गयी ? क्या उक्त अवधि में ठेकेदार से पेनाल्टी वसूल की गई ? यदि हां तो कितनी ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) गौरव पथ निर्माण कार्य का कार्योदेश दिनांक 26.05.2017 को जारी किया गया है। तदानुसार वर्ष 2017 में गौरव पथ निर्माण कार्य प्रारंभ कर वर्ष 2020 में कार्य पूर्ण किया गया। गौरव पथ का निर्माण लागत राशि ₹.289.00 लाख से किया गया है। (ख) उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति आदेश क्रमांक 4368 दिनांक 06.09.2013 है एवं निर्माण कार्य की पूर्णता तिथि 24.12.2020 है। (ग) उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक से 02 बार समयावधि बढ़ायी गई है। जी नहीं, उक्त अवधि में ठेकेदार से पेनाल्टी वसूल नहीं की गई क्योंकि परिषद की बैठक दिनांक 11.05.2018 को प्रस्ताव क्र.03 में 02 माह की समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं पुनः परिषद की बैठक दिनांक 31.05.2019 को प्रस्ताव क्र.12(4) में 4 माह वर्षा ऋतु को छोड़कर समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। समयावधि में कार्य पूर्ण किया गया।

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 14वें वित्त आयोग में स्वीकृत एवं प्रदत्त राशि का उपयोग न होना
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

21. (क्र. 1711) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 314, दिनांक 21/3/2022 के उत्तर में विभाग ने 14वें वित्त आयोग एवं अधोसंरचना मद दोनों मिलाकर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1215.70 लाख ₹. (वर्ष 2020-21) नगर निगम रायपुर को स्वीकृत एवं प्रदत्त करना बताया गया था ? यदि हां तो क्या दो वर्ष बाद भी राशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं हुई ? यदि हां तो क्यों ? (ख) क्या राशि को वापिस लेकर अन्य कार्य/प्रस्तावों के लिए स्वीकृत किया जाएगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 314, दिनांक 21/03/2022 के उत्तर में नगर पालिक निगम रायपुर हेतु 14वें वित्त आयोग मद में राशि ₹. 3670.63 लाख एवं अधोसंरचना मद में राशि ₹. 5651.57 लाख दोनों मिलाकर कुल राशि ₹. 9322.20 लाख की स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसमें से 14वें वित्त आयोग मद से राशि ₹. 3670.63 लाख एवं अधोसंरचना मद में राशि ₹. 1404.74 लाख, कुल राशि ₹. 5075.37 लाख प्रदत्त राशि व्यय की जा चुकी है। (ख) सम्पूर्ण राशि व्यय होने के कारण राशि वापस करने का प्रश्न ही उदभूत नहीं होता है।

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों हेतु जारी की गई राशि वापस लेने बाबत
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

22. (क्र. 1712) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में अधोसंरचना मद तथा 15वें वित्त आयोग मद एवं बी.एस.यू.पी. मद किसी में भी रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुत किसी भी कार्य के प्रस्ताव पर संचालनालय/मंत्रालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा स्वीकृती नहीं दी गई ? (ख) यदि हां तो प्रस्तुत प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी नहीं, वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में अधोसंरचना मद तथा 15वें वित्त आयोग मद एवं बी.एस.यू.पी. मद में उत्तर विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रेषित प्रस्तावों में से 45 कार्यों की स्वीकृति दी गई है। (ख) कंडिका 'क' अनुसार स्वीकृति दी जा चुकी है।

जिला-कबीरधाम की एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट रैकिंग
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

23. (क्र. 1729) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ योजना आयोग द्वारा जारी एस. डी. जी. डिस्ट्रिक्ट रैकिंग (सतत विकास लक्ष्य) में जिला कबीरधाम की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत जिला कबीरधाम की एस. डी. जी. डिस्ट्रिक्ट रैकिंग (सतत विकास लक्ष्य) प्राप्ति के लिए वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 15 फरवरी 2023 तक कितनी बार किस-किस विभाग

की समीक्षा बैठक हुई ? वर्षवार, जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत जिला कबीरधाम के परफॉर्मेन्स को बेहतर बनाने हेतु क्या-क्या रणनीति बनाई गई और जमीनी स्तर पर क्या-क्या कार्य सुनिश्चित किये गए ? वर्षवार, विभागवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) छत्तीसगढ़ योजना आयोग द्वारा जारी एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग (सतत विकास लक्ष्य) में जिला कबीरधाम का रैंक 07 है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) सतत विकास लक्ष्यों एवं लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं की नियमित व सतत समीक्षा में प्राप्त प्रगति के आधार पर चिन्हित क्षेत्रों के अनुरूप यथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय की रणनीति के आधार पर जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाकर एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में जिला कबीरधाम के परफॉर्मेन्स को बेहतर बनाया जा रहा है। चूंकि एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग दिनांक 27-02-2023 को प्रसारित की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

जिला कबीरधाम के पुरातत्व विभाग के संरक्षण हेतु प्राप्त व व्यय राशि [संस्कृति]

24. (क्र. 1730) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम में वर्ष 2020-21से फ़रवरी 2023 तक पुरातत्व विभाग द्वारा समस्त पुरातत्व स्थलों हेतु कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत प्राप्त राशि किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी, कार्यों का मूल्यांकन किनके द्वारा किया गया? जानकारी वर्षवार प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 - जिला कबीरधाम हेतु आबंटन निरंक वित्तीय वर्ष 2021-22 - जिला कबीरधाम हेतु आबंटन निरंक वित्तीय वर्ष 2022-23 - जिला कबीरधाम हेतु कुल आबंटित राशि रू. 36,65,487/- (ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 निम्नानुसार कार्यों में राशि व्यय की जानकारी:-

क्र.	कार्य/स्थान	स्वीकृत राशि रू.	व्यय राशि	रिपोर्ट
1	राज्य संरक्षित स्मारक छेरकी महल, चौरा, जिला-कबीरधाम में अनुरक्षण एवं अन्य विकास कार्य	8,95,287/-	निरंक	कार्य प्रगति पर है।
2	राज्य संरक्षित स्मारक भोरमदेव मंदिर, जिला कबीरधाम में बाउंड्रीवाल रिनोवेशन, आर्च गेट निर्माण, रेलिंग निर्माण एवं ड्रेनेज कार्य	8,98,200/-	निरंक	
3	उत्खनन स्थल पचराही, जिला-कबीरधाम में चौकीदार कक्ष (कंकालीन टीला के पीछे तथा तालाब किनारे) में विकास कार्य एवं टायलेट निर्माण कार्य।	8,94,000/-	निरंक	
4	उत्खनन स्थल पचराही, जिला-कबीरधाम साईट संग्रहालय में रिनोवेशन, रंगरोगन, पेडेस्टल डिस्मेंटलिंग कर पुनर्निमाण, वाटर प्रूफिंग एवं पाथवे निर्माण कार्य।	9,78,000/-	निरंक	

शस्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्रदत्त लाइसेंस
[गृह]

25. (क्र. 1738) डॉ. प्रीतम राम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक शस्त्र लाइसेंस हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** इनमें से कुल कितने को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए गए व कितनों को शस्त्र लाइसेंस देना शेष है/ शेष बचे शस्त्र लाइसेंस कब तक प्रदान किये जावेंगे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक शस्त्र लाइसेंस हेतु 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ख)** इसमें से कुल 33 शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी गई। 80 शस्त्र लाइसेंस के प्रकरण विचाराधीन हैं। 04 प्रकरण अमान्य किया गया। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रायपुर जिला अंतर्गत दार्शनिक एवं धार्मिक स्थलों जीर्णोधार एवं सौन्दर्यीकरण
[संस्कृति]

26. (क्र. 1740) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायपुर जिला अंतर्गत कौन-कौन से दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनका जीर्णोधार एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना है, इस हेतु संस्कृति विभाग द्वारा किन-किन स्थलों का सर्वे किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : रायपुर जिला के राज्य संरक्षित स्मारकों का जीर्णोधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।

मोबाईल मेडिकल यूनिट में कार्यरत कर्मी व फर्म को भुगतान
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

27. (क्र. 1744) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितने मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित हैं, इनमें कितने व किस संवर्ग के अधिकारी व कर्मचारी रखे जाने के नियम हैं व उन्हें कितना वेतन/मानदेय दिया जाता है? दिनांक 15.2.2023 की स्थिति में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा फर्म के साथ किए गए अनुबंध की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** कंडिका "क" अनुसार मोबाईल मेडिकल यूनिटों के लिए अप्रैल, 2021 से दिनांक 15.2.2023 तक कुल कितने का भुगतान, किस-किस मद में, किस-किस फर्म को किया गया है तथा फर्म के चयन का आधार क्या था?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** प्रदेश में अद्यतन 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालन सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मोबाईल मेडिकल यूनिट में 01 एमबीबीएस डॉक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 01 लैब टेक्निशियन, 01 एएनएम तथा 01 वाहन चालक रखे जाने का प्रावधान है। मोबाईल मेडिकल यूनिट में कार्यरत स्टाफ को अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिसका विवरण **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट में उपरोक्तानुसार कुल 600 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुबंधित फर्मों से किये गये अनुबंध की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** **(ख)** मोबाईल मेडिकल यूनिटों के लिए अप्रैल, 2021 से 15.2.2023 तक एमएमयू संचालन हेतु राशि ₹.58.60 करोड़, दवा क्रय हेतु राशि ₹.21.95 करोड़ एवं प्रचार-प्रसार हेतु राशि ₹.0.47 करोड़ का भुगतान किया गया है। भुगतान मद एवं राशि की फर्मवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।** फर्मों का चयन निविदा, के माध्यम से किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

उप अभियंता (सिविल) की पदोन्नति [लोक निर्माण]

28. (क्र. 1747) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** उप अभियंता (सिविल) के कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** क्या लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता (सिविल) को उप अभियंता (भवन/सड़क) के पद पर कनिष्ठों को प्रभार देकर कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से उप अभियंताओं को प्रभारी बनाया गया है, नाम सहित जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** उप अभियंता (सिविल) के 122 पद रिक्त है। **(ख)** जी नहीं। लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता का वरिष्ठ या कनिष्ठ पद स्वीकृत नहीं है। अतः कनिष्ठ उप अभियंता को वरिष्ठ उप अभियंता का प्रभार देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुलिस कर्मियों का रिस्पांस भत्ता का प्रदाय [गृह]

29. (क्र. 1748) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पुलिस विभाग में रिस्पांस भत्ता किसे दिया जाता है? क्या यह सही है कि थानों में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को ही रिस्पांस भत्ता दिया जाता है ? **(ख)** क्या पुलिस अधीक्षक कार्यालय/रक्षित केन्द्र/अनुविभागीय कार्यालयों में कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता देने का प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या आत्मसात किये गये जनघोषणा पत्र में सभी पुलिस कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता देने का वादा किया गया था? यदि हाँ, तो कब से भत्ता देना प्रारंभ किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** रिस्पांस भत्ता जिला बल के थानों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिया जाता है। जी हाँ **(ख)** जी नहीं। थानों में पदस्थ निरीक्षक से आरक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने की स्वीकृति है। **(ग)** आत्मसात किये गये जनघोषणा पत्र में पुलिस कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता देने वाबत् कोई घोषणा नहीं की गई थी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग से सम्बंधित घोषणा का क्रियान्वयन [लोक निर्माण]

30. (क्र. 1751) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2019 से दिनांक 15/02/2023 तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिला बिलासपुर अन्तर्गत विभाग से सम्बंधित कितनी घोषणा की गई ? उनमें कितनी पूर्ण हैं व कितनी अपूर्ण व अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जायेगा, जानकारी दें? **(ख)** माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रशांश "क" अवधि में शिलान्यास करने के पश्चात् कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ हैं व निर्धारित समय में अपूर्ण हैं व क्यों ? बिलासपुर जिले की विधानसभावार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों को सामग्री का वितरण एवं श्रमिक कार्ड का निर्माण [श्रम]

31. (क्र. 1755) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत श्रम विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक कितनी-कितनी सिलाई मशीन, साईकिल व श्रमिक औजार का वितरण किया गया है? **(ख)** प्रशांश "क" की अवधि में श्रमिक कार्ड हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं, कितने लंबित हैं, कितने निरस्त हुए और कितने कार्ड बने हैं, जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक) में सिलाई मशीन, साईकिल व श्रमिक औजार का वितरण की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत श्रमिक कार्ड (पंजीयन) हेतु प्राप्त आवेदन, लंबित आवेदन, निरस्त आवेदन एवं श्रमिक पंजीयन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत श्रमिक कार्ड बनाये जाने का प्रावधान नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चाम्पा के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कराए गए कार्यों में व्यय राशि
[पर्यटन]

32. (क्र. 1756) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चाम्पा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां और कितनी लागत राशि के किए गए, जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक "क" के वर्षों में जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चाम्पा में, कहां-कहां पर पर्यटन स्थल चिह्नित किए गए हैं, विकासखण्डवार, बतायें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चांपा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विगत 03 वर्षों में जांजगीर चांपा जिले में कराये गये कार्य, स्थल एवं लागत राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' के वर्षों में जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चांपा में कोई पर्यटन स्थल चिह्नित नहीं किए गए हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

आर.के.ट्रांसपोर्ट एवं कन्सट्रक्शन लिमिटेड कोरबा के द्वारा सम्पादित कार्य
[लोक निर्माण]

33. (क्र. 1760) श्री नारायण चंदेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित आर.के.ट्रांसपोर्ट एवं कन्सट्रक्शन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019 से 2023 तक लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कौन-कौन से सड़क निर्माण/भवन निर्माण कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के संपादित किये गये हैं? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? क्या कंपनी को स्वीकृत कार्यों में से कुछ कार्य निरस्त भी किये गये हैं, यदि हां तो क्यों? (ख) प्रश्नांक 'क' के संस्थान/फर्म के संचालक कौन-कौन हैं एवं कब से संचालित है? (ग) प्रश्नांक 'क' के अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य/अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आयी हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशील कुमार सिंघल, श्रीमती संजोली पंसारी, दिनांक 03.06.2014 से संचालित। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]

34. (क्र. 1763) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कितने-कितने लागत राशि से कराये गये हैं, कार्य का नाम, लागत राशि सहित जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, अतः जानकारी निरंक है।

जांजगीर चांपा जिले में जारी किये गये नये राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

35. (क्र. 1764) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर - चांपा जिले में अप्रैल, 2022 से दिनांक 15.02.2023 तक कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं, ब्लॉकवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जांजगीर चांपा जिले में अप्रैल, 2022 से दिनांक 15.02.2023 तक बनाये गये नवीन राशनकार्ड की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विकासखंड	बनाये गये नवीन राशनकार्ड की संख्या
1	नवागढ़	6659
2	पामगढ़	6694
3	अकलतरा	6014
4	बलौदा	3886
5	बम्हनीडीह	5133
	कुल	28386

राज्य उत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के आयोजन में व्यय राशि

[संस्कृति]

36. (क्र. 1766) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022 में राज्य उत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? उक्त आयोजन में किन-किन देशों तथा देश के किन-किन राज्यों तथा छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से जिला के कितने-कितने कलाकारों ने भाग लिया, कलाकारों को कितनी-कितनी राशि एवं क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायीं गयीं? पृथक-पृथक बतावें। (ख) क्या आदिवासी महोत्सव का बहिष्कार कर छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी बाहुल्य जिलों ने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया? यदि हाँ तो किन-किन जिलों द्वारा बहिष्कार किया गया था? जिलों के नाम बतावें। (ग) प्रश्नांश 'क' के आयोजन में किन-किन विभागों एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा राज्य उत्सव स्थल पर स्टॉल लगाए गए थे? कितनी राशि आयोजन में खर्च की गई? विभागवार / उपक्रमवार बतावे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वर्ष 2022 में राज्य उत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 नवम्बर से 03 नवम्बर 2022 तक किया गया। उक्त आयोजन में 09 देशों से 103 कलाकार तथा देश के 29 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों 878 कलाकारों ने भाग लिया तथा उक्त आमंत्रित कलाकारों को भोजन, आवास एवं परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करायी गई। (ख) आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिलों से करमा नृत्य-राजनांदगांव एवं भुंजिया नृत्य-गरियाबंद के लोक कलाकार दलों ने भाग लिया, तदनुसार बहिष्कार का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। (ग) राज्योत्सव स्थल में स्टॉल लगाए गए विभाग एवं सरकारी उपक्रमों से संबंधित वांछित जानकारी विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण उत्तर निरंक माना जावे।

बहुमंजिला आवासीय परिसरों में पेयजल हेतु नल कनेक्शन एवं जलकर

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

37. (क्र. 1770) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या बहुमंजिला आवासीय परिसरों में नल कनेक्शन दिये जाने व शुल्क को लेकर विभाग द्वारा कोई नियम/आदेश जारी किया गया है ? यदि हां तो क्या-क्या ? क्या इस विषय में राजपत्र में भी कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है? यदि हां तो कब-कब और क्या ? (ख) कंडिका "क" के नियम/आदेश/अधिसूचना को क्या

रायपुर नगर निगम ने लागू किया गया है ? यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों ? (ग) रायपुर में कंडिका "क" के परिसरों में किस-किस दर से, किस आधार पर जलकर (टैक्स) लिया जा रहा है? क्या शासन के नियम/आदेश/अधिसूचना के अनुसार जल कर लिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या रायपुर में बहुमंजिला आवासीय परिसरों में अलग-अलग दरों से जलकर लिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों और किस आधार पर ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बहुमंजिला आवासीय परिसरों में जल आपूर्ति किये जाने हेतु जलकर की न्यूनतम दर के संबंध में विभाग द्वारा छ.ग. राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ-5-190/18/2005 रायपुर दिनांक 03 फरवरी 2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4/18/2011 दिनांक 12 जनवरी 2011 को जारी किया गया है। अधिसूचना की प्रति **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से रायपुर नगर निगम में लागू है। मीटर आधारित दर पर जलकर संग्रहण रायपुर नगर निगम में लागू नहीं किया गया है। (ग) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 5-4/18/2011 दिनांक 12 जनवरी 2011 के अनुसार जलकर लिया जा रहा है। (घ) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

लोक निर्माण विभाग को प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि

[लोक निर्माण]

38. (क्र. 1774) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग को कितने बजट का आबंटन प्राप्त हुआ है? (ख) उक्त आबंटन में कितने कार्य स्वीकृत किए गए थे, विधानसभा वार जानकारी दें? (ग) उक्त कार्यों में कितनी राशि के कार्य पूर्ण हो गए हैं, कितने कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं? विधानसभा वार कितनी राशि व्यय की गई है? (घ) प्रदेश के लिए आबंटित बजट में कितनी राशि व्यय नहीं की जा सकी है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। (घ) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

प्रदेश में धान की खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 1776) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है, जिलेवार बताएं? (ख) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में धान की खरीदी में कुल कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्रय किए गए धान की मिलिंग करने के बाद कितनी मात्रा में चावल फूड कॉरपोरेशन को दिया गया है? इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि राज्य को प्राप्त हुई है? (घ) इस प्रक्रिया में राज्य को कितनी हानि या लाभ हुई है, वर्षवार बताएं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांकित अवधि में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ वर्ष	धान की खरीदी की मात्रा (लाख मेट्रिक टन में)
2019-20	83.94
2020-21	92.02
2021-22	97.99
2022-23	107.53

वर्षवार, जिलेवार धान खरीदी की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)प्रश्नांश 'क' अनुसार धान खरीदी हेतु मार्कफेड द्वारा व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

खरीफ विपणन वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
धान खरीदी में कुल व्यय राशि	15772.92	17838.86	19788.44	22112.07

(ग) समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए धान की मिलिंग करने पश्चात् फूड कॉरपोरेशन मे जमा चावल की मात्रा एवं इसके लिए केंद्र सरकार से राज्य को प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ वर्ष	भारतीय खाद्य निगम मे जमा चावल(लाख मेट्रिक टन में)	भारतीय खाद्य निगम मे जमा चावल से केंद्र सरकार से राज्य को प्राप्त राशि(राशि करोड़ में)
2019-20	26.38	8037
2020-21	22.84	7195
2021-22	32.45	10260
2022-23 (दिनांक 09.03.2023 की स्थिति में)	22.91	5428

(घ) प्रश्नावधि में अंकेक्षित लेखाओं की अंतिमीकरण की कार्यवाही भारत सरकार से प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

अनुकम्पा नियुक्ति की जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

40. (क्र. 1779) श्री दलेश्वर साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हाँ तो वर्ष 2020 से जनवरी, 2023 तक प्रदेश में कितने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राप्त हुए है? उक्त प्रकरणों में कितने लोगों को, किन-किन पदों पर नियुक्ति दी गयी है और कितने प्रकरण, किस कारण से लंबित है? वर्तमान में कितने पद अनुकम्पा हेतु आरक्षित या रिक्त हैं? लंबित प्रकरण की जिलेवार, पदवार, वर्षवार जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : 1. जी हां । वर्ष 2020 से जनवरी 2023 तक संचालनालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के शासकीय पदों में अनुकम्पा नियुक्ति संबंधित जानकारी निरंक है एवं संचालनालय (यां.प्र.)/क्षेत्रीय कार्यालय (यां.प्र.) में 01 अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ** अनुसार है । 2. वर्ष 2020 से जनवरी 2023 तक प्रदेश की स्थानीय नगरीय निकायों में 460 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार हैं ।

राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत डोंगरगांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

41. (क्र. 1780) श्री दलेश्वर साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत डोंगरगांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रारम्भ नहीं होने के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं? उक्त प्लांट को प्रारम्भ करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं? किये गये कार्यों की अद्यतन जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : राजनांदगाव जिले के नगर पंचायत डोंगरगांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना स्वीकृत है। निकाय द्वारा दिनांक 27.04.2018 एवं दिनांक 01.08.2018 को 02 बार निविदा आमंत्रित किया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रारंभ नहीं होने के प्रमुख कारण फर्मों द्वारा जारी निविदा में भाग नहीं लेना है। निविदा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा के प्री-क्वालिफिकेशन सेक्शन में आंशिक संशोधन करते हुए ज्वाइंट वेंचर की अनुमति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् निकाय द्वारा दिनांक 28.08.2019 को पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई। इस निविदा में भी किसी भी फर्म द्वारा भाग नहीं लिया गया। अद्यतन निविदा प्राप्त न होने के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है।

राजनांदगाव जिले के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थल [पर्यटन]

42. (क्र. 1783) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगाव जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां पर, कितनी लागत के स्वीकृत किए गए ? वर्षवार पर्यटन वार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के वर्षों में राजनांदगाव जिले में कहां-कहां पर पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं ? विकासखंड वार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) राजनांदगाव जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विगत 03 वर्षों में किये गये कार्य, लागत राशि की जानकारी वर्षवार पर्यटन वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के वर्षों में राजनांदगाव जिले में कोई भी पर्यटन स्थल चिन्हित नहीं किये गये है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

खुज्जी विधानसभा श्रेत्रांतर्गत श्रमिकों का पंजीयन एवं लाभान्वित हितग्राही [श्रम]

43. (क्र. 1784) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 -22 से 28 फरवरी 2023 तक श्रम विभाग द्वारा कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है ? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के वर्षों में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की मंडलवार, वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) प्रश्र्कित अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा लाभान्वित श्रमिकों एवं व्यय की मंडलवार, योजनावार, विकासखंडवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

बस्तर संभागान्तर्गत जारी बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल कार्ड [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 1787) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कितने बी0पी0एल0 राशन कार्ड बनाये गये हैं? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में कितने बी0पी0एल0 कार्ड को ए0पी0एल0 कार्ड में तथा ए0पी0एल0 कार्ड को बी0पी0एल0 कार्ड के रूप में परिवर्तित किया गया? जिलेवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्रांकित अवधि में बी.पी.एल. कार्ड को ए.पी.एल. कार्ड में तथा ए.पी.एल. कार्ड को बी.पी.एल. कार्ड में परिवर्तन करने की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

जिला	बस्तर	बीजापुर	दंतेवाडा	कांकेर	कोण्डागांव	नारायणपुर	सुकमा
बीपीएल से एपीएल	8	0	0	0	1	68	2
एपीएल से बीपीएल	605	348	545	0	869	191	163

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्व्यावन" \]](#)

बस्तर संभागान्तर्गत श्रमिक कल्याण हेतु शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[श्रम]

45. (क्र. 1788) श्री बघेल लखेश्वर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) श्रमिक विभाग के द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं/कार्यक्रम चलाए जा रहे है ? (ख) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से फरवरी, 2023 तक कितने श्रमिकों ने श्रमिक पंजीयन करवाया है? वर्षवार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवे? (ग) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से फरवरी, 2023 तक कितने पंजीकृत श्रमिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक श्रमिक पंजीयन की मंडलवार, वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है। (ग) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 45791 निर्माण श्रमिकों, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 1579 असंगठित कर्मकारों तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा 20 संगठित श्रमिकों को मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभांशित किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

गरियाबंद जिला अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा मार्ग से अपराध पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों
[गृह]

46. (क्र. 1789) श्री अमितेश शुक्ल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 में 15.02.203 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा कितने-कितने प्रकरणों में मार्ग कायम किया गया ? मार्ग कायम प्रकरणों में से कितने-कितने प्रकरणों में जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया ? (ख) कंडिका "क" के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों में से कितने-कितने प्रकरणों में कब-कब न्यायालय में चालान पेश किया गया ? (ग) क्या यह सही है, कि मार्ग से अपराध पंजीबद्ध करने में विलंब किए जाने का मामला प्रकाश में आया है ? हां, तो इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिला गरियाबंद में वर्ष 2021-22 में 484 मार्ग पंजीबद्ध किया गया, जिनमें से 113 प्रकरणों में जांच उपरान्त अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्ष 2022-23 में 416 मार्ग पंजीबद्ध किया गया। जांच के उपरान्त 119 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। (ख) जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। (ग) जी हां। मार्ग से अपराध पंजीबद्ध करने में थाना राजिम के मार्ग क्रमांक 17/2021 धारा 174 जा0फौ0 में विलंब हुआ है। विलंब से अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में विवेचक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

राजिम माघी पुत्री मेला हेतु शासन से प्राप्त एवं व्यय राशि
[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

47. (क्र. 1790) श्री अमितेश शुक्ल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 में 15.02.2023 तक राजिम माघी पुत्री मेला हेतु शासन से कितनी-कितनी राशि का आबंटन उपलब्ध कराया गया है ? उपलब्ध आबंटन के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? मद्दार विस्तृत विवरण देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के तहत कराये गये कार्यों के क्रियान्वयन तथा राशि व्यय करने के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड हैं ? क्या शासन निर्देशों का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ? शासन निर्देश की प्रति सहित विवरण देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** कलेक्टर गरियांबद से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022-23 में 15.02.2023 तक राजिम माघी पुत्री मेला हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा 25.00 लाख रूपये एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 300.00 लाख रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। कराये गये कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" के तहत कराये गये कार्यों के क्रियान्वयन तथा राशि व्यय करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम क्रमांक-एफ 20-70/2004/11 (6) दिनांक 09.05.2022 का पालन किया गया है। निर्देश की प्रति **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

आवासीय कॉलोनियों में बिल्डर्स द्वारा निर्धारित सुविधाएं पूर्ण नहीं करने संबंधी शिकायत पर कार्यवाही
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

48. (क्र. 1791) श्री रामकुमार यादव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 02 वर्षों में रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-6 के अंतर्गत आवासीय कॉलोनियों में बिल्डर्स द्वारा निर्धारित सुविधाएं पूर्ण नहीं करने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** यदि हाँ तो शिकायतों पर नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवे ? **(ग)** यदि नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** विगत 02 वर्षों में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 06 अंतर्गत कुल 02 शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 06 अंतर्गत प्राप्त शिकायत के आधार पर किये गये कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:- 1. चन्द्रा टॉउन को निगम द्वारा पत्र क्र. 787, दिनांक 21.12.2021 को नोटिस दिया गया है। दिनांक 06.01.2022 को कॉलोनाइजर चन्द्रा टॉउन का पत्र प्राप्त हुआ कि उनके कॉलोनी विकास करने की रेरा द्वारा तिथि 31.12.2022 तक नियत की गई है। उसके पश्चात् चन्द्रा टॉउन के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति में सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल एवं उद्यान का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जल प्रदाय एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य अपूर्ण है एवं कार्य प्रगतिरत है। कालोनी के बंधक भू-खण्ड मुक्त नहीं किये गये है। 2. नगर निगम रायपुर पत्र क्र. 381, दिनांक 25.08.2020 को सिमरन सिटी के कॉलोनाइजर को नोटिस दिया गया। कॉलोनाइजर द्वारा नोटिस मिलने के पश्चात् कॉलोनी से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तथा निगम द्वारा कॉलोनी विकास के संबंध में पुनः दिनांक 08.10.2020 एवं 09.10.2020 को नोटिस दिया गया। जिसके पश्चात् दिनांक 19.10.2020 को उनके द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया कि भवन निर्माण का कार्य पूर्ण है एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है। वर्तमान स्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत अभिन्यास अनुसार विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

पी.डी.एस. का चावल राशन कार्डधारियों को न देकर इसे राईस मिल या खुले बाजार में बेचा जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

49. (क्र. 1792) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्ष 2022-23 में रायपुर जिले अंतर्गत पी.डी.एस. का चावल राशन कार्डधारियों को न देकर राईस मिल या खुले बाजार में बेचे जाने की शिकायत/ जानकारी प्राप्त हुई है? **(ख)** यदि हां तो इस वित्तीय वर्ष में किन-किन

दुकानों के लिए आबंटित चावल को बाहर बेचे जाने की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है व क्या कार्यवाही की गई है? कुल कितना चावल जब्त किया गया है तथा कितने लोगों को दोषी पाया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी नहीं, वर्ष 2022-23 में रायपुर जिला अन्तर्गत पीडीएस का चावल राशनकार्डधारियों को न देकर राईस मिल या खुले बाजार में बेचे जाने की शिकायत/जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।(ख) प्रश्नांश "क" की जानकारी के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारोशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1769) की जानकारी

प्रपत्र

मेसर्स मां भगवती कंस्ट्रक्शन बिलासपुर को आबंटित कार्यों की सूची (दिनांक 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2023 के मध्य)

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रूपये (लाखों में)	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र.
1	2	3	4	5	6
1	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	बिलासपुर के शिवटिकारी से विस्ता मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल पुलियों सहित।	628.65	06.04.2021	111 / डी.एल. / 2021-22
2	मुंगेली संभाग	जिला मुंगेली के मेन रोड़ केनाल से तखतपुर रोड़ (बोढमी) लंबाई 5.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	577.73	08.06.2021	67 / डी.एल. / 2021-22
3	मुंगेली संभाग	लोरमी उपसंभाग अंतर्गत कोटा-लोरमी-पण्डरिया मार्ग के कि.मी. 35/10, 38, 39/4 = 1.60 कि.मी., मुंगेली-लोरमी मार्ग के कि.मी. 13/2- 15/6, 19/8-26/8=9.8 कि.मी., बोधापारा बोड़तरा मार्ग के कि.मी. 10/2 से 14/8=4.80 कि.मी., बोड़तरा पथर राधेपुर डिंडौरी मार्ग के कि.मी. 1/2 से 14/8=13.80 कि.मी., विजयपुर-खटोलीया मार्ग के कि.मी. 5/2 से 10/4=5.40 कि.मी., चंदेरी धौरामाट मार्ग के कि.मी. 1/2=200मीटर में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच रिपेयर कार्य।	50.00	23.10.2021	68 / डी.एल. / 2021-22
4	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के हॉल एवं लेब में एल्युमिनियम ग्लेज्ड पार्टिशन का कार्य।	19.47	09.11.2021	97 / डी.एल. / 2021-22
5	मुंगेली संभाग	मुंगेली-लोरमी मार्ग के कि.मी. 26/10 एवं 27/2 में विशेष मरम्मत का कार्य।	19.80	27.12.2021	79 / डी.एल. / 2021-22
6	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	तारबाहर नगपुरा मार्ग के कि.मी. 1 एवं 2/2 कुल लंबाई 1.20 कि.मी. में साईड ड्रेन का निर्माण कार्य।	210.17	19.05.2021	09 / डी.एल. / 2022-23

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रुपये (लाखों में)	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र.
1	2	3	4	5	6
7	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग कोनी बिलासपुर अंतर्गत कोनी रमतला मार्ग एवं सेंदरी रमतला मार्ग में बी.टी. पेच का कार्य।	20.00	20.05.2022	42/डी.एल. /2022-23
8	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग कोनी बिलासपुर के रतनपुर सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	20.00	20.05.2022	44/डी.एल. /2022-23
9	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग क्र.-2 बिलासपुर के उपखण्ड सीपत में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत का कार्य।	20.00	21.07.2022	93/डी.एल. /2022-23
10	चांपा संभाग	जिला जांजगीर चांपा के डूमरपाली से सेमरिया तक सड़क निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित लं. 1.50 कि.मी.।	147.48	17.10.2022	104/डी.एल. /2022-23
11	चांपा संभाग	जिला जांजगीर चांपा के जोरेला से नहर पार होते हुए ढाबाडीह तक सड़क निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित लं. 9.00 कि.मी.।	253.99	12.10.2022	105/डी.एल. /2022-23
12	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	जिला बिलासपुर के बैमा नगोई मुख्य मार्ग से आवासपारा पौसरा पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई 1.70 कि.मी.।	191.44	20.10.2022	120/डी.एल. /2022-23
13	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	जिला बिलासपुर के लखराम मुख्य मार्ग से सरवन देवरी पहुंच मार्ग लंबाई 1.35 कि.मी. का निर्माण कार्य।	145.33	13.10.2022	121/डी.एल. /2022-23
14	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग कोनी बिलासपुर के रतनपुर सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	20.00	02.11.2022	126/डी.एल. /2022-23

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रूपये (लाखों में)	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र.
1	2	3	4	5	6
15	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2021-22 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में एस. आर., एम.ओ.डब्ल्यू एवं मरम्मत कार्य।	19.54	09.02.2022	140/डी.एल. /2021-22
16	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद में उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर रतनपुर मार्ग (फोरलेन) के कि.मी. 2/2 से 4/10 में बी.टी. पेच स्पियर का कार्य।	20.00	24.11.2022	147/डी.एल. /2022-23
17	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	केंवटाडीह टंगर सुलोनी मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी., विद्याडीह भुरकुंडा मार्ग लं. 3.50 कि.मी. एवं झिरिया मंदिर पहुंच मार्ग लं. 0.70 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	99.87	28.04.2022	149/डी.एल. /2022-23
18	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	पताईडीह जैतपुरी मनवा मार्ग लं. 7.50 कि.मी. 1 से 4, भटचौरा रहटाटोर मार्ग लं. 4.00 कि.मी. एवं भटचौरा से मनवा कुकुदरी खपरी घोबरी मार्ग लं. 5.60 कि.मी. में से 3.60 कि.मी. 1/2 से 4/6 में डामर नवीनीकरण का कार्य।	154.79	28.04.2022	150/डी.एल. /2022-23
19	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	लो.नि.वि. उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत जंजीराडीह पहुंच मार्ग लं. 2.00 कि.मी., रानीगांव पहुंच मार्ग लं. 1.60 कि.मी. एवं गतौरी कछार मार्ग लं. 4'00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	99.38	04.03.2022	151/डी.एल. /2022-23

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रूपये (लाखों में)	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र.
1	2	3	4	5	6
20	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	लो.नि.वि. उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत जुनाशहर भेलवापारा मार्ग 1.80 कि.मी. मदनपुर पहुंच मार्ग लं. 1.00 कि.मी., जाली पहुंच मार्ग लं. 1.60 कि.मी. बेलतरा भद्रापारा मार्ग लं. 0.90 कि.मी. जाली काटीपारा मार्ग लं. 0.50 कि.मी. नगोई हरदीडीह उर्तुम मार्ग लं. 4.75 कि.मी. एवं सेमरा पोंडी मार्ग लं. 3.00 कि.मी.में डामर नवीनीकरण का कार्य।	179.55	04.03.2022	152/डी.एल. /2022-23
21	संभाग क्र.-2 बिलासपुर	बिलासपुर के समझील से राजपुर मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 3.80 कि.मी.।	524.64	07.12.2022	85/डी.एल. /2022-23
22	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	सर्किट हाऊस बिलासपुर में ट्रांजिस्ट हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य वा.स.से.फि. एवं विद्युतिकरण गार्डनिंग एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	952.23	07.12.2022	177/डी.एल. /2022-23
23	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	संजयतरण पुष्कर से इंदू चौक एवं सिम्स तिराहा से बिलासा चौक में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच स्पेयर कार्य।	20.00	23.12.2022	178/डी.एल. /2022-23
24	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	बिल्हा बरतोरी अमलडीहा मार्ग के कि.मी. 1/2 से 10/10 = 10.00 कि.मी. में मजबूतीकरण एवं बी.टी. सिनिवल का कार्य।	928.64	27.12.2022	215/डी.एल. /2022-23
25	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	बिल्हा बरतोरी अमलडीहा मार्ग के कि.मी. 11/6 से 18/08 = 7.40 कि.मी. में मजबूतीकरण एवं बी.टी. सिनिवल का कार्य।	619.00	11.01.2023	214/डी.एल. /2022-24
26	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत उपसंभाग क्र.-1 बिलासपुर के अंतर्गत राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच स्पेयर कार्य।	20.00	25.04.2022	208/डी.एल. /2022-23

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रूपये (लाखों में)	निविदा स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र.
1	2	3	4	5	6
27	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद अंतर्गत बिलासपुर पासीद मार्ग में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच रिपेयर कार्य।	19.94	25.04.2022	224/डी.एल./2022-23
28	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद में उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत सिंघरी लखराम मार्ग के कि.मी. 3/8 से 9/10 एवं लखराम पौंसरा मार्ग के कि.मी. 3/8 से 5/10 में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य।	20.00	28.06.2022	202/डी.एल./2022-23
29	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	वर्ष 2022-23 के वार्षिक संधारण मद में उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत बहतराई बिजौर परसाही मार्ग का बी.टी. पेच कार्य।	20.00	28.06.2022	201/डी.एल./2022-23
30	मुंगेली संभाग	व्यवहार न्यायालय लोरमी के न्यायिक कर्मचारियों के लिए 01 नग जी टाईप, 07 नग एच टाईप, 04 नग आई टाईप आवासगृह, सी. सी. एप्रोच रोड एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	156.71	16.11.2022	44/डी.एल./2022-23
31	संभाग क्र.-1 बिलासपुर	बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर (चकरभाठा) का 3 C-VRF केटेगरी से 3 C-IFR केटेगरी में उन्नयन कार्य।	995.43	20.01.2023	223/डी.एल./2022-23

Seem
मुख्य अभियंता (यो.)
कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 537) की जानकारी

प्रपत्र

जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित कारखानों में संचालित व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी (दिनांक 14.02.2023 तक की स्थिति में)

क्र	कारखाने का नाम एवं पता	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केंद्र संचालन की स्थिति	व्यवसायजन्य केंद्र कब से संचालित है	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केंद्र कारखाने द्वारा संचालित है अथवा बाहरी एजेंसी द्वारा (यदि एजेंसी द्वारा है तो नाम बताएं)	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त कुल कारखाना चिकित्सा अधिकारी की संख्या	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त कुल पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स - प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- हथनेवरा, पोस्ट- चांपा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 1994 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	4	17
2	मेसर्स - नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, (लाफार्ज इंडिया लिमिटेड), गोपालनगर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 1982 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	4
3	मेसर्स- के.एस.के. महानदी पावर कं. लिमिटेड, ग्राम- नरियरा, तहसील- अकलतरा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2014 से	रेनुका डायगनोस्टिक पैथालाजी, महाराणा प्रताप चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.)	5	9

क्र	कारखाने का नाम एवं पता	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र संचालन की स्थिति	व्यवसायजन्य केन्द्र कब से संचालित है	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र कारखाने द्वारा संचालित है अथवा बाहरी एजेंसी द्वारा (यदि एजेंसी द्वारा है तो नाम बताएं)	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त कुल कारखाना चिकित्सा अधिकारी की संख्या	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त कुल पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
4	मेसर्स- अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट, 2x500 मेगावाट, छ.ग.रा.वि. उ.क.लि., ग्राम-तेन्दुभाठा, पोस्ट- सरखों, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2015 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	5	12
5	मेसर्स- छ. ग. स्टील एण्ड पावर लि., ग्राम- अमझर तह. - चांपा, जिला- जाजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2017 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3
6	मेसर्स- एम.व्ही.के. बायो एनर्जी प्रा. लि., ग्राम- अमरताल, तह.- अकलतरा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2022 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3
7	मेसर्स- श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पावर प्रा. लि. ग्राम- बनारी (नैला), पोस्ट- जांजगीर, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2022 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3


क्र	कारखाने का नाम एवं पता	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र संचालन की स्थिति	व्यवसायजन्य केन्द्र कब से संचालित है	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र कारखाने द्वारा संचालित है अथवा बाहरी एजेंसी द्वारा (यदि एजेंसी द्वारा है तो नाम बताएँ)	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त कुल कारखाना चिकित्सा अधिकारी की संख्या	व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त कुल पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
8	मेसर्स- शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि. ग्राम- महुदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2013 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3
9	मेसर्स- श्री श्याम ऑयल एक्स्ट्रेक्शन प्रा. लि., ग्राम- बनारी, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2023 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3
10	मेसर्स- महेन्द्रा पावर प्रा. लि., ग्राम- मड़वा, तह.- चांपा, जिला - जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	संचालित	वर्ष 2018 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	1	3
11	मेसर्स - साकेत आक्सीजन प्रा. लि., घोटाही चौक, पोस्ट- चांपा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2004 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	निरंक (नियमानुसार चिकित्सक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं)	2
12	मेसर्स- शौर्य रिसायकलिंग प्रा. लि., ग्राम- मड़वा, पोस्ट- बसंतपुर (जांजगीर) जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	संचालित	वर्ष 2012 से	कारखाना प्रबंधन द्वारा	निरंक (नियमानुसार चिकित्सक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं)	3

पारिशद - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1709) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	मद का नाम/ आदेश क्रमांक एवं दिनांक	वर्ष	स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत राशि लाख रू.	अपूर्ण कार्य पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	14वां वित्त आयोग मद संचालनालय का आदेश क्रमांक/या.प्र./5(1)/14वां वित्त/ 12275 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.03.2021	2020-21	तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 अंतर्गत राठौर चौक से तेलघानी नाका चौक तक नाला निर्माण कार्य। तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 अंतर्गत सिधी स्कूल के पास से राठौर चौक तक नाला निर्माण कार्य।	38.77	- वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है। - प्रस्तावित स्थल से विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के कारण कार्य लंबे समय तक लंबित रहा। वर्तमान में विद्युत पाले एवं ट्रांसफार्मर को सी.एस.ई.बी. द्वारा हटा लिया गया है एवं कार्य प्रारंभ करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया है।
2				46.59	कार्य प्रगति पर है।
3			गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्र. 29 अंतर्गत अनुव्रत कॉम्प्लेक्स शंकर नगर से जगन्नाथ नगर सुलम शौचालय के मध्य नाला निर्माण कार्य।	97.09	- वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है। - दिनांक 14.02.2023 को ठेकेदार को अंतिम नोटिस में उनकी अमानत राशि जब करने एवं पुनः निविदा बुलाये जाने के संबंध में सूचना जारी किया गया है।
4	अधोसंरचना मद संचालनालय का आदेश क्रमांक/878/ बार/ले.अनु./2021-22 नवा रायपुर, दिनांक 01.06.2021	2021-22	गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्र. 29 अंतर्गत जगन्नाथ नगर सुलम शौचालय से गोरखा कॉलोनी तक कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	134.01	- वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है। - मेयर इन कॉउंसिल के संकल्प क्रमांक 11 पारित दिनांक 16.06.2022 अनुसार कार्य करने हेतु संशोधित कार्यदिश दिनांक 13.07.2022 को 10 माह की समयावधि के लिये दिया गया है।
5			शंकर नगर वार्ड क्र. 30 अंतर्गत गोरखा कॉलोनी से दुर्गा मैदान तक कवर्ड आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	146.49	- वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। - ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण दिनांक 28.02.2023 को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
			योग	462.95	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन

परीशेष्ट - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1757) की जानकारी

प्रपत्र

गोदाम निर्माण की वर्षवार जिलावार जानकारी

वर्ष 2019-20

क्रमांक	जिला का नाम	शाखा का नाम	निर्मित क्षमता (मे. टन)	कुल अनुबंधित लागत (लाख में)
01	राजनांदगाँव	डोंगरगाँव	7200	363.475
02	मुंगेली	लोरमी	1800	171.644
03	कोरबा	पाली	7200	353.148
		कटघोरा	10800	473.133
04	बलरामपुर	वाड्डफनगर	3600	202.745
		राजपुर	5400	291.82

वर्ष 2020-21

क्रमांक	जिला का नाम	शाखा का नाम	निर्मित क्षमता (मे. टन)	कुल अनुबंधित लागत (लाख में)
01	कोरबा	कोरबा	5400	277.653
02	अम्बिकापुर	सीतापुर	10800	453.844
03	कोरिया	जनकपुर	3600	226.259


वर्ष 2021-22

क्रमांक	जिला का नाम	शाखा का नाम	निर्मित क्षमता (मे. टन)	कुल अनुबंधित लागत (लाख में)
01	बेमेतरा	साजा	3600	166.06
02	बलरामपुर	कुसमी	5400	294.859
		सनावल	3600	212.72

प्रपत्र

वर्ष 2022-23

क्रमांक	जिला का नाम	शाखा का नाम	निर्मित क्षमता (मे. टन)	कुल अनुबंधित लागत (लाख में)
01	रायपुर	धरसीवा	10800	550.71
		खरोरा	7200	367.45
		तिल्दा	16200	859.914
		अभनपुर	7200	332.651
02	जगदलपुर	करपावंड	5400	308.308
03	जांजगीर	अकलतरा	3600	148.566
		बोडासागर	10800	462.258
		चंद्रपुर	7200	413.32
		सक्ती	7200	350.37
04	सरगुजा	लखनपुर	9000	428.705
		बतौली	20000	928.325
05	बिलासपुर	करगीरोड	7200	414.024
		तखतपुर	7200	402.366
06	सुकमा	सुकमा	3600	211.725
07	रायगढ़	सारंगढ़	2800	131.09
		धरमजयगढ़	3600	171.013
08	बलरामपुर	रामानुजगंज	3600	205.846


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष-क्रमांक - 1
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 419) की जानकारी

प्रपत्र—'अ'

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों हेतु बजट में स्वीकृत राशि की
जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ में)
1	संस्कृति विभाग	2019 –20	5.00
2	पर्यटन विभाग	2020–21	1.00
		2021–22	30.00
		2022–23	30.00
3	राजस्व एवं आपदा पबंधन विभाग	2020–21	24.99
4	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	2020–21	20.93
5	जल संसाधन विभाग	2021–22	9.44
		2022–23	6.06
6	कलेक्टर जिला कोरिया (डीएमएफ मद से)	2021–22	2.50
7	कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (डीएमएफ मद से)	2022–23	6.00
8	कलेक्टर जिला बलौदाबाजार (डीएमएफ मद से)	2022–23	5.00
9	कलेक्टर जिला सरगुजा (डीएमएफ मद से)	2022–23	2.50
कुल राशि			143.42

प्रपत्र-‘ब’

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के स्थलों में विकास कार्यों की जानकारी

क्र	स्थल का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि रु. (करोड़ में)	क्रियान्वयन एजेंसी
1	चंदखुरी (रायपुर)	प्रथम चरण — रिटेनिंग वॉल घाट डेवलपमेंट एवं 4 कियोस्क (पैगौड़ा), प्रशासनिक ऑफिस, पब्लिक टॉयलेट, ज्योत हॉल, ब्रिज, एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, तालाब, लैंड स्केपिंग एंड फैंसिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बड़ा प्रवेश द्वार स्वीकृत	7.86	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
		द्वितीय चरण — तालाब गहरीकरण, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग एवं घाट डेवलपमेंट, छोटा प्रवेश द्वार, साइनेजेस, दीप स्तंभ, श्रीराम स्टेच्यू, स्लुइस गेट स्वीकृत।	7.58	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
		तृतीय चरण — एलईडी ब्राडिंग, कियोस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, स्टेज, पार्किंग डेवलपमेंट, एप्रोच रोड बाउंड्रीवॉल, रिटेनिंग वॉल, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एण्ड मेनटेनेंस वर्क, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, टायलेट-2, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, यज्ञशाला, ओवरहेड टैंक, कॉटेज एंड डोरमेट्री, टेंपल क्लैडिंग, डिपनिंग एवं डी स्लाइटिंग पोण्ड-2 स्वीकृत।	9.94	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
		लाईट, वॉटर एण्ड साउंड शो स संबंधित कार्य	9.88	वाफ्कोस लिमिटेड
2	शिवरीनारायण (जांजगीर चांपा)	प्रथम चरण — घाट सौंदर्यीकरण, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर/कैफेटेरिया, साइनेजेस कम्पोनेंट, इंटरनल प्लंबिंग, प्रशासनिक कार्यालय, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, मंदिर परिसर जीर्णोद्धार, पार्किंग, पब्लिक शौचालय निर्माण स्वीकृत। कार्य पूर्ण	5.76	वाफ्कोस लिमिटेड
		द्वितीय चरण — मुख्य प्रवेश द्वार, छोटा प्रवेश द्वार, सीसीटीवी कैमरा, दीप स्तंभ, एलईडी ब्राडिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, साइनेजेस कम्पोनेंट, लैंडस्केपिंग, लक्ष्मण मंदिर खरौद में विद्युतीकरण कार्य, मार्केट अपग्रेडेशन, एक्सटरनल प्लंबिंग, घाट वाकवे का विकास, पार्किंग, भगवान श्रीराम स्टेच्यू, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, घाट विकास, साइनेजेस कम्पोनेंट, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, बाउंड्रीवॉल आदि स्वीकृत।	16.69	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
3	सिहावा (धमतरी)	1. मुकुंदपुर (नगरी) — प्रवेश द्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र छोटा टायलेट ब्लाक, पार्किंग, पहुंच मार्ग एवं ड्रेन, कलवर्ट डव्हलपमेंट, एलईडी ब्राडिंग, लॉन डव्हलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, इलेक्ट्रिकफिकेशन, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, ओवरहेड वॉटर टैंक, कॉटेज निर्माण, स्टेयर्स, स्टेज, माड्यूलर शॉप, श्रीराम जी स्टेच्यू एवं सप्तऋषि प्लेटफॉर्म, सप्तऋषि स्थल का विकास, साइनेजेस एवं दीप स्तंभ, श्रीराम जी स्टेच्यू, गजीबो, बाउंड्रीवॉल, साइट डव्हलपमेंट (गार्ड रूम, रेस्ट रूम, यूजी टैंक, सेप्टिक टैंक, पम्प रूम एवं स्टोर रूम)	8.29	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
		2. श्रृंगी-ऋषि आश्रम (सिहावा)— करटेन वॉल (म्यूरल के साथ), प्रवेश द्वार रेलिंग एवं शड निर्माण, गजीबो ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रिकफिकेशन, यज्ञशाला (ऊपर), इंटरनल प्लंबिंग, श्रृंगी-ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण, पाथवे का विकास, टॉयलेट का जीर्णोद्धार, वाशरूम। कार्य प्रगति पर।	1.32	

4	सीतामढ़ी- हरचौका (कोरिया)	रिटनिंग वाल, पीचींग एंड घाट डेवलपमेंट, प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक टायलेट स्माल, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर स्माल, एप्रोच रोड एंड फैंसिलिटी, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, एलईडी ब्रांडिंग, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, साइनेजेस, लैंडस्केपिंग एंड पिचिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, 02 रूम, कॉमन टायलेट एवं आश्रम, चेंजिंग रूम, बाउंड्रीवाल के कार्य स्वीकृत।	7.45	वाॅफ्कोस लिमिटेड
5	राजिम (गरियाबंद/ धमतरी)	छोटा प्रवेश द्वार, विविंग डेस्क कियोस्क, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, घाट वाकवे डेवलपमेंट, पब्लिक टायलेट, पर्यटन सूचना केन्द्र, साइनेजेस, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, एलईडी ब्रांडिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, पार्किंग, सीटी फेसलिपिटिंग, लोमश-ऋषि आश्रम, लैंडस्केपिंग, डिसमेंटलिंग एंड मेन्टेनेंस वर्क, बाउंड्रीवाल, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग के कार्य स्वीकृत।	19.33	वाॅफ्कोस लिमिटेड
6	तुरतुरिया (बलौदाबाजार)	प्रवेश द्वार, गार्डन कियोस्क, डेवलपमेंट आफ टेंट विथ सेंट्रल गजीबो, पब्लिक टायलेट स्माल, पर्यटक सूचना केन्द्र, पब्लिक एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस वर्क, साइनेजेस, लैंड स्केपिंग, आश्रम कॉम्प्लेक्स अपग्रेडेशन विथ अप स्टेयर्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, दीप स्तंभ, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, चैन लिंक फैंसिंग, सम्प वेल(4) के कार्य स्वीकृत।	4.76	वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार
7	रामगढ़ (सरगुजा)	प्रवेश द्वार, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/ कैफेटेरिया, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर, दीप स्तंभ, प्रभु श्रीराम स्टेच्यू, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट वर्क, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस, एलईडी ब्रांडिंग, साइनेजेस काम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बाउंड्रीवाल एंड फैंसिंग, काटेज एवं डारमेट्री कार्य स्वीकृत।	6.28	वनमंडलाधिकारी सरगुजा
8	जगदलपुर (बस्तर)	1. दलपत सागर – छोटा प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक रोड एंड फैंसिलिटी, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, माड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट, एलईडी ब्रांडिंग, दीप स्तंभ, सेनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हावैस्टिंग, टोवर हेड टैंक।	4.53	कलेक्टर जिला बस्तर
		2. चित्रकोट – छोटा प्रवेश द्वार, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन, स्माल पब्लिक टायलेट, टैंक इन कैम्पींग साइट, कियोस्क, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, साइनेजेस काम्पोनेंट, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सैनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हावैस्टिंग, ओवर हैड टैंक, बाउंड्रीवाल।	4.91	
		3. तीरथगढ़ – प्रवेश द्वार, पब्लिक टॉयलेट, इंटरनल प्लंबिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, पब्लिक एप्रोच रोड का विकास, साइनेजेस, लैंडस्केपिंग फेन्सिंग के साथ, बोरवेल।	0.91	
9	रामाराम (सुकमा)	छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट स्माल, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट्स, टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लंबिंग एवं सैनिटरी फिक्चर, ओवर हैड टैंक, दीप स्तंभ, लैंडस्केपिंग, पब्लिक एप्रोच रोड विकास, बाउंड्रीवाल, कियोस्क।	4.85	कलेक्टर जिला सुकमा
10	चम्पारण्य (रायपुर)	छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/ कैफेटेरिया, पैगोड़ा/गजीबो, लैंडस्केपिंग, बाउंड्रीवाल/चैन लिंक फेन्सिंग, दीप स्तंभ, श्री रामजी स्टेच्यू, इलेक्ट्रीकल, प्लंबिंग कार्य।	3.58	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

प्रपत्र-‘स’

राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना (कान्सेप्ट प्लान) तैयार करने हेतु अनुबंधित एजेंसियों को राम वनगमन पथ निर्माण एवं उन्नयन मद योजना से किए गए भुगतान का विवरण –

क्र.	एजेंसी का नाम	स्थल का नाम	एजेंसी को प्रदाय की गई राशि (रूपये में)
1	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	चंदखुरी (रायपुर)	505500.00
2	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सिहावा (धमतरी)	559025.00
3	टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	तुरतुरिया (बलौदाबाजार)	151477.00
		कुल भुगतान	1216002.00
4	वॉफ़ोस लिमिटेड	चंदखुरी – वॉटर लाईट एवं साउंड शो	233855.00
5	वॉफ़ोस लिमिटेड	शिवरीनारायण	616126.00
6	वॉफ़ोस लिमिटेड	सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया)	223924.00
7	वॉफ़ोस लिमिटेड	राजिम (गरियाबंद)	366048.00
8	वॉफ़ोस लिमिटेड	रामगढ़ (सरगुजा)	173309.00
		कुल भुगतान	1613262.00
		महायोग –	2829264.00

पारिशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1753) की जानकारी

प्रपत्र


जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट में शामिल सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति

क्र.	बजट में शामिल सड़कों के नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त/अप्राप्त	अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारंभ	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट में शामिल ऐसी सड़कें जो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बजट से बाहर हो गयी है, उनकी जानकारी
1	2	3	4	5
वर्ष 2020-21				
1	जिला जांजगीर चांपा के सारागांव बम्हनीडीह मार्ग लं. 10.15 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (वास्तविक लं. 9.55 कि.मी.) (वर्ष 2020-21) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	पूर्ण	—
2	जिला जांजगीर चांपा के तुषार से ओडेकेरा मार्ग लं. 3.10 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	प्राप्त	पूर्ण	—
3	जिला जांजगीर चांपा के सवती मालखरोदा हसौद बरेकेल मार्ग के 10.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (वास्तविक लं.-10.98 कि.मी.) कार्य (वर्ष 2020-21) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21)	प्राप्त	पूर्ण	—
4	जिला जांजगीर चांपा के बिरा हसौद छपोरा डभरा मार्ग लं.-13.80 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (वास्तविक लं.-23.435 कि.मी. (वर्ष 20-21)	प्राप्त	प्रगति पर	—
5	जिला जांजगीर चांपा के सारागांव बम्हनीडीह मार्ग में रोहदा एवं भवरेली के बीच जमड़ी नाला में पुल निर्माण (कार्य वर्ष 2020-21)	प्राप्त	प्रगति पर	—

क्र.	बजट में शामिल सड़कों के नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त/अप्राप्त	अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगति पर/अप्रारम्भ	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट में शामिल ऐसी सड़कों जो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बजट से बाहर हो गयी है, उनकी जानकारी
1	2	3	4	5
6	जिला जांजगीर चांपा के बड़गड़ी से चारपारा मार्ग लं. 2.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	प्राप्त	अप्रारम्भ	-
7	जिला जांजगीर चांपा के सेमरिया से मुक्ता मार्ग लं.- 1.50 कि.मी. (वास्तविक लं.-1.40 कि.मी.) का निर्माण पुल पुलियों सहित (वर्ष 20-21)	प्राप्त	अप्रारम्भ	-
8	जिला जांजगीर चांपा के ठठारी से अकलसरा होते हुये केकरामाठ मार्ग लं.-3.00 कि.मी. (वास्तविक लं.-1.45 कि.मी.) पुल पुलियों सहित (वर्ष 2020-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त
9	जिला जांजगीर चांपा के सौंठी आश्रम से संजय ग्राम दरगाभाठा सलनी दीपाडीह लं. 11.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त
10	जिला जांजगीर चांपा के डमरा, कोसमझर, मांजरकूद, मरघट्टी, मरघट्टी, मिसौनी से अमोदा मार्ग लं.-15.50 कि.मी. का निर्माण एवं उन्नयन कार्य पुल पुलियों सहित (वर्ष 20-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त

क्र.	बजट में शामिल सड़कों के नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त/अप्राप्त	अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगति पर /अप्रारंभ	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट में शामिल ऐसी सड़कें जो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बजट से बाहर हो गयी है, उनकी जानकारी
1	2	3	4	5
11	जिला जांजगीर चांपा के बंसुला से कपिरदा मार्ग लं.-2.50 कि.मी. (वास्तविक लं.-3.00 कि.मी.) का निर्माण पुल पुलियों सहित (वर्ष 20-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त
12	जिला जांजगीर चांपा के ओडेकरा से जूनवानी मार्ग लं.- 4.00 कि.मी. का निर्माण पुल पुलियों सहित (वास्तविक लं.-1.75 कि.मी.) (वर्ष20-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त
13	जिला जांजगीर चांपा के दरभाठा से झालरौदा मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी. (वास्तविक लं.- 10.00 कि.मी.)(प्रथम अनुपूरक वर्ष 20-21)	अप्राप्त	-	2 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से विलुप्त
	योग :- 13 कार्य	7 प्राप्त 6 अप्राप्त	3 पूर्ण, 2 प्रगति पर 2 भू-अर्जन के कारण लंबित।	
वर्ष 2021-22				
1	झर्रा से भदरा मार्ग का निर्माण लंबाई 1.75 किमी (वर्ष 21-22)	प्राप्त	प्रगति पर	-
	योग :- 01 कार्य	1- प्राप्त	1 प्रगति पर	-

क्र.	बजट में शामिल सड़कों के नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त / अप्राप्त	अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगति पर / अप्राप्त	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट में शामिल ऐसी सड़कें जो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बजट से बाहर हो गयी है, उनकी जानकारी
1	2	3	4	5
वर्ष 2022-23				
1	जिला जांजगीर चांपा के भोथिया से सलनी तक सड़क निर्माण कार्य लं. 4.00 कि. मी. (वास्तविक लं.-8.10 कि.मी.) (कार्य वर्ष 2022-23)	अप्राप्त	-	-
2	जिला जांजगीर चांपा के गौविदा से बरगढ़ी मार्ग लं.- 2.00 कि.मी.(वास्तविक लं.-2.975कि.मी.) (कार्य वर्ष 2022-23)	अप्राप्त	-	-
3	जिला जांजगीर चांपा के ग्राम मलनी से डोगिया तक पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य लं. 4.00 कि.मी. (वास्तविक लं.-5.025 कि.मी.) (कार्य वर्ष 2022-23)	अप्राप्त	-	-
	योग :- 03 कार्य	3 अप्राप्त		-
	महायोग :- 17 कार्य	8 प्राप्त 9 अप्राप्त	3 पूर्ण, 3 प्रगति पर 2 मू अर्जन के कारण लंबित	



 मुख्य अभियंता (यो.)
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1785) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	निकाय का नाम	वार्डों की संख्या जहां पेयजल की समस्या है	पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु किये जा रहे विभागीय कार्यवाही
1	बस्तर	न.नि. जगदलपुर	03	वर्तमान में तीनों वार्डों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु अमृत मिशन योजना अंतर्गत उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कार्य एवं नवीन पाईप लाईन विस्तारीकरण का कार्य किया जा चुका है एवं जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसके पूर्ण होने के उपरांत उक्त तीनों वार्डों में पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
2		न.पं. बस्तर	08	वर्तमान में चिन्हित वार्डों में टैंकर के माध्यम से जल का वितरण किया जा रहा है एवं उक्त समस्या के स्थायी निराकरण हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है।



अनुभाग अधिकारी

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भद्रालय, महानदी भवन /
 रायपुर (छ.ग.)

परोशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र.902) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में वर्ष 2021 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक की अवधि में घटित दुर्घटना में मृतक श्रमिकों की जानकारी एवं उनके आश्रितों को को देय मुआवजा एवं रोजगार की जानकारी

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	1. श्री जगदीश टोप्पो (श्रमिक) उम्र- 22 वर्ष पता - ग्राम व पोस्ट - पामरा, थाना - बरगांव, जिला - सुंदरगढ़ (उड़ीसा)	3 मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. ग्राम व पोस्ट- सरईपाली, तहसील- तमनार, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	4	5 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 10,51,508/- आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रित को भुगतान की गयी है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती हेमा टोप्पो (माता) को रुपये 30,000/- नगद एवं रुपये 2,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	6 -
2	2. श्री रत्नाकर रोहिदास (श्रमिक) उम्र- 31 वर्ष पता - ग्राम व पोस्ट - सहजबहाल, थाना - बरगांव, जिला - सुंदरगढ़ (उड़ीसा)		11.01.2021	5 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 9,78,263/- आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रित को भुगतान की गयी है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री सुकरू रोहिदास (पिता) को रुपये 30,000/- नगद एवं रुपये 2,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
3	1. श्री नरेन्द्र कुमार (बारीमेन) उम्र-33 वर्ष पता- ग्राम - गोरी, थाना - करगहर, जिला - रोहतास (बिहार)			मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्रीमती लीलावती देवी (पत्नी) को रुपये 109.67/-, कुमारी रोशनी (पुत्री) को रुपये 73.11/-, श्री चन्द्रशेखर कुमार (पुत्र) को रुपये 73.11/- एवं श्री दीपू कुमार (पुत्र) को रुपये 73.11/- प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती लीलावती देवी (पत्नी) को रुपये 50,000/- नगद एवं रुपये 3,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
4	2. श्री उमेश कोड़ा (बारीमेन) उम्र - 26 वर्ष पता- ग्राम - रायडीह, थाना - मनोहरपुर, जिला - पश्चिम सिंहभूमि (झारखंड)	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट- सराईपाली, तहसील- तमनार, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	16.12.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार श्रमिक के आश्रित को मुआवजे के तौर पर पेंशन दी जायेगी। ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर लिया गया है किन्तु दर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती ममता मोदी (पत्नी) को रुपये 50,000/- नगद एवं रुपये 3,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
5	3. श्री जसवत कंवर (हेल्पर) उम्र - 20 वर्ष पता- ग्राम - भवरमाल, थाना - बम्हनीडीह, जिला - जांजगीर- चाम्पा (छ.ग.)			मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्री पुनीराम कंवर (पिता) को रुपये 51.45/- प्रतिदिन व श्रीमती लक्ष्मीन बाई कंवर (माता) को रुपये 51.45/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री पुनीराम कंवर (पिता) को रुपये 50,000/- नगद एवं रुपये 3,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
6	4. श्री भीम कुमार राम (फरटन) उम्र 22 वर्ष पता- ग्राम - अतरतला, थाना - मोहनिया, जिला - कैमूर (बिहार)			मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्री भानू राम (पिता) को रुपये 78/- प्रतिदिन व श्रीमती उषा देवी (माता) को रुपये 78/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री भानू राम (पिता) को रुपये 50,000/- नगद एवं रुपये 3,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
7	श्री गणेश महंत उर्फ श्री गणेशी दास महंत (हैल्यर) उम्र- 59 वर्ष पता - ग्राम - पुटकापुरी, तहसील - पुसौर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स रायगढ़ साल्वेट एक्सट्रैक्शन प्रा.लि. ग्राम-साहदेवपाली, पोस्ट-छालामुडा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	09.02.2021	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 5,58,645.70/- आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रित को भुगतान की गयी है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री मनिक दास (पुत्र) को रुपये 45,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
8	श्री ठंडाराम साहू (हैल्यर) उम्र-44 वर्ष पता - वार्ड नंबर-4, ग्राम - गोघना, जिला - जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)	मेसर्स बिमल रिकेक्ट्रीज प्रा. लि., ग्राम - सराईपाली, तहसील - धरघोडा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	14.04.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर दर निर्धारण कर लिया गया है किन्तु मृतक श्रमिक के आश्रितों द्वारा शाखा कार्यालय रायगढ़ में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आश्रितों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर ईएसआईसी द्वारा नियमानुसार पेंशन दी जावेगी। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती निर्मला बाई साहू (पत्नी) को रुपये 50,000/- नगद एवं रुपये 2,50,000/- बैंक खाते में प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
9	श्री प्रदीप कुमार प्रधान (हैल्यर) उम्र - 27 वर्ष पता - ग्राम - घनवा, पो- तिलाई, जिला - जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)	मेसर्स जितल स्टील एंड पावर लिमिटेड यूनिट-2, खरसिया रोड रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	21.04.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्रावधान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्री मनोज कुमार प्रधान (पिता) को रुपये 65,55/- एवं श्रीमती लीलाबाई प्रधान (माता) को 65,55/- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त श्रमिक के आश्रित श्रीमती लीला बाई प्रधान (माता) को जेएसपीएल कल्याण योजना के द्वारा 2,00,000/- रु. ईडीएलआई (इम्प्लाइड डिपॉजिट लिक्विड इंशोरेंस स्कीम) से 2,50,000/- रु. एवं जीपीए पॉलिसी (युप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) से 5,00,000/- रु. दी गयी है व जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना से 3,000/- रुपये मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती लीला बाई प्रधान (माता) को रुपये 40,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
10	श्री तपन घोष (हेल्थर) उम्र - 51 वर्ष पता - ग्राम - विद्यानंदपुर, कुशाहीप, जिला - पतरसायर, बंकुरा (पश्चिम बंगाल)	मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यूनिट-2, खरसिया रोड रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	03.05.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्रावधान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्रीमती ज्योत्सना घोष (पत्नी) को 177,60/- रुपये एवं श्री देवकांता घोष (पुत्र) को 118,40/- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। मृतक ईपीएफओ के तहत पंजीकृत है। जिससे ईपीएफओ के प्रावधान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्रीमती ज्योत्सना घोष (पत्नी) को रुपये 2376/- एवं श्री देवकांता घोष (पुत्र) को रुपये 594/- मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती ज्योत्सना घोष (पत्नी) को जेएसपीएल कल्याण योजना के द्वारा 2,00,000/- रु. इडीएलआई (इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इशोरेंस स्कीम) से 2,80,760/- रु. एवं जीपीए पॉलिसी (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) से 5,00,000/- रु. दी गयी है। जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना से श्रमिक के आश्रित श्रीमती ज्योत्सना घोष (पत्नी) को रुपये 3000/- एवं श्री देवकांता घोष (पुत्र) को रुपये 3000/- मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है।	-
11	श्री राम दिन गोड (सीनियर फोरमेन) उम्र- 57 वर्ष पता - ग्राम - काला रामपुर ददवा, पो. - सुरजपुर, जिला - फजाबाद (उ.प्र.)		23.02.2022	मृतक के आश्रित श्रीमती शिवकुमारी गोड (पत्नी) को जेएसपीएल कल्याण योजना से रुपये श्री संतोष कुमार गोड 5,00,000/-, इडीएलआई (इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इशोरेंस स्कीम) से 7,02,000/- एवं जीपीए पॉलिसी (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) के माध्यम से रुपये 26,88,350/- दिये गये हैं। अतः मृतक अमुकथा नियुक्ति जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना से श्रीमती शिवकुमारी गोड (पत्नी) को रुपये 6500/- एवं कुमारी खुरी गोड (पुत्री) को रुपये 6500/- मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती शिवकुमारी गोड (पत्नी) को रुपये 60,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
12	श्री बैशाखू राम सिदार (डेविनशियन) उम्र- 28 वर्ष पता - ग्राम - जोरा, तहसील - बिलाईगढ़, जिला - बलौदाबजार (छ.ग.)	मेसर्स रूपाणधाम स्टील प्रा. लि., ग्राम व पो. - सराईगली, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	02.05.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्रावधान अनुसार मृतक के आश्रित श्रीमती चिनमिनी सिदार (पत्नी) को 240,42 /- रुपये, श्री हिमांशु सिदार (पुत्र) को 160,29 /- रुपये व श्री रियांशु सिदार (पुत्र) को 160,29 /- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती चिनमिनी सिदार (पत्नी) को रुपये 50,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
13	श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा (शिफ्ट इंचार्ज) उम्र - 29 वर्ष, पता - ग्राम - भारौली, कुसैन्डी, जिला - संतना (म.प्र.)	मेसर्स सिंघल इनर्जी प्रा.लि., ग्राम- तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	02.05.2021	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 11,54,600/- आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से मृतक श्रमिक के आश्रित श्री लखनलाल (पिता) को 6,04,075/- रुपये व श्रीमती रमाबाई (माता) को 5,50,000/- रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री लखनलाल (पिता) को रुपये 40,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
14	1. श्री शंकर लाल कटकवार (असिस्टेंट मैनेजर) उम्र- 44 वर्ष पता - ग्राम - अडभार, जिला - जाजगीर-चाम्पा (छ.ग.)	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)		श्री शंकर लाल कटकवार कारखाने में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। अतः उन पर कारखाना प्रबंधन द्वारा ईएसआईसी के प्रावधान प्रभावशील नहीं है। कारखाना प्रबंधन द्वारा ग्रुप टर्म लाईफ इश्योरेंस पॉलिसी मृतक के आश्रित श्रीमती कौशल्या कटकवार (पत्नी) को बैंक खाते में जमा किया गया है। ईपीएफओ के प्रावधानानुसार मृतक के आश्रित श्रीमती कौशल्या कटकवार (पत्नी) को रुपये 2901/-, कुमारी सम्पत्ती कटकवार (पुत्री) को रुपये 725/- एवं कुमारी सौम्या कटकवार (पत्नी) को अनुकंपा (पुत्री) को रुपये 725/- मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती कौशल्या कटकवार (पत्नी) को रुपये 50,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	
15	2. श्री शिव साहू (जूनियर इंजीनियर) उम्र- 40 वर्ष पता - पुरानी बस्ती खरिसया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)		20.06.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्रावधान अनुसार मृतक श्रमिक के कारखाना प्रबंधन द्वारा आश्रित श्रीमती रश्मि साहू (पत्नी) को 183.34 /- रुपये, कुमारी हंसा साहू (पुत्री) को 122.22 /- रुपये, कुमारी प्रेरणा साहू (पुत्री) को 122.22 /- रुपये एवं श्री ऋषभ साहू (पुत्र) को 122.22 /- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति दी गयी ईपीएफओ द्वारा आश्रित श्रीमती रश्मि साहू (पत्नी) को 2901 /- रुपये, कुमारी हंसा साहू (पुत्री) को 725 /- रुपये, कुमारी प्रेरणा साहू (पुत्री) को 725 /- रुपये एवं श्री ऋषभ साहू (पुत्र) को 725 /- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक पेंशन मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती रश्मि साहू (पत्नी) को कारखाना प्रबंधन द्वारा रुपये 50,000 /- दिये गये हैं। जीटीएल (ग्रुप टर्म लाईफ इश्योरेंस) द्वारा रुपये 29,00,000 /- मृतक के आश्रित श्रीमती रश्मि साहू (पत्नी) के बैंक खाते में जमा किया गया है।	

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
16	1. श्री लक्ष्मी यादव (जूनियर इंजीनियर) उम्र- 54 वर्ष पता - वार्ड नंबर-14 स्कूलपारा, ग्राम - व पो. - बौदसरा, जिला - जांजगीर-बाघमा (छ.ग.)	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	13.05.2022	श्री लक्ष्मी यादव कारखाने में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अतः उन पर ईएसआईसी के प्रावधान प्रमाणीकृत नहीं है। कारखाना प्रबंधन द्वारा ग्रुप टर्म लाईफ इश्योरेंस पॉलिसी के तहत रुपये 29,00,000/- - श्रीमती उत्तरा देवी यादव (पत्नी) के बैंक खाते में जमा किया गया है। ईपीएफओ द्वारा मृतक के आश्रित श्रीमती उत्तरा देवी यादव (पत्नी) को रुपये 2901/- की दर से मुआवजा राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती उत्तरा देवी यादव (पत्नी) को रुपये 50,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
17	2. श्री लक्ष्मण बजारा (हेल्पर) उम्र- 36 वर्ष पता - ग्राम - कुरुभाटा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	13.05.2022	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्रावधान अनुसार श्रमिक के आश्रित श्रीमती अरुणी बजारा (पत्नी) को रुपये 144.42/-, श्री प्रदीप बजारा (पुत्र) को रुपये 96.29/- एवं श्री हेमन्त कुमार बजारा (पुत्र) को रुपये 96.29/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा मृतक के आश्रित श्रीमती अरुणी बजारा (पत्नी) को रुपये 2346/-, श्री प्रदीप बजारा (पुत्र) को रुपये 587/- एवं श्री हेमन्त कुमार बजारा (पुत्र) को रुपये 587/- की दर से मुआवजा राशि मासिक पेंशन के तौर पर दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक के आश्रित श्रीमती अरुणी बजारा (पत्नी) को रुपये 2,50,000/- - नगद एवं रुपये 10,00,000/- - चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है। जीपीए पॉलिसी (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) से रुपये 10,00,000/- - श्रमिक के आश्रित श्रीमती अरुणी बजारा (पत्नी) के बैंक खाते में जमा किया गया है।	-
18	श्री कमलेश कुमार मल्होत्रा (गेन ऑपरेटर) उम्र- वर्ष पता - ग्राम - रवास्तिनडीह, पो. - गोडम, तह. - सारगढ़, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स तिरुमाला बालाजी एलॉयज उद्योग प्रा. लि. ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूलपथरा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	26.07.2021	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रित को रुपये 2,50,000/- - मुआवजा राशि दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी	
1	2	3	4	5	
19	श्री गौतम पटेल (हेल्पर) उम्र- 44 वर्ष पता - ग्राम-दरभुंजा, पो. - विंडकोट, थाना - भूपदेवपुर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-विंडकोट / दरभुंजा, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	12.08.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार मृतक के आश्रित श्री हरिराम पटेल (पिता) को रुपये 48.45/- व श्रीमती केवरा बाई पटेल (माता) को रुपये 48.45/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक के आश्रित श्री हरिराम पटेल (पिता) को रुपये 10,00,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है। जीपीए पॉलिसी के तहत 7,70,000/- रुपये मृतक के आश्रित श्री हरिराम पटेल (पिता) के खाते जमा किया गया है।	6
20	1. श्री मुनी लाल राम (फैब्रीकेटर) उम्र- 34 वर्ष पता - ग्राम - बनिया छापर, थाना - कटिया, जिला - गोपालगंज (बिहार)			मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार मृतक के आश्रित श्रीमती राधिका देवी (पत्नी) को 197.66/- रुपये, श्री रितिक रोशन कुमार राम (पुत्र) को 131.78/- रुपये, कुमारी अमानता (पुत्री) को 131.78/- रुपये एवं श्री अनुज कुमार (पुत्र) को 131.78/- रुपये प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती राधिका देवी (पत्नी) को रुपये 1,00,000/- एवं रुपये 9,50,000/- चेक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
21	2. श्री यादराम सास्थी (फैब्रीकेटर) उम्र- 25 वर्ष पता - ग्राम-टेमटेमा, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स स्काई एलॉयज एण्ड पावर प्रा.लि. ग्राम-टेमटेमा, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	12.09.2021	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित माता श्रीमती वृंदावती सास्थी को मुआवजा राशि रुपये 7,00,000/- चेक के माध्यम एवं पिता श्री लक्ष्मण सास्थी को रुपये 7,00,000/- चेक के माध्यम से दिया गया है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा श्रमिक के आश्रित श्रीमती वृंदावती सास्थी (माता) व श्री लक्ष्मण सास्थी (पिता) को रुपये 1,00,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
22	3. श्री बसंत कुमार सिंह (फैब्रीकेटर) उम्र- 51 वर्ष पता - ग्राम व सो. - कुरुद, थाना - काराकाट, भोजपुर बिहार			कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित पति श्रीमती लिलावती देवी को मुआवजा राशि के रूप में रुपये 9,50,000/- चेक के माध्यम से, रुपये 1,00,000/- अतिरिक्त सहायता राशि दी गयी है तथा रुपये 72,525/- आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के द्वारा मुआवजा राशि आश्रित को वितरण किया गया है। मृतक श्रमिक ईपीएफओ के तहत पंजीकृत था। ईपीएफओ द्वारा मृतक के आश्रित श्रीमती लिलावती देवी (पत्नी) को रुपये 2491/-, पुजा कुमारी (पुत्री) को रुपये 623/- एवं श्री अविनाश कुमार (पुत्र) को रुपये 623/- की दर से मुआवज के तौर पर मासिक पेशन दी जा रही है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
23	श्री परशुराम सिंह (शेगल) उम्र - 56 वर्ष पता - ग्राम - तोला छपर, पो - सेमराबाजार, थाना - गोपालगंज, जिला - गोपालगंज (बिहार)	मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एक्सपोजिशन ऑफ यूनिट-3, श्री फेड्रीकेशन प्लांट पूजीपथरा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	29.09.2021	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती दुखानी देवी (पत्नी) को 154,28/- रुपये, श्री अमिषेक कुमार सिंह (पुत्र) को 102,86/- रुपये एवं कुमारी प्रेमशिला (पुत्री) को 102,86/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। श्रमिक के आश्रित श्रीमती दुखानी देवी (पत्नी) जेएसपीएल कल्याण योजना के द्वारा 2,00,000/- रु एवं जीपीए पॉलिसी (गुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) के माध्यम से 5,00,000/- रु दी गयी है एवं जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना से रुपये 6,000/- मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती दुखानी देवी (पत्नी) को रुपये 1,23,970/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
24	श्री रविन्द्र पी चौंसिया (शेगल), उम्र- 29 वर्ष पता - ग्राम - भटपामनी, पकरीबाढ़, जिला - देवरिया (उ.प्र.)	मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-4, (एमएलएसएम), खरसिया रोड, रायगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	25.01.2022	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार मृतक श्रमिक के आश्रित श्री सीताराम (पिता) को रुपये 88,80/- एवं श्रीमती सुधारी देवी (माता) को रुपये 88,80/- प्रतिदिन की दर से मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। श्रमिक के आश्रित श्री सीताराम (पिता) को जेएसपीएल कल्याण योजना के तहत रुपये 2,00,000/- एवं जीपीए (गुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी) से रुपये 5,00,000/- दिये गये हैं एवं जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना से रुपये 3,000/- मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री सीताराम (पिता) को राशि 1,15,000/- रुपये प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
25	सुश्री अनिता यादव (हेल्पर) उम्र- 21 वर्ष पता- ग्राम- बरपाली, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स एनआरटीएमटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 406, 407, 411, 312 ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूजीपथरा, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	21.02.2022	मृतक श्रमिका के आश्रित श्रीमती श्याम बाई (माता) को मुआवजा राशि 1,50,000/- रुपये चेक के माध्यम से व दाहसंस्कार हेतु रुपये 50,000/- नगद कारखाना प्रबंधन द्वारा दिये गये हैं।	-
26	श्री सोमनाथ मोय (हेल्पर) उम्र- 23 वर्ष पता - ग्राम- छपारा, तहसील- पुरसौर, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम- छपारा, तहसील- पुरसौर, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	24.02.2022	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। जिससे ईएसआईसी के प्राक्धान अनुसार मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती रजनी मलिक (पत्नी) को रुपये 236,40/- प्रतिदिन दर से मुआवजा के तौर पर मासिक पेंशन दी जा रही है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती रजनी मलिक (पत्नी) को रुपये 12,79,332/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
27	श्री पुरन लाल सिदार (हेल्पर) उम्र- 48 वर्ष पता ग्राम - बंजारी, तहसील - सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स तिरुपति क्रेशर ग्राम-गुढेली, तहसील- सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	01.03.2022	आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रित श्रीमती राधिका सिदार (पत्नी) को रुपये 80,000/-, श्रीमती समारिन सिदार (पत्नी) को रुपये 86,107/-, कुमारी ज्योति सिदार (पुत्री) को रुपये 25,000/-, श्री जय सिदार (पुत्र) को रुपये 25,000/- व श्री आकाश सिदार (पुत्र) को रुपये 25,000/- - मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के दो आश्रितों श्रीमती समारिन बाई सिदार (पत्नी) को रुपये 2,50,000/- - देक के माध्यम से एवं श्रीमती राधिका सिदार (पत्नी) को रुपये 2,50,000/- - देक के माध्यम से प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
28	श्री श्याम सुंदर (वेल्डर) उम्र- 25 वर्ष पता - ग्राम - तेन्दुआकला, पो. - लुथर, तहसील - मेजा, जिला - इलाहाबाद (उ.प्र.)	मेसर्स कृष्णा साल्ट, ग्राम-छातामुडा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	08.07.2022	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 5,38,778/- कारखाना प्रबंधन द्वारा दिनांक 26.07.2022 को आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में जमा किया गया है। मुआवजा प्रकरण आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में विचारधीन है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री राजनारायण (पिता) को रुपये 1,00,000/- - नगद एवं रुपये 5,00,000/- - देक के माध्यम प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
29	सुश्री भुजवती राठिया (हाउस कीपिंग स्टॉफ) उम्र- 27 वर्ष पता ग्राम - लारीपानी, पो. - गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स सिधल इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. ग्राम- तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.07.2022	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय मुआवजा राशि रुपये 10,67,850/- - आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रित को भुगतान की गयी है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री करम लाल राठिया (पिता) को रुपये 4,95,000/- - प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
30	श्री नीरत मांझी (हेल्पर) उम्र- 19 वर्ष पता ग्राम - दोढागांव, राजकोट, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स सिधल इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. ग्राम- तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.10.2022	कारखाना प्रबंधन द्वारा मुआवजा राशि रुपये 11,26,100/- - दिनांक 11.11.2022 को आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में जमा किया गया है। मुआवजा प्रकरण आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में विचारधीन है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री बोधसाय (पिता) को रुपये 1,61,000/- - प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम, उम्र व पता	कारखाना का नाम व पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक के आश्रित को दिए गए मुआवजा से संबंधित जानकारी	मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये गए रोजगार की जानकारी
1	2	3	4	5	6
31	श्री माधव लाल (श्रमिक) उम्र- 20 वर्ष पता - ग्राम - धिनारा, नावापारा, कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.)	मेसर्स सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम व पो. - गेरवानी, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	16.08.2022	कारखाना प्रबंधन द्वारा मुआवजा राशि रुपये 11,20,000/- दिनांक 14.09.2022 को आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में जमा किया गया है। मुआवजा प्रकरण आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम न्यायालय रायगढ़ में विचाराधीन है। उक्त मुआवजा राशि के अलावा मृतक श्रमिक के आश्रित श्री जीवन लाल (पिता) को रुपये 40,000/- प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-
32	श्री राहुल कुमार सिंदार (सीएचपी ऑपरेटर) उम्र- 20 वर्ष पता हाउस नंबर - 314/02, बार्ड नंबर-17, रोड किनारे, ग्राम - कोडंतराई, तह. - पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स मा काली एलॉयज उद्योग (प्रा.) लि., ग्राम-पाली, पोस्ट- गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	04.11.2022	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर दर निर्धारण कर लिया गया है किन्तु मृतक श्रमिक के आश्रितों द्वारा शाखा कार्यालय रायगढ़ में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आश्रितों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर ईएसआईसी द्वारा नियमानुसार पेंशन दी जावेगी। कारखाना प्रबंधन द्वारा आश्रित श्रीमती लक्ष्मीन सिंदार (माता) को रुपये 1,00,000/- तात्कालिक सहायता राशि दिये गये हैं। कारखाना प्रबंधन द्वारा आश्रित श्रीमती लक्ष्मीन सिंदार (माता) को मुआवजा राशि रुपये 10,00,000/- चेक के माध्यम से दिया गया है।	-
33	श्री उमेश कांत कश्यप (वैल्डर) उम्र- 25 वर्ष पता - हाउस नं. 154/34, उच्चमिट्टी बस्ती, पो.- किरोड़ीमलनगर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)	मेसर्स जिनदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, यूनिट-3, खरसिया रोड, रायगढ़ जिला- रायगढ़ (छ ग.)	07.02.2023	मृतक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत था। श्रमिक के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा नियमानुसार पेंशन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्रमिक के आश्रितों को जेएसपीएल श्रमिक कल्याण योजना के तहत रुपये 2,00,000/- एवं जीपीए (गुप परसनल एक्सीडेंट पॉलिसी) के अंतर्गत रुपये 5,00,000/- एवं जेएसपीएल कर्मचारी कल्याण योजना के तहत रुपये 8,000/- मुआवजे के तौर पर मासिक पेंशन दी जावेगी। उक्त मुआवजा राशि के अलावा श्रमिक के आश्रित श्री लखेश्वर प्रसाद कश्यप (पिता) को राशि 1,25,000/- प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी गयी है।	-

Arathi
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्य - नों

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1599) की जानकारी


प्रपत्र अ

खरीफ वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलरों को भुगतान का विवरण			
विवरण	मिलरों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (राशि करोड़ में)	भुगतान हेतु शेष (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	1924	119.85	0.03
परिवहन की राशि		279.01	0.07
प्रोत्साहन राशि		156.60	0.12
चावल परिवहन		99.81	4.83
बारदाना उपयोगिता शुल्क		40.54	0.34
योग		695.82	5.39

खरीफ वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलरों को भुगतान का विवरण			
विवरण	मिलरों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (राशि करोड़ में)	भुगतान हेतु शेष (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	1967	100.78	0.74
परिवहन की राशि		239.90	1.48
प्रोत्साहन राशि		185.44	1.12
चावल परिवहन		62.29	31.48
मिलर बारदाना		34.38	0.28
बारदाना उपयोगिता शुल्क		20.70	1.66
योग		643.48	36.76

खरीफ वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलरों को भुगतान का विवरण			
विवरण	मिलरों की संख्या	भुगतान की गयी राशि (राशि करोड़ में)	भुगतान हेतु शेष (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	549	43.67	25.72
परिवहन की राशि		154.25	87.32
प्रोत्साहन राशि		101.85	271.80
चावल परिवहन		देयक प्रस्तुत नहीं	0.00
बारदाना उपयोगिता शुल्क			0.00
योग		299.77	384.84

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष-क्रमांक - 1
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र ब

खरीफ वर्ष 2019-20 में केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग का विवरण	
विवरण	उपयोग की गयी राशि (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	119.85
परिवहन की राशि	279.01
प्रोत्साहन राशि	156.60
चावल परिवहन	99.81
बारदाना उपयोगिता शुल्क	40.54
योग	695.82

खरीफ वर्ष 2020-21 में केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग का विवरण	
विवरण	उपयोग की गयी राशि (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	100.78
परिवहन की राशि	239.90
प्रोत्साहन राशि	185.44
चावल परिवहन	62.29
मिलर बारदाना	34.38
बारदाना उपयोगिता शुल्क	20.70
योग	643.48

खरीफ वर्ष 2021-22 में केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग का विवरण	
विवरण	उपयोग की गयी राशि (राशि करोड़ में)
कस्टम मिल की राशि	43.67
परिवहन की राशि	154.25
प्रोत्साहन राशि	101.85
चावल परिवहन	देयक प्रस्तुत नहीं
बारदाना उपयोगिता शुल्क	
योग	299.77

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष-क्रमांक - 1
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1722) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

स.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता			सहायक अभियंता			कार्यपालन अभियंता			अधीक्षण अभियंता			मुख्य अभियंता		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर	4	17	-	29	18	11	11	13	-	6	3	3	4	2	2
2	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर	2	3	-	5	3	2	2	1	1	1	-	1	1	1	-
3	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर मण्डल क्र.-1, रायपुर	2	2	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्र.-1, रायपुर	19	22	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्र.-2, रायपुर	15	17	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 3, नवा रायपुर अटल नगर	27	29	-	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर	19	20	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ भवन संभाग नई दिल्ली	6	4	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर मण्डल क्र.-2, रायपुर	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार संभाग बलौदाबाजार	25	18	7	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग महासमुंद संभाग महासमुंद	25	22	3	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी	19	21	-	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

सं.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता			
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत		
13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग गरियाबंद संभाग गरियाबंद	19	13	6	2	4	2	2	1	1	1	1	1
14	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग परिक्षेत्र दुर्ग	2	3	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1
15	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग मण्डल दुर्ग	2	9	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1
16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग दुर्ग	25	27	-	4	5	4	1	1	-	1	-	1
17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग बालोद	19	20	-	3	4	3	1	1	-	1	-	1
18	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा	19	17	2	2	4	2	2	1	-	1	-	1
19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राजनांदगाव संभाग राजनांदगाव	25	25	-	2	5	2	3	1	-	1	-	1
20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग खैरागढ़ संभाग खैरागढ़	19	18	1	-	4	-	4	1	-	1	-	1
21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कवर्धा संभाग कवर्धा	19	16	3	1	4	1	3	1	-	1	-	1
22	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर	3	7	-	4	6	4	2	2	-	2	-	2
23	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर मण्डल बिलासपुर	2	3	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर	19	20	-	3	4	3	1	1	-	1	-	1
25	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2, बिलासपुर	25	26	-	3	5	3	2	1	-	1	-	1

स.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता		
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली	13	10	3	1	2	1	1				
27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग पेण्ड्रा	13	13	-	2	1	1	1				
28	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चापा संभाग चापा	25	26	-	4	1	1	1				
29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग कोरबा	25	27	-	3	2	1	1				
30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग रायगढ़	25	29	-	5	5	1	1				
31	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सरगुजा परिक्षेत्र अंबिकापुर	2	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1
32	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर मण्डल अंबिकापुर	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर संभाग अंबिकापुर	19	20	-	3	1	1	1				
34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज संभाग रामानुजगंज	19	9	10	2	2	1	1				
35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सूरजपुर संभाग सूरजपुर	13	12	1	3	3	1	1				
36	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़	19	15	4	1	3	1	1				
37	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर संभाग जशपुर	19	20	-	2	2	1	1				
38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पथलगांव संभाग पथलगांव	19	15	4	1	3	1	1				

स.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता			
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत		
39	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर	2	2	-	5	1	4	2	1	1	1	-	1
40	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग बस्तर मण्डल जगदलपुर	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1
41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सभाग क्र.-1, जगदलपुर	19	14	5	4	1	3	1	1	-	-	-	-
42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सभाग क्र.-2, जगदलपुर	19	11	8	4	-	4	1	1	-	-	-	-
43	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सुकमा संभाग सुकमा	19	7	12	4	-	4	1	1	-	-	-	-
44	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दन्तेवाड़ा संभाग दन्तेवाड़ा	21	15	6	4	2	2	1	-	1	-	-	-
45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बीजापुर संभाग बीजापुर	19	13	6	4	1	3	1	-	1	-	-	-
46	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांकेर मण्डल कांकेर	2	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-
47	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांकेर संभाग कांकेर	19	19	-	4	3	1	1	-	1	-	-	-
48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव	19	15	4	4	1	3	1	1	-	-	-	-
49	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापपुर संभाग भानुप्रतापपुर	19	18	1	4	1	3	1	1	-	-	-	-
50	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग नारायणपुर संभाग नारायणपुर	13	11	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-
51	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर	2	1	1	3	3	-	-	-	-	1	-	1

स.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
52	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रायपुर	2	2	1	1	1	-	1	1	1	-
53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर	25	23	5	5	1	-	1	-	-	-
54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर	25	12	5	1	4	1	1	-	-	-
55	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा	13	2	3	1	2	1	1	-	1	-
56	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल बिलासपुर	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-
57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	13	13	3	1	2	1	1	-	-	-
58	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर	19	12	4	3	1	1	1	-	1	-
59	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर	2	2	5	-	5	2	2	1	1	1
60	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल रायपुर	2	2	1	1	-	1	1	-	1	-
61	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर	49	41	7	5	2	1	1	-	-	-
62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग	25	25	4	2	2	1	1	-	-	-
63	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग कांकर	17	11	3	2	1	1	1	-	1	-
64	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जगदलपुर	17	10	3	1	2	1	1	-	-	-

स.क्र.	कार्यालय का नाम	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
65	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल रायगढ़	2	2	1	-	1	1	1	-	1	-
66	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़	17	15	3	3	-	1	-	-	-	-
67	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग बिलासपुर	33	22	5	3	2	1	1	-	-	-
68	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल अंबिकापुर	2	-	1	1	-	1	1	1	-	-
69	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अंबिकापुर	41	29	6	6	-	1	1	-	-	-
70	प्रभारी / प्रतिनियुक्ति / ए.डी.बी. में कार्यरत संख्या				32		8		9		
	योग (सिविल)	1057	935	122	174	93	82	58	21	24	5
71	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-
72	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि./याँ.) परिक्षेत्र रायपुर	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1

सं.क्र.	कार्यालय का नाम.	उपअभियंता		सहायक अभियंता		कार्यपालन अभियंता		अधीक्षण अभियंता		मुख्य अभियंता	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
77	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. मण्डल रायपुर	2	1	1	-	1	-	1	1	-	-
78	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. संभाग रायपुर	23	18	8	8	1	1	-	-	-	-
79	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. संभाग दुर्ग	15	15	6	4	2	1	-	-	-	-
80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. संभाग जगदलपुर	23	10	8	7	1	1	-	-	-	-
81	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. मण्डल बिलासपुर	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-
82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. संभाग बिलासपुर	22	19	8	8	-	1	-	-	-	-
83	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि./याँ. संभाग अंबिकापुर	13	11	6	5	1	-	1	-	-	-
84	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग उच्च न्यायालय तकनीकी प्रकोष्ठ बिलासपुर	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	योग (विद्युत / याँत्रिकी)	106	79	42	36	6	9	7	2	0	1
	महायोग	1163	1014	309	210	99	91	65	26	5	12



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - "ब"

वरिष्ठ पद पर कनिष्ठ पदाधिकारी को प्रभार पर नियुक्त करने के संबंध में

स. क्र.	वरिष्ठ पद का नाम	वरिष्ठ पद पर कनिष्ठ पदाधिकारी को दिये गये प्रभार की संख्या	इनमें से वरिष्ठ पदाधिकारी के रहते हुए कनिष्ठ पदाधिकारी को युक्तियुक्त प्रशासकीय कारणों से वरिष्ठ पद के दिये गये प्रभार की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप अभियंता	—	—
2	सहायक अभियंता	57	56
3	कार्यपालन अभियंता	26	18
4	अधीक्षण अभियंता	02	02
5	मुख्य अभियंता	06	01
	योग	91	77



मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्य - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1727) की जानकारी

प्रपत्र

जिला कबीरधाम में वर्ष 2020-21 से फरवरी, 2023 तक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के बजट योजना मद में प्रावधानित राशि में से आवंटित राशि एवं व्यय विवरण

(राशि रु. में)

स.क्र.	योजना मद का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक की स्थिति में)	
		आवंटित बजट	व्यय	आवंटित बजट	व्यय	आवंटित बजट	व्यय
1.	1430- जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	61,000	54,038	25,000	8,649	42,000	36,869
2.	6562- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी क्रियान्वयन	35,000	27,472	35,000	22,899	28,000	27,394
3.	8048- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	5,160,000	48,92,468	58,13,000	55,64,232	67,79,000	60,77,683
4.	7282- जिला योजना का सुदृढीकरण	2,22,000	28,830	3,18,000	43,240	3,18,000	55,676

18/03/2023
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राजधानी नया रायपुर अटल नगर

(राशि रु. में)

स.क्र.	योजना मद का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक की स्थिति में)	
		आवंटित बजट	व्यय	आवंटित बजट	व्यय	आवंटित बजट	व्यय
5.	7493-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	4,00,00,000	कवर्धा - 1,50,08,300	2,96,20,000	कवर्धा - 1,30,76,900	8,00,00,000	कवर्धा - 1,97,26,400
	बोडला - 41,49,400		बोडला - 31,49,900		बोडला - 1,94,76,900		
	स. लोहारा- 52,66,400		स. लोहारा- 7674800		स. लोहारा- 2,30,38,200		
	पंडरिया- 1,51,55,000		पंडरिया- 53,17,000		पंडरिया- 1,11,79,800		
	आकस्मिक व्यय(जिला स्तर) - 3,54,800		आकस्मिक व्यय(जिला स्तर) - 3,32,600		आकस्मिक व्यय(जिला स्तर) - 6,64,500		

17/03/2023
(हेमलता एक्का)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

✓

पारोशिष्ट - बारह
तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1741) की जानकारी

प्रपत्र

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडल द्वारा संचालित सामग्रीमूलक योजनाओं के माध्यम से बिलासपुर संभाग में वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक वितरित सामग्रीयों, प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, निरस्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की मंडलवार जानकारी।

01. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल -

क्र.	सामग्रीमूलक योजना का नाम	वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में				
		सामग्री का विवरण	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत/लामान्वित आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	सायकल	2755	0	341	2414
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	सिलाई मशीन	416	22	125	269
3	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	सुरक्षा उपकरण किट	3786	8929	37	2384
4	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	रेजा कुली टूल किट	4031	0	1277	2754
		राजमिस्त्री टूल किट	741	49	72	620
		प्लंबर किट	71	8	0	63
		पेंटर किट	144	44	1	99
		कारपेंटर किट	37	6	1	30
		इलेक्ट्रिशियन किट	76	11	2	63
योग			12057	9069	1856	8696

टीप:- 01. प्रश्नांकित अवधि के पूर्व क्रय सामग्री के वितरण उपरांत शेष सामग्री के वितरण योजनांतर्गत पूर्व में प्राप्त आवेदनों में वितरित की गई है।

02. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रश्नांकित अवधि के पूर्व के प्राप्त आवेदनों का भी निराकरण किया गया है, जिससे प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में भिन्नता है।

02. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल -

क्र.	सामग्रीमूलक योजना का नाम	वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में				
		सामग्री का विवरण	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत/लाभान्वित आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	सायकल	4326	0	78	4248
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	सिलाई मशीन	1324	105	9	1210
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना	सायकल	2	0	0	2
4	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना	सायकल	14	0	4	10
5	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	दस्ताना, जुता एवं रेनकोट	338	332	0	6
6	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना	सायकल एवं 750 रु0 टार्च	3	0	0	3
7	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	गमबूट, दस्ताना, मास्क एवं एप्रेन	753	537	3	213
8	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना	सायकल	14	0	0	14
9	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	सायकल + 500 रु0	193	0	5	188
योग			6967	974	99	5894

03. छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल -

क.	सामग्रीमूलक योजना का नाम	वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में				
		सामग्री का विवरण	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत/लाभान्वित आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	सायकल	393	0	223	167
2	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	सिलाई मशीन	558	0	0	558
योग			951	0	223	725

Reethig

अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपु

पारोशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1739) की जानकारी


प्रपत्र

नगर पंचायत खरोरा -

स.क.	वर्ष	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य का नाम
01	2021-22	25.00	25.00	जल शुद्धिकरण संयंत्र का कार्य
02	2022-23 (दिनांक 15.02.2023)	0.00	0.00	-

नगर पंचायत कुंरा -

स.क.	वर्ष	प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य का नाम
01	2021-22	26.61	26.61	जल शुद्धिकरण संयंत्र का कार्य
02	2022-23 (दिनांक 15.02.2023)	0.00	0.00	-



अनुभाग अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग


नया पत्रालय, महानदी भवन

रायपुर (छ.ग.)

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में किये गये विविध कार्यों की जानकारी

प्रपत्र - अ



क्र.	सड़कवार कार्य का नाम	राजनांदगांव जिले में स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	कुल लंबाई जहां वृक्षारोपण किये गये (कि.मी.)	5
वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक				
1	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत टेलकाडीह-दुर्ग मार्ग (पैकेज-08) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 27.710 कि.मी.)	11.714	निरंक	वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव को 1960 नग वृक्षों के रोपण हेतु राशि रु. 1294070.00 दिनांक 12.01.2021 को जमा की जा चुकी है। वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से वन विभाग द्वारा पौधरोपण की कार्यवाही होना शेष है। अतः जीवित व अजीवित पौधों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
2	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटोटोला-खड़गांव मार्ग (पैकेज-09) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 39.170 कि.मी.)	39.170	निरंक	वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव को 12360 नग वृक्षों के रोपण हेतु राशि रु. 8976697.00 दिनांक 01.02.2022 को जमा की जा चुकी है। वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से वन विभाग द्वारा पौधरोपण की कार्यवाही होना शेष है। अतः जीवित व अजीवित पौधों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
3	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार-जेवरतला मार्ग (पैकेज-11) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 23.40 कि.मी.)	12.000	निरंक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग से डिमान्ड नोट अप्राप्त।
4	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत छुईखदान-उदयपुर-बुंदेली-दनिया मार्ग (पैकेज-12) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 26.960 कि.मी.)	26.960	निरंक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग से डिमान्ड नोट अप्राप्त।


 मुख्य अभियंता
 कार्या. प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि., नवा रायपुर
 अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में किये गये विविध कार्यों की जानकारी

प्रपत्र -ब

क्र.	सड़कवार कार्य का नाम	अनुबंधित एजेंसी का नाम	राजनांदगांव जिले में सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	रिटनिंग वाल की प्रावधानित लम्बाई (मीटर में)	टो वॉल की प्रावधानित लम्बाई (मीटर में)	टोवॉल एवं रिटनिंग वॉल की प्रावधानित राशि (लाख में)	कुल व्यय (लाख में)	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2020-2021 से 15.02.2023 तक								
1	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत टेलकाडीह-दुर्ग मार्ग (पैकेज-08) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 27.710 कि.मी.)	मेसर्स एन.सी. नाहर-आशीष इन्फ्राकॉन प्रा. लिमि. (जे.व्ही.), दुर्ग	11.714	50	1805	98.85	4.64	टोवॉल, रिटनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर
2	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला -खड़गांव मार्ग (पैकेज-09) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 39.170 कि.मी.)	मेसर्स एन.एस.पी.आर. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लिमि., हैदराबाद	39.170	3017	5410	1805.24	825.92	टोवॉल, रिटनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर
3	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार-जेवरतला मार्ग (पैकेज-11) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 23.40 कि.मी.)	मेसर्स एन.एस.पी.आर. -ए. बी.पी.एल. (जे.व्ही.), दुर्ग	12.000	1456	1560	671.13	597.81	टोवॉल, रिटनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर
4	ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत छुईखदान-उदयपुर-बुंदेली-दनिया मार्ग (पैकेज-12) का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (कुल लंबाई 26.960 कि.मी.)	मेसर्स एन.सी. नाहर-आशीष इन्फ्राकॉन प्रा. लिमि. (जे.व्ही.), दुर्ग	26.960	60	1430	110.03	11.95	टोवॉल, रिटनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर


मुख्य अभियंता
कार्य. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)


नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - पन्द्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 470) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खरीफ वर्षवार क्रय बारदानों की जानकारी

पटसन आयुक्त कोलकाता :-

क्र.	खरीफ वर्ष	जूट कमिश्नर कोलकाता से खरीदी मात्रा (गठान में)	लागत राशि (करोड़ में)
1	2021-22	214053	800.00
2	2022-23	236803	856.93
3	2023-24	निरंक	

2- अन्य फर्म / संस्था से एचडीपीई/पीपी बारदानें :-

क्र.	खरीफ वर्ष	निविदाकार का नाम	खरीदी मात्रा (गठान में)	लागत राशि (करोड़ में)
1	2021-22 (नया एचडीपीई/पीपी बारदानें जेम पोर्टल के माध्यम से)	मेसर्स समर्थ फैबलॉन प्रा-लिमि-	24593	31.97
2		मेसर्स अलकनंदा फ्यूल प्रा-लिमि-	10399	13.51
3		मेसर्स नार्थ-ईस्ट ग्रेनुलेटर्स इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर	10834	14.08
4		मेसर्स आंगन एग्रोटेक एक्सपोर्ट लिमि-	14995	19.49
5		मेसर्स वीर प्लास्टिक प्रा-लिमि-	14868	19.32
6		मेसर्स प्रताप सिंथेटिक्स लिमि-	13350	17.35
7		मेसर्स मोर टेकफैब प्रा-लिमि-	11073	14.39
8	2022-23 (नया जूट बारदाना जेम पोर्टल के माध्यम से)	मेसर्स नार्थ-ईस्ट ग्रेनुलेटर्स	1974	6.82
9	2023-24	निरंक		

3- किसान बारदानें

क्र.	खरीफ वर्ष	खरीदी मात्रा (मात्रा गठान में)	लागत राशि (करोड़ में)
1	2021-22	71038	88.79
2	2022-23	निरंक	
3	2023-24	निरंक	

4- पीडीएस बारदाना

क्र.	खरीफ वर्ष	खरीदी मात्रा (मात्रा गठान में)	लागत राशि (करोड़ में)
1	2021-22	78669	98.33
2	2022-23	65006	81.25
3	2023-24	निरंक	

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोगिता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खरीदे गये बारदानों के धान खरीदी में उपयोग एवं शेष बारदानों की जानकारी

बारदाना मात्रा (गठान में)

क्र.	खरीफ वर्ष	विवरण	नया जूट	नये एचडीपीई/पीपी बारदाना	पी.डी. एस. के जूट बारदानें	किसानों से प्राप्त जूट बारदाना
1	2021-22	धान उपार्जन में उपयोग	153305	89312	67836	71038
2		उपयोग हेतु शेष (उपार्जन केन्द्र में)	7473	2902	7512	0
3		उपयोग हेतु शेष (संघ गोदाम में)	31595	4522	3321	0
4		कुल शेष (उपार्जन केन्द्र गोदाम)	39068	7424	10833	0
5	2022-23	धान उपार्जन में उपयोग	257224	7957	59679	0
6		उपयोग हेतु शेष (उपार्जन केन्द्र में)	1682	298	3839	0
7		उपयोग हेतु शेष (संघ गोदाम में)	6039	2	1488	0
8		कुल शेष (उपार्जन केन्द्र गोदाम)	7721	300	5327	0
9	2023-24	धान उपार्जन में उपयोग				
10		उपयोग हेतु शेष (उपार्जन केन्द्र में)				
11		उपयोग हेतु शेष (संघ गोदाम में)				
12		कुल शेष (उपार्जन केन्द्र गोदाम)				

निरंक

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

परिशेष - सोलह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1099) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव जिले के राईस मिलों में घटित दुर्घटनाओं में मृतक श्रमिकों की जानकारी एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	राईस मिल का नाम एवं पता	दुर्घटना दिनांक	मृतक श्रमिक का नाम व उम्र	जांच दिनांक	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स आर.एस. फुड प्रोसेसेस (इण्डिया) प्रा.लि. रेवाडीह राजनांदगांव	12.01.2021	श्री यशवंत साहू उम्र लगभग 50 वर्ष	13-01-2021 एवं 14-01-2021	दुर्घटना के संबंध में दोषी कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री अतुल अग्रवाल के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु माननीय श्रम न्यायालय राजनांदगांव में दिनांक 06.03.2021 को अभियोजन दायर किया गया है।
2	मेसर्स तिरुपति एग्रो, ग्राम लाटमेटा, तहसील-छुरिया, जिला राजनांदगांव	31.12.2022	श्री मयाराम निषाद उम्र- 38 वर्ष	10.01.2023	दुर्घटना के संबंध में दोषी कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु माननीय श्रम न्यायालय राजनांदगांव में दिनांक 28.02.2023 को अभियोजन दायर किया गया है।

Reethi

अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर


परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1434) की जानकारी

प्रपत्र - अ

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा,
खरीदी केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र की जिलेवार जानकारी।

मात्रा टन में

क.	जिला	2021-22			2022-23		
		उपार्जन केन्द्र की संख्या	उपार्जित मात्रा	संग्रहण केन्द्र की संख्या	उपार्जन केन्द्र की संख्या	उपार्जित मात्रा	संग्रहण केन्द्र की संख्या
1	बस्तर	71	158915	4	75	199699	4
2	बीजापुर	21	63710	0	26	94128	0
3	दन्तेवाड़ा	12	17437	1	13	25241	1
4	कांकेर	137	318974	5	143	409593	5
5	कोंडागांव	57	153346	5	61	216117	5
6	नारायणपुर	11	22795	1	16	31887	1
7	सुकमा	20	46291	2	22	58490	2
8	बिलासपुर	130	484135	5	138	513000	5
9	गौरैला पेन्डा मरवाही	18	69525	6	19	91014	1
10	जांजगीर चाम्पा	239	824849	2	126	462038	2
11	कोरबा	55	170251	2	60	212925	2
12	मुंगेली	97	383865	7	101	397647	7
13	रायगढ़	143	573872	2	100	412966	2
14	सक्ती	0	0	0	119	365092	3
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	0	0	82	330718	2
16	बालोद	138	519503	4	142	567899	4
17	बेमेतरा	123	630616	1	126	664057	1
18	दुर्ग	94	417103	6	98	431319	6
19	कवर्धा	103	416301	2	107	444876	2
20	राजनांदगांव	149	825135	7	90	529448	4
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	0	0	0	45	281267	3
22	मोहला मानपुर अं. चौकी	0	0	0	25	182366	0
23	बलौदाबाजार	182	696431	3	162	618606	3
24	धमतरी	96	431397	7	98	453030	7
25	गरियाबंद	82	331515	1	86	381845	1
26	महासमंद	152	774343	5	169	824028	5
27	रायपुर	138	509956	6	138	516291	6
28	बलरामपुर	44	193871	4	47	172641	4
29	जशपुर	35	154195	1	41	196675	1
30	कोरिया	41	140093	1	20	94017	1
31	सरगुजा	46	219967	2	47	238325	2
32	सरजपुर	50	250976	5	52	264984	5
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	0	0	23	70794	0


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
राज्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- ब

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किए गए धान की जिलेवार जानकारी

मात्रा टन में

क्रमांक	जिला	खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उठाव	खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उठाव
1	बस्तर	220697	93938
2	बीजापुर	8012	3010
3	दन्तेवाड़ा	6653	3768
4	कांकेर	271451	262666
5	कोंडागांव	150786	132199
6	नारायणपुर	22517	12046
7	सुकमा	45405	19200
8	बिलासपुर	489419	499081
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	69525	72364
10	जांजगीर चाम्पा	822259	438942
11	कोरबा	170251	205572
12	मुंगेली	291070	325566
13	रायगढ़	573480	381394
14	सक्ती	0	335080
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	318330
16	बालोद	483283	452215
17	बेमेतरा	500591	553093
18	दुर्ग	571737	393141
19	कवर्धा	349434	375955
20	राजनांदगांव	740282	471885
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	0	208006
22	मोहला मानपुर अंचौकी	0	115374
23	बलौदाबाजार	504379	569182
24	धमतरी	563647	434351
25	गरियाबंद	328116	301091
26	महासमुंद	770110	790360
27	रायपुर	824062	508104
28	बलरामपुर	192610	148715
29	जशपुर	154195	166491
30	कोरिया	140093	53298
31	सरगुजा	218090	172980
32	सुरजपूर	248484	172073
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	58616

अनुभाग अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

खारा नगरिक आयुक्त एवं

सामुदायिक विकास विभाग

रायपुर, रायपुर


परिशेष - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1498) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में विगत 02 वर्षों में नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं जारी किये गये राशनकार्डों की विकासखण्डवार/नगरीय निकायवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड/नगरीय निकाय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या	अपात्र आवेदन पत्रों की संख्या
1	रायगढ़	3301	2967	334
2	पुसौर	1628	1612	16
3	खरसिया	1179	1132	47
4	घरघोड़ा	443	402	41
5	तमनार	325	305	20
6	धरमजयगढ़	3711	3619	92
7	लैलूंगा	309	259	50
	योग	10896	10296	600
8	नगर निगम रायगढ़	3874	3454	420
9	नगर पालिका खरसिया	7334	7287	47
10	नगर पंचा0 पुसौर	2948	2848	100
11	नगर पंचा0 किरोड़ीमल	1503	999	504
12	नगर पंचा0 घरघोड़ा	1347	1305	42
13	नगर पंचा0 धरमजयगढ़	2314	2234	80
14	नगर पंचा0 लैलूंगा	1768	1586	182
	योग	21088	19713	1375
	महायोग	31984	30009	1975


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशेष - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1550) की जानकारी


प्रपत्र-अ

स.क.	नये भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित थाने का नाम	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	पुलिस थाना अर्जुनी	पुलिस थाना अर्जुनी के लिए नये भवन निर्माण हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

R
17/3/23
अनुभाग अधिकारी
उत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

स. क.	ग्राम का नाम	थाना का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	थाना का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	अद्यतन स्थिति
1	बिरेतरा अंगारा	थाना कुरुद	थाना भखारा	कार्यवाही विचाराधीन है।
2	मालगांव कोसमी	थाना कैरेगांव	थाना अकलाडोंगरी	कार्यवाही प्रकियाधीन है।
3	खम्हरिया	थाना कुरुद	थाना भखारा	उक्त प्रस्ताव वर्तमान में समीक्षा में है।


 17/3/23
 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 गृह विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - इक्कीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1611) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

स.क्र.	जिला	कुल मृतक	कुल घायल
1	रायपुर	996	2452
2	बलौदाबाजार	490	752
3	महासमुंद	499	651
4	गरियाबंद	193	599
5	घमतरी	284	601
6	दुर्ग	626	1517
7	बेमेतरा	310	771
8	बालोद	291	558
9	राजनांदगांव	349	834
10	कबीरधाम	218	790
11	बिलासपुर	613	1814
12	मुंगेली	184	351
13	कोरबा	486	981
14	जांजगीरचांपा	338	683
15	रायगढ़	576	699
16	सरगुजा	377	572
17	कोरिया	147	186
18	बलरामपुर	329	427
19	सूरजपुर	413	573
20	जशपुर	412	334
21	जगदलपुर	386	613
22	कांकेर	348	682
23	कोण्डागांव	318	455
24	दन्तेवाड़ा	144	207
25	सुकमा	107	175
26	बीजापुर	100	296
27	नारायणपुर	53	137
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	143	250
29	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	175	455
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	137	129
31	सक्ती	186	245
32	सारंगगढ़-बिलाईगढ़	155	204
33	महेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	205	290
	योग	10588	20283

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उपत्र 'व'

मोटर यान अधिनियम, 1988

- (ग) ऐसी स्कीम का कोई उपबंध ऐसी तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व यथाविद्यमान मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अधीन तोषण निधि के स्थापित किये जाने की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित हो सकेगा :

परन्तु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसे उपबंध द्वारा शासित हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

163क. संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध.—(1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

163ख. कतिपय दशाओं में दावा फाइल करने का विकल्प.—जहां कोई व्यक्ति धारा 140 और धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार है वहां वह केवल उक्त धाराओं में से किसी एक धारा के अधीन दावा फाइल करेगा न कि दोनों धाराओं के अधीन।

164. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के, धारा 159 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाने वाले प्ररूप;
- (ख) बीमा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना और उनका दिया जाना;
- (ग) खोए, नष्ट हुए या कटे-फटे, बीमा प्रमाणपत्रों के बदले में उनकी दूसरी प्रतियों का दिया जाना;
- (घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, उन्हें पेश करना, रद्द करना और अभ्यर्पित करना;
- (ङ) इस अध्याय के अधीन दी गई बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख;
- (च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों द्वारा या अन्यथा पहचान;
- (छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा पालिसियों विषयक जानकारी का दिया जाना;
- (ज) इस अध्याय के उपबंधों को उन यानों के लिए, जो भारत में अस्थायी वास के लिए आने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए हैं या उन यानों के लिए, जो किसी व्यक्तिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा भारत में किसी मार्ग या क्षेत्र में चल रहे हैं, विहित उपांतरणों सहित लागू करके अनुकूल बनाना;
- (झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय-परिसीमा जिसके भीतर धारा 160 में निर्दिष्ट विशिष्टियां दी जा सकेंगी; और
- (ब) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।'

अध्याय 12

दावा अधिकरण

165. दावा अधिकरण.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

मोटर यान अधिनियम, 1988

व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि "उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिसमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है" पद के अंतर्गत ¹[धारा 164] के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं।

(2) दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और जहाँ वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वहाँ उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक वह—

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या

(ख) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ²[या किसी जिला न्यायाधीश के रूप में] नियुक्ति के लिए अर्ह न हो।

(4) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किये गए हैं वहाँ राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन कर सकेगी।

166. प्रतिकर के लिए आवेदन.—(1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा :

परंतु जहाँ प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहाँ वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा :

³[परंतु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार करता है, वहाँ दावा अधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यपगत हो जाएगी।]

⁴[(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के विकल्प पर, उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 52, द्वारा दिनांक 1-4-2022 से "धारा 140 और धारा 163क" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्र० 54 सन् 1994 द्वारा दिनांक 14-11-1994 से अंतःस्थापित।
3. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 53(i), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से अंतःस्थापित।
4. अधिनियम क्र० 54 सन् 1994 द्वारा दिनांक 14-11-1994 से प्रतिस्थापित।

मोटर यान अधिनियम, 1988

है, किया जाएगा और वह ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं :

1[* * *]

2[(3) प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से छह मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।]

3[(4) दावा अधिकरण, 4[धारा 159] के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा।]

5[(5) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी दुर्घटना में क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है, उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मृत्यु का कारण क्षति वाले अन्तर्संबंध से संबंधित है या नहीं या इसका उसके साथ कोई अन्तर्संबंध था या नहीं, विद्यमान होगा।]

167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प.—जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।

168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय.—(1) धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी हैं), यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा तथा 6[धारा 163] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी :

7[* * *]

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 53(ii), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से विलुप्त। पूर्व में परंतुक निम्नवत था :—
“परन्तु जहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं किया जाता है वहां उस आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर के ठीक पूर्व उस आशय का एक पृथक कथन होगा।”।
2. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 53(iii), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से अंतःस्थापित।
3. अधिनियम क्र० 54 सन् 1994 द्वारा दिनांक 14-11-1994 से प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 53(iv), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से “धारा 158 की उपधारा (6)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 53(v), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से अंतःस्थापित।
6. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 54(i), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से “धारा 162” शब्द और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 54(ii), द्वारा दिनांक 1-4-2022 से विलुप्त। पूर्व में परंतुक निम्नवत था :—
“परंतु जहाँ ऐसे आवेदन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा किया गया है, वहाँ ऐसा दावा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया है) अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार निपटारा जाएगा।”।

मोटर यान अधिनियम, 1988

(2) दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियाँ संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है वहाँ वह व्यक्ति जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय घोषित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिनिर्णीत समस्त रकम, ऐसी रीति से जैसी दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, जमा करेगा।

169. दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ.—(1) धारा 168 के अधीन कोई जांच करते समय दावा अधिकरण ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) दावा अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण और पेशी कराने तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सब शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा दावा अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और उसके अध्याय 26 के सब प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(3) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, दावा अधिकरण, प्रतिकर के किसी दावे का अधिनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसे सहायता देने के लिए, जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा।

1[(4) इसके अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, दावा अधिकरण को भी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी मानो अधिनिर्णय किसी सिविल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय के लिए डिक्री थी।]

170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना.—जहाँ जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दुरभिसंधि है, या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, उस दावे का विरोध करने में असफल रहा है,

वहाँ वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि वह बीमाकर्ता, जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है, उस कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाए और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब 2[धारा 150] की उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं आधारों पर करे, जो उस व्यक्ति को प्राप्त हैं, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है।

171. जहाँ दावा मंजूर किया गया है वहाँ ब्याज दिलाना.—जहाँ कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है वहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की न होगी, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाए।

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 55, द्वारा दिनांक 1-4-2022 से अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 56, द्वारा दिनांक 1-4-2022 से "धारा 149" शब्द और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

मोटर यान अधिनियम, 1988

172. कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चें दिलाना.—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने वाले दावा अधिकरण का जहाँ किसी मामले में ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि—

- (क) बीमा पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई थी जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या थी; या
- (ख) किसी पक्षकार या बीमाकर्ता ने कोई मिथ्या या तंग करने वाला दावा या प्रतिवाद पेश किया है,

वहाँ अधिकरण आदेश दे सकेगा कि जो पक्षकार दुर्व्यपदेशन का दोषी रहा है या जिसने ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया है वह, यथास्थिति, बीमाकर्ता अथवा उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया गया है, प्रतिकर के रूप में विशेष खर्चा दे।

(2) कोई भी दावा अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन विशेष खर्चों के बारे में एक हजार रुपए से अधिक की किसी रकम का आदेश न देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या बीमाकर्ता, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, मात्र इस कारण ऐसे दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद के संबंध में, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी आपराधिक दायित्व से छूट नहीं पाएगा।

(4) किसी दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद की बाबत इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत कोई रकम ऐसे दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद की बाबत प्रतिकर के संबंध में नुकसानी के लिए किसी पश्चात्कर्ता वाद में गणना में ली जाएगी।

173. अपीलें.—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है, उस अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, यदि वह ऐसे उच्च न्यायालय में पच्चीस हजार रुपए या इस प्रकार अधिनिर्णीत रकम का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रीति से जमा नहीं कर देता :

परंतु यह और कि यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समय पर अपील करने से अपीलार्थी पर्याप्त कारण से निवारित रहा था तो वह उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में न होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम ¹[एक लाख] रुपए से कम है।

174. बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना.—जहाँ किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहाँ दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाणपत्र कलक्टर को भेज सकेगा तथा कलक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

175. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.—जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया है वहाँ किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से संबंधित किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करे जिसका न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है तथा प्रतिकर के दावे की बाबत दावा अधिकरण

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 57, द्वारा दिनांक 1-4-2022 से "दस हजार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

मोटर यान अधिनियम, 1988

द्वारा या उसके समक्ष की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत सिविल न्यायालय कोई भी व्यादेश मंजूर नहीं करेगा।

176. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.—राज्य सरकार धारा 165 से धारा 174 तक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियम विशिष्टतया निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) प्रतिकर के दावों के लिए आवेदन का प्ररूप तथा वे विशिष्टियाँ जो उनमें हो सकेंगी और वे फीस, यदि कोई हों, जो ऐसे आवेदनों की बाबत दी जानी हैं;
- (ख) इस अध्याय के अधीन जाँच करने में दावा अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ग) सिविल न्यायालय में निहित शक्तियाँ जिनका प्रयोग दावा अधिकरण कर सकेगा;
- (घ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे तथा वह फीस (यदि कोई हो) जिसे देने पर दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी; और
- (ङ) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए।

अध्याय 13

अपराध, शास्तियाँ और प्रक्रिया

177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबन्ध.—जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबन्धित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो 1[पांच सौ रुपए] तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो 2[एक हजार पांच सौ रुपए] तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

3[177क. धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति.—जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।]

178. पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्ति आदि.—(1) जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मंजिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा अथवा पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने में असफल रहेगा या इंकार करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "पास" और "टिकट" के वही अर्थ हैं जो धारा 124 में इनके हैं।

(2) यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्राइवर जो ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है, जिसका यह कर्तव्य है कि—

1. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 58, द्वारा दिनांक 1-9-2019 से "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 58, द्वारा दिनांक 1-9-2019 से "तीन सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्र० 32 सन् 2019, धारा 59, द्वारा दिनांक 1-9-2019 से अंतःस्थापित।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - बाइस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1736) की जानकारी

प्रपत्र

छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 तक की स्थिति में पंजीकृत संगठित श्रमिकों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र0	जिले का नाम	संस्थान द्वारा पोर्टल में दर्ज नवीन श्रमिकों की संख्या	पोर्टल में दर्ज उपरांत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	26620	26620
2	बलौदा बाजार	1025	1025
3	महासमुंद	303	303
4	गरियाबंद	93	93
5	धमतरी	415	415
6	दुर्ग	6687	6687
7	बालोद	737	737
8	बेमेतरा	280	280
9	राजनांदगांव	2194	2194
10	कवर्धा	179	179
11	बिलासपुर	2955	2955
12	मुंगेली	332	332
13	रायगढ़	7534	7534
14	कोरबा	5653	5653
15	जांजगीर-चाम्पा	2273	2273
16	गोरेला पेंडा मरवाही	20	20
17	सरगुजा	476	476
18	सुरजपुर	31	31
19	जशपुर	33	33
20	बलरामपुर	62	62
21	कांकेर	110	110
22	कोडागांव	149	149
23	कोरिया	277	277
24	दन्तेवाड़ा	22	22
25	बस्तर	379	379
26	सुकमा	17	17
27	बीजापुर	0	0
28	नारायणपुर	0	0
योग		58856	58856

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्य - तेईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1745) की जानकारी

प्रपत्र

15/02/2023 की स्थिति में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में टेंट पण्डाल व्यवस्था हेतु फर्म एवं भुगतान की जानकारी

क्र.	फर्म का नाम	भेंट मुलाकात कार्यक्रम की संख्या	भुगतान की राशि लाख में	संभावित शेष दायित्व लाख में	टीप
		3	4	5	6
1	2				
1	'शुभम किराया भंडार, रायपुर	6	0.00	61.40	-
2	श्री भारत किराया भंडार एवं केंद्रीस	2	0.00	23.00	-
3	रवि टेन्ट हाऊस, बिलासपुर	2	0.00	34.40	-
4	भाति किराया भंडार रायपुर	1	0.00	7.00	-
5	साहू किराया भण्डार	7	0.00	42.08	-
6	व्यापक इंटर प्राइजेस	7	0.00	77.84	-
7	भाति किराया भंडार धमतरी	3	0.00	86.05	-
8	धीरज किराया भण्डार, बलौदाबाजार	7	0.00	136.08	-
9	छाबड़ा किराया भंडार धमतरी	1	0.00	20.93	-
10	भारत किराया भंडार नगरी	1	0.00	17.61	-
11	राम किराया भंडार महासमुंद	6	0.00	87.51	-
12	उजाला किराया भंडार महासमुंद	1	0.00	12.49	-
13	अमर भारत किराया भंडार महासमुंद	1	0.00	12.51	-
14	भारत टेंट हाउस धमतरी	1	0.00	10.64	-
15	रजा टेंट एंड साउंड सर्विसेस, महासमुंद,	1	0.00	4.64	-
16	चावला किराया भंडार, दुर्ग	2	0.00	77.03	-
17	सिम्मी टेंट हाउस बेमेतरा	2	0.00	68.48	-
18	हिन्दुस्तान किराया भण्डार बेमेतरा	3	0.00	91.89	-
19	बालाजी किराया भंडार बालोद	1	0.00	17.50	-
20	छाबड़ा किराया भंडार धमतरी	1	0.00	26.99	-

21	आदर्श किराया भंडार रायपुर	1	0.00	24.98	-
22	गुरुदेव किराया भंडार कामठी लाईन राजनांदगांव	7	0.00	190.76	-
23	शांति किराया भंडार, धमतरी	1	49.99	0.00	-
24	अरिहंत किराया भंडार, कामठी लाईन राजनांदगांव	6	0.00	125.77	-
25	पाल टेंट हाऊस एवं केटरिंग कवर्धा	5	0.00	56.53	-
26	गुरूनानक टेंट हाऊस कवर्धा	1	0.00	0.00	ग्राम झलमला वि.ख. बोडला में आयोजित भेंट मुलाकात का देयक अपेक्षित है।
27	बग्गा टेण्ट हाउस, तखतपुर		0.00	16.00	-
28	पंजाब टेण्ट हाउस, बिलासपुर	3	0.00	18.00	-
29	हेमकुण्ड डेकोरेटर, बिलासपुर		0.00	18.00	-
30	पंजाब क्लाथ डेकोरेटर, बिलासपुर		0.00	18.00	-
31	दुआ किराया भण्डार बिलासपुर	3	0.00	149.98	पेण्ड्रा सभाग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम से संबंधित देयक अपेक्षित है।
32	रॉयल टेन्ट हाउस कटघोरा	3	0.00	48.57	-
33	रवि टेण्ट हाऊस बिलासपुर (छ.ग.)	5	0.00	0.00	संबंधित एजेंसी/फर्म से देयक अपेक्षित है।
34	अभिषेक टेण्ट हाऊस बिलासपुर (छ.ग.)		0.00	73.58	-
35	जनता टेन्ट हाऊस रायगढ़	9	0.00	241.51	-
36	श्रीराम किराया भण्डार महासमुंद	1	0.00	21.35	-
37	फलक टेंट एण्ड इवेंट अम्बिकापुर	11	58.57	82.50	-
38	आर. के. टेंट हाउस अम्बिकापुर	10	167.01	108.36	-
39	न्यू गुप्ता टेंट हॉउस	1	0.00	18.43	-
40	संजय सिंह, हल्दी बाड़ी चिरमिरी	2	34.52	0.00	-
41	श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता, मनेन्द्रगढ़	1	21.64	0.00	-
42	अभिषेक टेंट, मनेन्द्रगढ़	6	0.00	218.80	-
43	अमर भारत किराया भण्डार, बिलासपुर	1	0.00	36.34	-
44	रायपुर इंटिरियर टेंट एण्ड लाइट	2	55.06	0.00	-
45	न्यू इंडिया डेकोर एण्ड इवेंट मैनेजमेंट रायपुर	3	29.49	90.23	-

46	बेहरा साउण्ड एण्ड डीजे लाईट	2	71.81	0.00	-
47	मेसर्स राकेश अग्रवाल, अम्बिकापुर	3	0.00	128.82	-
48	बन्टी डेकोरेशन जशपुर	1	4.63	0.00	-
49	सुनील डेकोरेशन जशपुर	1	4.50	0.00	-
50	सागर टेन्ट हाउस बगीचा	1	15.00	0.00	-
51	दुआ किराया भण्डार	1	0.00	18.91	-
52	पंजाब टेंट हॉउस	2	0.00	44.82	-
53	हेमकुण्ड डेकोरटर्स	1	0.00	19.51	-
54	शशांक गोयल दिनांक 14.06.22 एवं 25.06.22	1	0.00	59.76	-
55	वर्षा टेन्ट एण्ड इलेक्ट्रीकल साउड सर्विस हाउस जगदलपुर		0.00	3.45	
56	संगम टेन्ट हाउस जगदलपुर	3	13.29	0.00	-
57	ठाकुर टेन्ट हाउस डेकोरेटर जगदलपुर		1.86	10.58	
58	ओम साई इवेन्ट मेनेजमेन्ट जगदलपुर	6	5.29	0.00	-
59	श्री बालाजी टेंट हाउस जगदलपुर		3.39	0.00	
60	राधिका टेंट हाउस किरन्दुल, जिला दन्तेवाड़ा	3	1.64	25.31	-
61	रूही टेन्ट हाउस बघेली जिला दन्तेवाड़ा		0.00	6.00	
62	श्री कृष्णा टेन्ट एवं कंटेनर बीजापुर	4	33.50	0.00	-
63	जे.एम.डी. कंस्ट्रक्शन एण्ड इवेन्ट सर्विसेस सुकमा	3	19.50	0.00	-
64	जय माँ दन्तेश्वरी टेंट हाऊस सुकमा		18.18	0.00	
65	राजकुमार टेन्ट हाउस सुकमा		16.82	0.00	
66	मेसर्स भारत किराया भण्डार, धमतरी	7	0.00	73.04	-

67	मेसर्स दशरथ हलवाई एवं टेंट हाउस		0.00	31.03	
68	मेसर्स रहमानी टेन्ट हाउस भानुप्रतापपुर	5	0.00	2.46	-
69	साहा टेन्ट हाउस एवं बेला टेन्ट हाउस पखजुर		3.08	0.00	
70	मेसर्स शांति किराया कंटेनर्स एण्ड सप्लायर कोण्डागांव	9	59.75	0.00	-
71	तिवारी टेन्ट साउण्ड सिस्टम एवं कंटेनर्स फरसगांव		8.66	0.00	
72	मेसर्स राहुल किराया भण्डार, नारायणपुर	1	0.00	2.74	-
	योग :-	192	697.17	2900.19	-



मुख्य अभियंता (यो.)

कार्या. प्रमुख अभियंता,

लो.नि.बि. नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - चोबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1758) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या मंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म					
1	जांजगीर-बापा	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
				केचुआ क्रय 30 किलो.	0.26	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि वि. निगम		1806/18.9.2020	हों	निरंक	निरंक	
				बैक्युम एमटीयर 02 नग	15.99	श्री सालासार इंटरप्राइजेस		5116877467122 10-06-2021	हों	निरंक	निरंक	
				ई-रिक्शा 10 नग	30.47	मेसर्स आशीष कोडिया		511687721106406-1/19.06.2021	हों	निरंक	निरंक	
				ट्रेक्टर हाईड्रोलिक 02 नग	5.49	मेसर्स आशीष कोडिया		GEM 511687721106406-1/19.06.2021	हों	निरंक	निरंक	
				मिनी टिप्पर 05 नग	37.45	गणेश एमोरिया		GEM 511687793138783/17.11.2021	हों	निरंक	निरंक	
				ड्राई साईकिल 15 नग	7.5	मेसर्स आशीष कोडिया		GEM 511687721106406-1/19.06.2021	हों	निरंक	निरंक	
				स्काई लिफ्ट 01 नग	31.5	टाटा मोटर्स		GEM/2021/B/1133 875 31.03.2021	हों	निरंक	निरंक	
				जेसीबी मशीन 01 नग	29.48	टाटा हिटाची कंपनी		10857826/25-1-2021	हों	निरंक	निरंक	
			2022- फरवरी 2023	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
				सोडियम हाइपो क्लोराइड 2000 ली.	0.99	ओम इंटरप्राइजेस बोदरी		10.11.2020	हों	निरंक	निरंक	
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	स्काई लिफ्ट 01 नग	31.50	मिड पाइंट इंजीनियर्स प्रा.लि. भिलाई		13.01.2021	हों	निरंक	निरंक	
				टवीनबीन क्रय 210 नग	11.90	सालासार इंटरप्राइजेस रायपुर		12.03.2021	हों	निरंक	निरंक	
				बैक्युम एमपीयर 02 नग	15.99	सालासार इंटरप्राइजेस रायपुर		12.03.2021	हों	निरंक	निरंक	
				क्राइ. क्रय 3600 नग	1.80	नेशनल सायकल स्टोर बापा		02.07.2021	हों	निरंक	निरंक	


क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या मंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्यवाही	टिप्पणियाँ
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म					
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2021-22	गमबुट एपान काटन रवब्स	70 नग 95 नग 95 नग	1.00	एम.टी.जेड मार्केटिंग घांघा	18.01.2022	हैं	निरंक	निरंक	
			2022- फरवरी 2023	ई-रिक्शा क्रय	20 नग	42.90	गायत्री इंटरप्राइजेस जांजगीर	25.03.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				वॉटर कूलर	01 नग	1.00	महामाया ट्रेडर्स जांजगीर	08.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				टपीनवीन डस्टबीन	50 नग	3.50	शिवम इंटरप्राइजेस जांजगीर	13.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				कूलर क्रय	10 नग	0.98	असगर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टीवी सेंटर घांघा	13.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				आर.सी.सी. चेंबर क्रय	50 नग	5.25	महामाया ट्रेडर्स जांजगीर	18.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				जीम सामग्री	22 नग	10.87	गायत्री इंटरप्राइजेस जांजगीर	20.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				3सीटर आर.सी.सी. चेंबर	148 नग	15.54	महामाया ट्रेडर्स जांजगीर	20.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				खेलकूद सामग्री	34 नग	15.85	महामाया ट्रेडर्स जांजगीर	20.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				फाईबर यूरिनल	5 नग	4.83	आशीष साव जांजगीर	20.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				हाइड्रोलिक ट्रेक्टर ट्राली क्रय	4 नग	14.08	शिवम इंटरप्राइजेस जांजगीर	25.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
			2022- फरवरी 2023	हाथ ठेला क्रय	60 नग	6.00	ओम साई ट्रेडर्स जांजगीर	25.04.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				वॉटर कूलर	02 नग	1.90	सी.जी. सालुशन रायपुर	09.06.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				होम कम्पॉस्टिंग पिट	25 सेट	1.00	मे. अतुल कुमार गुप्ता सल्का, मटगांव	10.06.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				10 एचपी ओपनवेल मोटर पंप क्रय	02 नग	2.09	एग्रोटैक एजेंसी बिलासपुर	17.08.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				15 एचपी ओपनवेल मोटर पंप क्रय	01 नग	1.79	एग्रोटैक एजेंसी बिलासपुर	23.08.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				बर्तन बैंक स्थापना हेतु सामग्री	16 सेट	4.00	मे. अतुल कुमार गुप्ता सल्का, मटगांव	20.09.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				वॉटर कूलर	03 नग	2.99	महामाया ट्रेडर्स जांजगीर	30.09.2022	हैं	निरंक	निरंक	

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्रवाई	रिपोर्ट
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				मिनी ऑटो टीपर	1 नग	8.68	अवनी इंटरप्राइजेस जमनीपाली कोरबा	13.10.2022	हैं	निरंक	निरंक	
				पॉवर आपरेटिंग ट्रेक्टर	1 नग	8.76	अवनी इंटरप्राइजेस जमनीपाली कोरबा	13.10.2022	हैं	निरंक	निरंक	
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
3		न.पा.अकलतरा	2021-22	ई-रिक्शा	5 नग	10.57	शौर्य इंटरप्राइजेस कोरबा	GEM/2022/B/2413 360 Dated: 04-08-2022	हैं	निरंक	निरंक	
				ट्रेक्टर इंजन	2 नग	17.08	आशीष कोडिया अकलतरा	GEM/2022/B/2374 136 Dated: 22-07-2022	हैं	निरंक	निरंक	
			2021-22	स्काई लिफ्ट	1	31.16	मिड पाईड मिलर्स	GEM/2022/B/2402 469 Dated: 02-08-2022	हैं	निरंक	निरंक	
			2021-22	नालाभेन	1	11.8	आशीष कोडिया अकलतरा	GEM/2022/B/2374 030 Dated: 22-07-2022	हैं	निरंक	निरंक	
4		न.प.बलौदा	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			2021-22	रोड स्पीरिंग मशीन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
				वॉटर कूलर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			2021-22	ट्रेक्टर ट्रावेली सहित	1	7.2	आशीष साव जाजगीर	04-04-2022	है	निरंक	निरंक	
			2021-22	ई रिक्शा	1	14.8	शिवम इंटरप्राइजेस जाजगीर	10-05-2022	है	निरंक	निरंक	
			2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			2021-22	मिनी स्काई लिफ्ट	1	13.95	मै. मिडपाईट इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड मिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	29.03.2022	हैं	निरंक	निरंक	
			2021-22	वेक्यूम एम्बिडियर मशीन	1	7.95	वदना एम. इण्डस्ट्रीज टाकुरदियापारा सक्ती	01.08.2022	हैं	निरंक	निरंक	

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्यवाही	टिप्पणियाँ				
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
8		न.प.सारागांव	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक				
			2021-22	ई-रिक्शा	2	6.16	नीकू कोडिया	निरंक	11-05-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	जेम पोर्टल से खरीदी	
				ट्रायसायकल	5	1.20	नीकू कोडिया	निरंक	11-05-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				मिनी स्कार्ई लिफ्ट	1	14.28	यूनिक इंडिया कम्पनी	निरंक	19-08-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर इंजन	1	8.55	नीकू कोडिया	निरंक	14-07-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर ट्राली	1	3.50	नीकू कोडिया	निरंक	14-07-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
			2022-फरवरी 2023	मिनीटीपर	1	7.49	यूनिक इंडिया कम्पनी	निरंक	19-08-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				हाथदला	5	0.50	नीकू कोडिया	निरंक	19-08-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
			9		न.प.राहौद	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
						2021-22	दहीन बिन	22	1.54	श्री सालासार इंटरप्राइजेस रायपुर	निरंक	06-04-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक
मिनी स्कार्ई लिफ्ट	1	14.3					वंदना एगो इण्डस्ट्रीज सक्ती	निरंक	27-05-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
ई-रिक्शा	6	18.00					आशीष साव जाजगीर	निरंक	09-10-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
ट्रेक्टर	1	9.00					महामाया ट्रेडर्स रायपुर	निरंक	23-04-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
ट्राय सायकल	4	2.00					महामाया ट्रेडर्स रायपुर	निरंक	23-04-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
2022-फरवरी 2023	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक				निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
	2021-22	दहीन बिन				208	13.87	जिंदल जनरल सक्ती	निरंक	04-05-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
		ट्रेक्टर इंजन				2	12.25	प्रीतम ट्रेडर्स सक्ती	निरंक	17-06-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
		लोडर	1	12.34	प्रीतम ट्रेडर्स सक्ती	निरंक	17-06-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक				
काउंकेर	1	2.94	आर.के स्टोन केशर जगदल्ली	निरंक	22-03-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक						
10		न.पा.सक्ती	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक					
			2021-22	नाला मेन मशीन	1	9.26	आर.के स्टोन केशर जगदल्ली	निरंक	22-03-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक			

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या मंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्यवाही	रिपोर्ट			
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
10		न.पा.सक्ती	2022-फरवरी 2023	ई-रिक्शा	3	5.46	मधुर रेडियो जांजगीर	22-09-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक			
				पंप क्रय	8	3.41	दिनेश इले. रायगढ़	12-07-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				लोबेड ट्राली	1	3.86	रजनी इंजीनियरिंग सक्ती	27-12-2021	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				पंप क्रय	10	3.41	दिनेश इले. रायगढ़	21-11-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
				ई-रिक्शा	7	14.57	ओरिएण्टल सेल्स रायपुर	30-09-2022	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
11		न.प.नयाबाजार	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक			
				रोड स्पीरिंग मशीन	1 नग	3.99	श्री आशीष अग्रवाल, बारादाहर	12-09-2020	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				वॉटर टैंकर	1 नग	4.59	श्री रितेश अग्रवाल, रायगढ़	05-12-2020	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर ट्राली सहित	1 नग	6.49	श्री आशीष साव, जांजगीर	02-05-2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ई-रिक्शा	4 नग	12.80	श्री आशीष साव, जांजगीर	02-05-2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
12		न.प.अड़भार	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक			
				मिनी स्काई लिफ्ट	1	14.30	वदना इंजिनियरींग सक्ती	21.05.2021	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर इंजन	1	6.00		12.03.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर ट्राली	1	2.42	निकू केडिया बिलासपुर	12.03.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ई-रिक्शा	8	17.16		02.03.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर इंजन	1	5.59	मुस्कान सेल्स एण्ड सर्विस कपरेशन रायपुर	06.08.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
				ट्रेक्टर ट्राली	1	3.50		06.08.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		
बैक्यूम एम्पीटीयर	1	8.00		06.08.2022	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक						
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक				
				मिनी स्काई लिफ्ट	1	14.3	वदना एगो इंडस्ट्रीज सक्ती	518/15-09-2021	हों	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक क्रय की गई सामग्री का विवरण				निविदा आमंत्रण की तिथि	क्या संभार क्रय नियमों का पालन किया गया है	अनियमितता/गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदी एवं झट्टाघार की शिकायतों की संख्या	दोषियों पर की गई कार्यवाही	रिपोर्ट
				सामग्री	मात्रा	राशि	फर्म					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		न.प.चन्द्रपुर	2021-22	ई-रिव्यू	5	10.73	मं. निष्कू कोडिया बिलासपुर	Gem/2022/B/2001 603 Date 02.03.2022	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	बैक्यूम एम्पीटीयर	1	8.00	मं. माहामया इंटरप्राइजेस, अम्बिकापुर	1424/26.08.2022	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	ट्रैक्टर (बैक हो लोडर)	1	16.18	मं. आशीष साव, जांजगीर	Gem/2022/B/2092 142 Date 06.04.2022	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	ट्रैक्टर ट्राली	1	2.85			हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	व्हील बैरो	5	0.50	आशी इंटरप्राइजेस अकलतरा	14.07.2022	हों	निरंक	निरंक	
14		न.प.डुमरा	जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			2021-22	ई रिव्यू	5	10.72	सौरभ इंटरप्राइजेस जांजगीर	20-06-2022	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	-	-	-	-	-	-	निरंक	निरंक	
			जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
15		न.प.जौंजपुर	2021-22	ई रिव्यू	5	10.72	आकाश इंटरप्राइजेस कोरबा	जेम पोर्टल से क्रय	हों	निरंक	निरंक	
			2021-22	ट्रेक्टर इंजन	1	6.00	श्री विकास अग्रवाल खरसिया	24-03-2021	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	ट्रेक्टर ट्राली	1	2.50	शिवम इंटरप्राइजेस जांजगीर	जेम पोर्टल से क्रय	हों	निरंक	निरंक	
			2022-फरवरी 2023	मिनी टिपर	1	5.00	के.जी.एन.ट्रेडर्स अकलतरा	जेम पोर्टल से क्रय	हों	निरंक	निरंक	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1762) की जानकारी

प्रपत्र

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सड़क, पुल-पुलिया व भवनों के मरम्मत कार्य

क्र.	कराए गए मरम्मत कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	टीप
1	2	3	4
वर्ष 2021-22			
सड़क कार्य			
1	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. पैच स्प्रेयर का कार्य।	15.20	
2	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में किलोमीटर पत्थर लगाने का कार्य।	2.80	
3	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में त्वरित मरम्मत के अंतर्गत डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच का कार्य।	16.28	
4	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच का कार्य।	64.00	
	योग :- 04 कार्य (सड़क मरम्मत)	98.28	
पुल-पुलिया कार्य			
-----निरंक-----			
भवन कार्य			
1	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य।	11.00	
2	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य।	17.42	

क्र.	कराए गए मरम्मत कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	टीप
1	2	3	4
3	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई एवं डिस्टेंपरिंग का कार्य।	14.79	
	योग :- 03 कार्य (भवन मरम्मत)	43.21	
वर्ष 2022-23 (दिनांक 15.02.2023 तक)			
सड़क कार्य			
1	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत डोंगाकोहरौद मार्ग के चैनेज 4201 से 5200 कुल 1000 मीटर में डब्ल्यू.एम.एम. पैच रिपेयर का कार्य।	15.78	
2	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत डोंगाकोहरौद मार्ग के चैनेज 3201 से 4200 कुल 1000 मीटर में डब्ल्यू.एम.एम. पैच रिपेयर का कार्य।	14.42	
3	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. पैच रिपेयर का कार्य।	3.98	
4	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत जांजगीर केरा शिवरीनारायण (एस.एच.), शिवरीनारायण केरा बिरा मार्ग (एम.डी.आर.), मुलमुला बनाहिल, शिवरीनारायण खस्ताल, देवरी खोरसी तनौद भुईगांव मार्ग, ससहा सुकुलभांठा, चण्डीपारा हेडसपुर सिल्ली मार्ग, राहौद बुंदेला मार्ग, मेंहदी बुंदेला, राहौद सलखन एवं रोगदा बिरगहनी मार्ग में बी.टी. पैच का कार्य।	53.25	
5	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. पैच का कार्य।	0.00	भुगतान लंबित
6	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. पैच का कार्य।	17.97	
7	पामगढ़ शिवरीनारायण मार्ग के कि.मी. 65/6 में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.00	प्रगति पर।
	योग :- 07 कार्य (सड़क मरम्मत)	105.40	

क्र.	कराए गए मरम्मत कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	टीप
1	2	3	4
	योग :- 07 कार्य (सड़क मरम्मत)	105.40	
पुल-पुलिया कार्य			
-----निरंक-----			
भवन कार्य			
1	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायालयीन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य।	0.00	भुगतान लंबित
2	पामगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायालयीन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई कार्य।	0.00	प्रगति पर।
	योग :- 02 कार्य (भवन मरम्मत)	0.00	



मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1768) की जानकारी

प्रपत्र

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों द्वारा योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (दिनांक 15.02.2023 तक) में लाभान्वित श्रमिकों की मंडलवार, योजनावार, योजनावार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी।

01. छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लाभान्वित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड										महायोग		
		बलौदाबाजार					सिमगा						तिल्दा	
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 15 फरवरी, 2023 तक	योग	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 15 फरवरी, 2023 तक	योग	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 15 फरवरी, 2023 तक	योग	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23 15 फरवरी, 2023 तक	योग
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक नि:शुल्क कार्ड योजना	121	647	768	10	202	212	31	387	418	1398			
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना	54	77	131	5	8	13	27	54	81	225			
3	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	11	0	11	6	4	10	10	0	10	31			
4	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5			
5	मुख्यमंत्री नानी सशक्तिकरण सहायता योजना	3	229	232	1	106	107	7	211	218	557			
6	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1			
7	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6			
8	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	135	14	149	13	0	13	7	3	10	172			
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	0	714	714	0	0	0	0	0	0	714			
	महायोग	324	1681	2005	35	320	355	90	659	749	3109			

प्रपत्र

प्रदेश में 01 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2023 तक लाभाञ्चित श्रमिकों एवं व्यय राशि की मंडलवार, योजनावार जानकारी।

1. छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	लाभाञ्चित निर्माण श्रमिक संख्या	व्यय राशि	रिमार्क
1	मिनीमाता महतारी जतन योजना	50624	561773000	
2	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	104526	203920800	
3	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	4	80000	
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	84392	278102481	
5	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	3379	37619974	
6	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	60241	2272980	
7	श्रम मित्र योजना	8184	409200	
8	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	24	710000	
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	12849	54359	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है एवं शेष लंबित राशि का भुगतान किया गया है।
10	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना	130	9900000	
11	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	7186	718600000	


Geetha
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

12	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	2329	76335000	वर्तमान में योजना दिनांक 09.06.2020 को बंद कर दिया गया है।
13	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	246293	2462930	
14	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	26548	530960000	
15	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	279	3520000	
16	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र	1160177	62891584	इस योजना अंतर्गत 853060 श्रमिकों से दूरभाष पर संपर्क कर योजनाओं/पंजीयन/समस्याओं की जानकारी ली गई तथा 307117 श्रमिकों द्वारा पुछताछ एवं सहायता मागे जाने पर दूरभाष पर विभागीय योजनाओं/पंजीयन संबंधी जानकारी प्रदाय की गई एवं उनके समस्याओं का निराकरण किया गया।
17	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	0	57554902	पूर्व में क्रय सामग्री का भुगतान प्रशुद्धित अवधि में किया गया है।
18	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	562	0	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है।
19	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	914	0	
20	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	563944	14759423	निर्माण श्रमिकों को 563944 यूनिट भोजन कराया गया है।
	महायोग	2332585	2561926633	

2. छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	योजना का नाम	लामान्वित निर्माण श्रमिक संख्या	व्यय राशि	रिमार्क
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	19	0	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है।
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	214	0	
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	2	100000	
4	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	101	505000	
5	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना	10	7000	
6	ई-रिक्शा सहायता योजना	401	20050000	
7	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	3997	399700000	
8	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	396	0	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है।
9	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	393287	9077313	असंगठित कर्मकारों को 393287 यूनिट भोजन कराया गया है।
10	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	6546	6164795	
11	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	26804	404425000	
12	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	1407	3099900	
13	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	587	6860000	
14	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	938	0	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है।

15	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	4947	4553700	
16	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	9438	139996000	
17	हमाल हेतु जुता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	677	338500	
18	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	8	0	पूर्व में क्रय सामग्री में से शेष सामग्री का वितरण किया गया है।
19	सफाई कर्मकार विवाह सहायता योजना	1	15000	
20	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	41	615000	
महायोग		449821	995507208	


 अनुभाग अधिकारी
 ग्राम विभाग, प्रशासन, रायपुर

प्रपत्र

खुज्जी विधानसभा में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों के टेंडर एवं अद्यतन स्थिति

क्र.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	2020-21	छुरिया	जिला राजनांदगांव के मरकाकसा से जोब सड़क के किमी. 1/2 से 1/10 तक के निर्माण कार्य	पूर्ण	-
2	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत छुरिया उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम./बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
3	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत खुज्जी उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम./बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
4	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत छुरिया उपखण्ड के आवासीय/अआवासीय भवनों में साधारण/विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू./जमा कार्य	पूर्ण	-
5	2020-21	छुरिया	जिला राजनांदगांव वि.खं. छुरिया के गेरुघाट में शास. हाई स्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-
6	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत कुमरदा एवं खुज्जी उपखण्ड के आवासीय/अआवासीय भवनों में साधारण/विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू./जमा कार्य	पूर्ण	-
7	2020-21	छुरिया	रानी सूर्यमुखी देवी शासकीय महाविद्यालय छुरिया का रिनोवेशन कार्य	पूर्ण	-
8	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत कुमरदा एवं खुज्जी उपखण्ड के आवासीय/अआवासीय भवनों में रंगाई/पोताई/पेंटिंग कार्य	पूर्ण	-
9	2020-21	छुरिया	डोंगरगांव - कोकपुर - छुरिया मार्ग के किमी. 17, 23 से 24/2 = 2.20 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
10	2020-21	छुरिया	रा.रा. से महाराजपुर - बरेठोला मार्ग के किमी. 1 से 5 = 5.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-

क्रं.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
11	2020-21	छुरिया	अरसीटोला से गंदाटोला मार्ग के किमी. 1 से 5 = 5.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
12	2020-21	छुरिया	अरसीटोला से गंदाटोला मार्ग के किमी. 12 से 13 = 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
13	2020-21	छुरिया	गोपालपुर से खोबा मार्ग के किमी. 1/2 से 3/4 = 2.40 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
14	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत कुमरदा एवं खुज्जी उपखण्ड के आवासीय/अवासीय भवनों में साधारण/विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू/जमा कार्य	पूर्ण	-
15	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत कुमरदा उपखण्ड के मार्गों एवं पुल-पुलियों का साधारण/विशेष मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
16	2020-21	छुरिया	उपसभाग क्रमांक 2 राजनांदगांव के अंतर्गत कुमरदा एवं छुरिया उपखण्ड के मार्गों बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
17	2020-21	छुरिया	लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसभाग राजनांदगांव के अंतर्गत प्रस्तावित नदी-नालों पर पुलों की नींव निर्धारण हेतु डायमंड ड्रिल डबल ट्यूब टाईप मशीन द्वारा बोरिंग कार्य।	पूर्ण	-
18	2020-21	छुरिया	जिला राजनांदगांव के डुमरडीह से हालेकोसा मार्ग पर सूखा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	-	प्रगति पर
19	2020-21	छुरिया	जिला राजनांदगांव के ग्राम रानीपुर-खडखडी से आको के मध्य खडखडी नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	-	प्रगति पर
	2020-21	छुरिया	योग :- 19 कार्य	17 पूर्ण	2 प्रगति पर
1	2020-21	अंबागढ़ चौकी	ग्राम सोनसायटोला विकासखण्ड चौकी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-

क्रं.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	अंबागढ़ चौकी	4	5	6
2	2020-21	अंबागढ़ चौकी	उपसभाग अं.चौकी के मुख्यालय उपखण्ड क. 1 एवं 2 के अंतर्गत आवासीय/आवासीय भवनों में रंगई/पोताई/पेंटिंग कार्य	पूर्ण	-
3	2020-21	अंबागढ़ चौकी	बांधाबाजार से जोरातराई मार्ग के किमी. 1/2 से 2/10 = 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
4	2020-21	अंबागढ़ चौकी	चौकी ट्रायबल कालोनी पहुंच मार्ग के किमी. 1/2 से 1/8 = 0.80 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	-
5	2020-21	अंबागढ़ चौकी	उपसभाग अं.चौकी के मुख्यालय उपखण्ड क. 1 एवं 2 के अंतर्गत आवासीय/आवासीय भवनों में साधारण/विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू/जमा कार्य	पूर्ण	-
6	2020-21	अंबागढ़ चौकी	जिला राजनांदगांव वि.खं. अं.चौकी के करमतरा में शास. हाई स्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-
7	2020-21	अंबागढ़ चौकी	एल.सी.एस. शासकीय महाविद्यालय अं.चौकी में 06 नग अतिरिक्त कक्षा का निर्माण	पूर्ण	-
8	2020-21	अंबागढ़ चौकी	सांगली-हितागुटा मार्ग के किमी. 3/4 पर शिवनाथ नदी पर निर्मित पुल का विशेष मरम्मत कार्य।	-	प्रगति पर
9	2020-21	अंबागढ़ चौकी	राजनांदगांव-चौकी-मोहला मानपुर मार्ग के किमी. 53/4-6 पर स्थित शिवनाथ नदी पर निर्मित पुल उच्चस्तरीय का विशेष मरम्मत कार्य।	-	प्रगति पर
	2020-21	अंबागढ़ चौकी	योग :- 09 कार्य	7 पूर्ण	2 प्रगति पर
1	2020-21	डोंगरगांव	डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार मार्ग के किमी. 9/2 पर शिवनाथ नदी पर निर्मित पुल का विशेष मरम्मत कार्य।	-	प्रगति पर
	2020-21	डोंगरगांव	योग :- 01 कार्य	-	1 प्रगति पर
1	2021-22	छुरिया	जिला राजनांदगांव के बागद्वार-बेलरगौदी-पण्डरीपथरा-सीताकसा मार्ग लंबाई 8.10 किमी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित	पूर्ण	-

क्र.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
2	2021-22	छुरिया	जिला राजनांदगांव के भोलापुर से घुपसाल मार्ग लंबाई 4.00 किमी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित	पूर्ण	-
3	2021-22	छुरिया	कुहीकला आश्रम पहुंच मार्ग लंबाई 300.00 मीटर	पूर्ण	-
4	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन रामतरई पहुंच मार्ग लंबाई 250.00 मीटर	पूर्ण	-
5	2021-22	छुरिया	हायर सेकेंडरी स्कूल भवन गैदाटोला पहुंच मार्ग लंबाई 200.00 मीटर	पूर्ण	-
6	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन बेलरगौदी पहुंच मार्ग लंबाई 125.00 मीटर	पूर्ण	-
7	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन कुमरदा पहुंच मार्ग लंबाई 100.00 मीटर	पूर्ण	-
8	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन तुरंगढ़ पहुंच मार्ग लंबाई 100.00 मीटर	पूर्ण	-
9	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन जोशीलमती पहुंच मार्ग लंबाई 100.00 मीटर	पूर्ण	-
10	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन कुहीखुर्द पहुंच मार्ग लंबाई 50.00 मीटर	पूर्ण	-
11	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन विखलाकसा पहुंच मार्ग लंबाई 50.00 मीटर	पूर्ण	-
12	2021-22	छुरिया	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन गिदरी पहुंच मार्ग लंबाई 65.00 मीटर	-	प्रगति पर
13	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन खुसीपार पहुंच मार्ग लंबाई 125.00 मीटर	-	कार्य निरस्त
14	2021-22	छुरिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन चारभांठा नवागांव पहुंच मार्ग लंबाई 122.00	-	कार्य निरस्त
15	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन बड़गांव चारभांठा (नवागांव) पहुंच मार्ग लंबाई 210.00 मीटर	-	कार्य निरस्त
16	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन बेंदाड़ी पहुंच मार्ग लंबाई 70.00 मीटर	पूर्ण	-
17	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन जोब पहुंच मार्ग लंबाई 145.00 मीटर	पूर्ण	-
18	2021-22	छुरिया	50 सीटर आदिवासी छात्रावास छुरिया पहुंच मार्ग लंबाई 124.00 मीटर	पूर्ण	-
19	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन बम्हनी चारभांठा पहुंच मार्ग लंबाई 85.00 मीटर	पूर्ण	-
20	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन छुरिया जोगरी पहुंच मार्ग लंबाई 310.00 मीटर	पूर्ण	-

क्र.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
21	2021-22	छुरिया	हायर सेकेंडरी स्कूल भवन छुरिया पहुंच मार्ग लंबाई 185.00 मीटर	पूर्ण	-
22	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन गेरुघाट पहुंच मार्ग लंबाई 75.00 मीटर	पूर्ण	-
23	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन रामपुर पहुंच मार्ग लंबाई 115.00 मीटर	पूर्ण	-
24	2021-22	छुरिया	हाई स्कूल भवन हालेकोसा पहुंच मार्ग लंबाई 85.00 मीटर	पूर्ण	-
25	2021-22	छुरिया	देवरी - महरुम - खुज्जी मार्ग के किमी. 20, 23, 24 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	अप्रारंभ
26	2021-22	छुरिया	चारगांठा पहुंच मार्ग के किमी. 1/2 से 2/10 = 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	प्रगति पर
27	2021-22	छुरिया	अरसीटोला से गैंदाटोला मार्ग के किमी. 14, 15, 16 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	अप्रारंभ
28	2021-22	छुरिया	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छुरिया का उन्नयन कार्य	पूर्ण	-
29	2021-22	छुरिया	छुरिया उपखण्ड के अंतर्गत सड़क चिरचारी - जोब - भरीटोला मार्ग एवं 3 अन्य मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम./ बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
30	2021-22	छुरिया	छुरिया उपखण्ड के अंतर्गत कुमरदा - गैंदाटोला - बंजारी मार्ग एवं 3 अन्य मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम./ बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
31	2021-22	छुरिया	छुरिया उपखण्ड के अंतर्गत दारुटोला - दैहान - जोशीलमती मार्ग एवं 1 अन्य मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम./ बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
32	2021-22	छुरिया	लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग राजनांदगांव के अंतर्गत प्रस्तावित नदी-नालों पर पुलों की नींव निर्धारण हेतु बोरिंग कार्य।	पूर्ण	-
33	2021-22	छुरिया	जिला राजनांदगांव के बादराटोला से चोरहा बंजारी मार्ग पर स्थित घुमरिया नाला में पुल निर्माण	-	प्रगति पर

क्र.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
34	2021-22	छुरिया	जिला राजनांदगांव के बीजेपार से करेगांव के मध्य घुमरिया नाला पर पुल निर्माण।	-	प्रगति पर
35	2021-22	छुरिया	जिला राजनांदगांव के धनगांव से डुमरघुचा पहुंच मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	-	प्रगति पर
	2021-22	छुरिया	योग :- 35 कार्य	25 पूर्ण	05 प्रगति पर, 03 निरस्त, 02 अप्रारंभ
1	2021-22	अंबागढ़ चौकी	ग्राम चिखली के पीपरपारा व राममंदिर पारा से अस्पताल व आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर	पूर्ण	-
2	2021-22	अंबागढ़ चौकी	ग्राम सांगली नया मोहल्ला वार्ड 11 से पूर्व माध्यमिक शाला पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर	पूर्ण	-
3	2021-22	अंबागढ़ चौकी	ग्राम केकतीटोला के रहीमपारा वार्ड नं. 09 से आंगनवाड़ी चापाटोला तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर	पूर्ण	-
4	2021-22	अंबागढ़ चौकी	ग्राम भडसेना से बाजार पारा से पूर्व माध्यमिक शाला तक पहुंच मार्ग लंबाई 350 मीटर	पूर्ण	-
5	2021-22	अंबागढ़ चौकी	मुख्य मार्ग से टेठवार लड़िया के आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर	पूर्ण	-
6	2021-22	अंबागढ़ चौकी	रेंगाकठेरा-सिंगाभेडी-आमाटोला-हांडीटोला-मक्के मार्ग के किमी. 1/2 से 4/10 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	अप्रारंभ
7	2021-22	अंबागढ़ चौकी	रेंगाकठेरा - सिंगाभेडी - आमाटोला - हांडीटोला - मक्के मार्ग के किमी. 10 से 12 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	अप्रारंभ
8	2021-22	अंबागढ़ चौकी	रेंगाकठेरा - सिंगाभेडी - आमाटोला - हांडीटोला - मक्के मार्ग के किमी. 13 से 16/8 = 3.80 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	-	अप्रारंभ

क्रं.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
9	2021-22	अंबागढ़ चौकी	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला अंबागढ़ चौकी का उन्नयन कार्य	पूर्ण	-
10	2021-22	अंबागढ़ चौकी	एल.सी.एस. शासकीय महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी का रिनोवेशन कार्य	पूर्ण	-
11	2021-22	अंबागढ़ चौकी	उपसभांग अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत मुख्यालय उपखण्ड क. 1 के विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.बी.एम./बी.टी. पेव मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
12	2021-22	अंबागढ़ चौकी	व्यवहार न्यायालय अंबागढ़ चौकी में पदस्थ न्यायिक अधिकारी के लिए 01 नग ई-टाईप शासकीय आवासगृह का निर्माण	-	प्रगति पर
13	2021-22	अंबागढ़ चौकी	जिला राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में उप पंजीयक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर
	2021-22	अंबागढ़ चौकी	योग :- 13 कार्य	8 पूर्ण	02 प्रगति पर, 03 अप्रारंभ
1	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	ग्राम पंचायत मातेखेडा से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तक निर्माण कार्य लंबाई 400.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
2	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	मुख्य मार्ग से पैरीटोला के टोला से स्कूल व आंगनबाडी पहुंच मार्ग लंबाई 400.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
3	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	ग्राम पंचायत आतरगांव के आंगनबाडी केन्द्र कं. 03 से मुख्य मार्ग (बधरे घर चौक से होते हुए मुख्य मार्ग तक) लंबाई 400.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
4	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायत जरहामहका हॉस्पिटल पहुंच मार्ग लंबाई 350.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
5	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	अटल चौक से बम्हनी चारभांठा प्राथमिक शाला तक पहुंच मार्ग लंबाई 300.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
6	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	मुख्य मार्ग से ग्राम तुरैगढ़ पंचायत भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 200.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)

क्रं.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
7	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	मुख्य मार्ग से ग्राम पांगरीकला पूर्व माध्यमिक शाला तक पहुंच मार्ग लंबाई 200.00 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
8	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	मुख्य मार्ग से ग्राम देवरी प्राथमिक शाला तक पहुंच मार्ग लंबाई 350 मीटर	-	अप्रारंभ (आबंटन के अभाव में)
9	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसभाग क. 2 राजनांदगांव के अंतर्गत डोंगरगांव - कोहका - सांकरदाहरा मार्ग एवं अन्य 06 मार्गों में बी.टी. पेच / डब्ल्यू.एम.एम. मरम्मत कार्य	-	प्रगति पर
10	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	जिला राजनांदगांव के विधायक गृह ग्राम पैरीटोला से भेजराटोला से खोभा मार्ग का निर्माण पुल-पुलिया सहित लंबाई 5.30 किमी.	-	प्रगति पर
11	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	जिला राजनांदगांव के जैतगुण्डरा - मोतकुतुम्ब से भरीटोला मार्ग का निर्माण पुल-पुलिया सहित लं. 4.75 किमी.	-	प्रगति पर
12	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	जिला राजनांदगांव के आलीवारा से फगडूटोला, खोराटोला मार्ग का निर्माण पुल-पुलिया सहित लं. 3.60 किमी.	-	प्रगति पर
13	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसभाग क. 2 राजनांदगांव के अंतर्गत सिधोला - खुशीपार मार्ग एवं अन्य 12 मार्गों में बी.टी. पेच / डब्ल्यू.एम.एम. मरम्मत कार्य	-	प्रगति पर
14	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसभाग क. 2 राजनांदगांव के अंतर्गत मुख्यालय कुमरदा एवं छुरिया उपखण्ड के सड़क एवं पुल पुलियों का विशेष/साधारण मरम्मत कार्य	-	प्रगति पर
15	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसभाग क. 2 के अंतर्गत छुरिया विकासखण्ड के आवासीय/अआवासीय भवनों में विशेष मरम्मत/साधारण मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू/डिपजिट कार्य	-	प्रगति पर
16	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसभाग क. 2 राजनांदगांव के अंतर्गत गुण्डरदेही - उमरवाही - गोडलवाही - मटिया - करमरी मार्ग एवं अन्य 3 मार्गों में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-

क्र.	टेंडर का वर्ष	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
17	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	उपसंभाग क. 2 राजनांदगांव के अंतर्गत सड़क चिरचारी - जोब - भरीटोला - गेरुघाट - आठरा - बुघाटोला मार्ग एवं अन्य 3 मार्गों में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	-	प्रगति पर
18	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव - कोकपुर - छुरिया मार्ग किमी. 1 से 16, 18 से 22 = 21.00 किमी. का मजबूतीकरण	-	प्रगति पर
19	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग राजनांदगांव के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों में डबल द्यूब टाईप मशीन द्वारा नीव निर्धारण कार्य।	-	प्रगति पर
	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	छुरिया	योग :- 19 कार्य	1 पूर्ण	10 प्रगति पर, 08 अप्रारंभ
1	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	अंबागढ़ चौकी	उपसंभाग अं.चौकी के अंतर्गत मुख्यालय उपखण्ड क. 1 एवं 2 के आवासीय/अआवासीय भवनों में विशेष मरम्मत/साधारण मरम्मत/एम.ओ. डब्ल्यू./जमा मद के कार्य	-	प्रगति पर
2	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	अंबागढ़ चौकी	उपसंभाग चौकी के अंतर्गत मुख्यालय उपखण्ड क. 1 एवं 2 चौकी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.बी.एम./बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
	2022-23 में दि. 28.02.23 तक	अंबागढ़ चौकी	योग :- 02 कार्य	1 पूर्ण	1 प्रगति पर
			महायोग :- 98 कार्य	59 पूर्ण	23 प्रगति पर, 13 अप्रारंभ, 03 निरस्त



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष - उन्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 634) की जानकारी

प्रपत्र


बलौदा बायपास निर्माण में किसानों भूमि का भू-अर्जन व मुआवजा प्रकरण।

क्र.	सड़क का नाम लंबाई सहित	किसानों के लंबित भू-अर्जन प्रकरण का विवरण			वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.23 तक		किसानों के मुआवजा हेतु लंबित प्रकरण	
		किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	लंबित रहने का कारण तथा तिथि	किसानों का नाम जिन्हें भुगतान किया गया है।	भुगतान राशि (लाख में)	किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या
1	बलौदा बायपास बलौदा रामपुर चारपासा शनिचराडीह मार्ग तं.- 6. 30 कि.मी. (कि.मी. 1/2 से 7/4(100) = 6.30 कि. मी.	3	4	5	6	7	8	9
1		कृष्णलाल पिता रामसाय आदित्य सा. देह भूमि स्वामी	1	ग्राम बलौदा के इस भू-स्वामि के नाम पर भूमि का नामांतरण मई 2022 में हुआ। तत्पश्चात् भू-अर्जन प्रकरण दर्ज किया गया।	अयोध्या, मदन लाल पि. रामलाल, दुगाबाई, पुत्री रामलाल, श्यामबाई बेवा रामलाल पटेल सा.देह भूमि स्वामी	30.81	कृष्णलाल पिता रामसाय आदित्य सा. देह भूमि स्वामी	1
2		कलेशर, रमेशर, दूजराम सरकार कंवर, लखन पिता बुद्धु मुखार्ज व रामसिंह जाति कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1	चारपासा के 6 भू-स्वामियों को आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के अंतर्गत दि. 12.9.22 को प्रारूप 'क' जारी किया गया।	बिसाहीन पिता गिरधारी पटल सा.देह भूमि स्वामी	0.57	कलेशर, रमेशर, दूजराम सरकार कंवर, लखन पिता बुद्धु मुखार्ज व रामसिंह जाति कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1
3		रामकुमार, जनकराम, मनकराम पि. बहोरन बिरीजबाई बहोरन जाति- कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1		जीवनलाल रमेशकुमार पिता किरुन लाल सा.देह भूमि स्वामी	0.95	रामकुमार, जनकराम, मनकराम पि. बहोरन बिरीजबाई बहोरन जाति- कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1

क्र.	सड़क का नाम लंबाई सहित	किसानों के लंबित मू-अर्जन प्रकरण का विवरण			वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.23 तक			किसानों के लंबित प्रकरण	
		किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	लंबित रहने का कारण तथा तिथि	किसानों का नाम जिन्हें भुगतान किया गया है।	भुगतान राशि (लाख में)	किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4		गौरीशंकर, शिवशंकर पि. नारायण प्रसाद, अमरिका बाई, शीतलाबाई, दुगाबाई, नरबदाबाई, पुत्री नारायण प्रसाद प्रमाद कुमार, परमेश्वर वल्द सीताराम कन्याकुमार पुत्री सीताराम शकुंतला पिता सीताराम भागीरथी, शालिकराम, प्रहलाद, ध्रुव कुमार, संतोष कुमार पिता सुकनंदन, रामबाई बेवा सुकनंदन, श्याम बाई तारबाई, संतोषी पुत्री सुकनंदन, रंगनाथ, गोविंद प्रसाद, क्रांति बाई बेवा गोविंद प्रसाद, त्रिलोकी, महेन्द्र प्रहलाद, योगेन्द्र वल्द जगदीश प्रसाद, शैल, लाला लाला पुत्री जगेश प्रसाद, संतोष कुमार, मथुरा प्रसाद, श्रीमती पिता मथुरा प्रसाद, रामकिशोर प्रसाद, पिता माधोप्रसाद, तालुनी, मालती बाई, पुत्री माधोप्रसाद, सुमित्रा पुत्री निलकंठ, राजेन्द्र कुमार, कमल, नारायण, चंद्रकुमार, शकुनकुमार कृष्णकुमार, विनोद राघवेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार	1	जनवरी 2023 तक प्रारूप 'ख' में मू-स्वामियों की संख्या अधिक होने के कारण सहमति नहीं दे सके। अनिवार्य मू-अर्जन के अंतर्गत प्रकरण कलेक्टर जांजगीर चांपा को दिनांक 20 जनवरी 2023 को पुनः प्रस्तुत किया गया।	डूमर लाल, लक्ष्मीप्रसाद, पि. घरिया, शांतिबाई जानकीबाई पुत्री घासिया बहरतीनबाई बेवा घासिया चोवाराम वल्द कृपाल कुसुमबाई बेवा कृपाल सा.देह भूमि स्वामी	5.79	गौरीशंकर, शिवशंकर पि. नारायण प्रसाद, अमरिका बाई, शीतलाबाई, दुगाबाई, नरबदाबाई, पुत्री नारायण प्रसाद प्रमाद कुमार, परमेश्वर वल्द सीताराम कन्याकुमार पुत्री सीताराम शकुंतला पिता सीताराम भागीरथी, शालिकराम, प्रहलाद, ध्रुव कुमार, संतोष कुमार पिता सुकनंदन, रामबाई बेवा सुकनंदन, श्याम बाई तारबाई, संतोषी पुत्री सुकनंदन, रंगनाथ, गोविंद प्रसाद, क्रांति बाई बेवा गोविंद प्रसाद, त्रिलोकी, महेन्द्र प्रहलाद, योगेन्द्र वल्द जगदीश प्रसाद, शैल, लाला लाला पुत्री जगेश प्रसाद, संतोष कुमार, मथुरा प्रसाद, श्रीमती पिता मथुरा प्रसाद, रामकिशोर प्रसाद, पिता माधोप्रसाद, तालुनी, मालती बाई, पुत्री माधोप्रसाद, सुमित्रा पुत्री निलकंठ, राजेन्द्र कुमार, कमल, नारायण, चंद्रकुमार, शकुनकुमार कृष्णकुमार, विनोद राघवेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार	1	

क्र.	राइक का नाम लंबाई सहित	किसानों के लंबित शू-अर्जन प्रकरण का विवरण				वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.23 तक		किसानों के मुआवजा हेतु लंबित प्रकरण	
		किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	लंबित रहने का कारण तथा तिथि	किसानों का नाम जिन्हें भुगतान किया गया है।	भुगतान राशि (लाख में)	किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		खल्द जगमोहन, गुलाबा बाई फुलवाबाई, चंपाबाई पुत्री जगमोहन, चमेलीबाई, सरोजनी बाई, शकुंतला गिरिजा बाई पुत्री जगमोहन, रामदास राजकुमार, शम्भतकुमार, नंद कुमार, दशरथ पिता श्यामलाल, दुलारीबाई, नर्मदाबाई, कलीबाई पुत्री श्यामलाल, शिवकुमार, जयकुमार, ध्रुवकुमार, प्रदीपकुमार, सतीशकुमार, संतोषकुमार पिता अभिमन्यु लाल, ललिताबाई, राधाबाई, लक्ष्मीनबाई पुत्री लक्ष्मीनबाई पुत्री अभिमन्यु लाल, तीर्थरमन वल्द छन्नू लाल, वल्द छन्नू लाल, सीताबाई, कमला बाई पुत्री छन्नू लाल, पुत्री छन्नू लाल, जाति- अग्रवाल सा. देह बलौदा भूमि स्वामी	1					खल्द जगमोहन, गुलाबा बाई फुलवाबाई, चंपाबाई पुत्री जगमोहन, चमेलीबाई, सरोजनी बाई, शकुंतला गिरिजा बाई पुत्री जगमोहन, रामदास राजकुमार, शम्भतकुमार, नंद कुमार, दशरथ पिता श्यामलाल, दुलारीबाई, नर्मदाबाई, कलीबाई पुत्री श्यामलाल, शिवकुमार, जयकुमार, ध्रुवकुमार, प्रदीपकुमार, सतीशकुमार, संतोषकुमार पिता अभिमन्यु लाल, ललिताबाई, राधाबाई, लक्ष्मीनबाई पुत्री लक्ष्मीनबाई पुत्री अभिमन्यु लाल, तीर्थरमन वल्द छन्नू लाल, वल्द छन्नू लाल, सीताबाई, कमला बाई पुत्री छन्नू लाल, पुत्री छन्नू लाल, जाति- अग्रवाल सा. देह बलौदा भूमि स्वामी	
5		सिंदार सिंह देवानसिंह पिता टिकैत सिंह पिलवा रामसिंह देवसिंह पत्थर सिंह देवसिंह देवसिंह कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1		संतोष देवी पति हरिशंकर अग्रवाल सा. देह भूमि स्वामी	12.10	सिंदार सिंह देवानसिंह पिता टिकैत सिंह पिलवा रामसिंह देवसिंह पत्थर सिंह देवसिंह कंवर सा. देह भूमि स्वामी	1	
6		ननकी गिर, सुरेशगिर, पि. शंकर गिर ना.बा. अलोकगिर, ना.बा. अतुल बलि मों संगीता बे दिनेशगिर जाति- गोस्वामी सा. देह भूमि स्वामी	6		हरिशंकर पिता बिसाहू लाल अग्रवाल	4.15	ननकी गिर, सुरेशगिर, पि. शंकर गिर ना.बा. अलोकगिर, ना.बा. अतुल बलि मों संगीता बे दिनेशगिर जाति- गोस्वामी सा. देह भूमि स्वामी	6	

क्र.	सड़क का नाम लंबाई सहित	किसानों के लंबित भू-अर्जन प्रकरण का विवरण			वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.23 तक		किसानों के मुआवजा हेतु लंबित प्रकरण	
		किसान का नाम	लंबित रहने का कारण तथा तिथि	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या	किसानों का नाम जिन्हें मुगतान किया गया है।	मुगतान राशि (लाख में)	किसान का नाम	किसानों के लंबित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		रामप्रसाद, देवप्रसाद पिता अर्जुन भुरीबाई पुत्री अर्जुन रामफल दीपा पि. सोनसाय पटल सा. देह भूमि स्वामी	1				रामप्रसाद, देवप्रसाद पिता अर्जुन भुरीबाई पुत्री अर्जुन रामफल दीपा पि. सोनसाय पटल सा. देह भूमि स्वामी	1
8		जोगीराम मुनीराम बोधीराम बोधराम पिता लैना जाति सतनामी सा. देह भूमि स्वामी	1	दुचीहरदी के 3 भू-स्वामियों का रिकार्ड दुरुस्त नहीं होने के कारण प्रकरण में विलंब हुआ।			जोगीराम मुनीराम बोधीराम बोधराम पिता लैना जाति सतनामी सा. देह भूमि स्वामी	1
9		लेखराम पिता केल्हवा जाति यादव सा. देह भूमि स्वामी	2	वर्तमान में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 6.3.23 को जारी किया गया है। शीघ्र अवाई पारित हो जायेगा।			लेखराम पिता केल्हवा जाति यादव सा. देह भूमि स्वामी	2
10		घसिया उर्फ अंगन पिता दसरु जाति सतनामी सा. देह भूमि स्वामी	1				घसिया उर्फ अंगन पिता दसरु जाति सतनामी सा. देह भूमि स्वामी	1
		10 - किसान	16		06 किसान	54.37	10 - किसान	16


 मुख्य अभियंता(योजना)
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1423) की जानकारी

प्रपत्र

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणा का क्रियान्वयन

क्र.	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा अंतर्गत निर्माण कार्य का नाम	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा		प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति		अप्रारंभ का कारण
		स्थल का नाम	दिनांक	प्राप्त	अप्राप्त	प्रारंभ	अप्रारंभ	
1	2			3	4	5	6	7
जनवरी वर्ष 2020-21 से अक्टूबर 2022 तक								
1	कसडोल-भैसगढ़ी-बड़गांव होते हुए बरलिया की जर्जर सड़क की मरम्मत लं. 14.40 कि.मी.।	जिला रायगढ़ मिनी स्टेडियम	02.01.2021	प्राप्त	-	-	अप्रारंभ	कार्य निविदा स्तर पर
2	कुंजारा-तोलगे-मिलुपारा मार्ग लंबाई 28.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	जिला रायगढ़ मिनी स्टेडियम	02.01.2021	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
3	हमीरपुर-बरकछार से बजारी अड़बहाल तक 19.00 कि.मी. सड़क निर्माण की घोषणा	कुंजैमुरा	13.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
4	ग्राम रेंगालबहरी से घरघोड़ा सीमा 1.50 कि.मी. सड़क निर्माण की घोषणा	कुंजैमुरा	13.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त

क्र.	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा अंतर्गत निर्माण कार्य का नाम	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा		प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति		अप्रारंभ का कारण
		स्थल का नाम	दिनांक	प्राप्त	अप्राप्त	प्रारंभ	अप्रारंभ	
1	2			3	4	5	6	7
5	ग्राम पेलमा से मडियाकछार 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण की घोषणा	कुंजेपुरा	13.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
6	तमनार-उरबा होते हुए लैलुंगा मार्ग 28.00 कि.मी. सड़क निर्माण की घोषणा	कुंजेपुरा	13.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
7	जिला-रायगढ़ के लैलुंगा-पोतरा मार्ग पर खारून नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	राजपुर	12.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
8	जिला-रायगढ़ के ग्राम-सुबरा से कटंगपारा, सलिहापारा मार्ग पर खारून नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	राजपुर	12.09.2022	-	अप्राप्त	-	अप्रारंभ	प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त
	योग :- 08 कार्य			01 प्राप्त	07 अप्राप्त		08 अप्रारंभ	

Sam
मुख्य अभियंता (यो.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
डि.ए.नो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - इकतीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1444) की जानकारी

प्रपत्र -अ

खरीफ वर्षवार चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रों से माहवार धान उठाव की जानकारी

(धान की मात्रा मे. टन में)

वर्ष	दिसम्बर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021	मई 2021	जून 2021	जुलाई 2021	अगस्त 2021	सितम्बर 2021	अक्टूबर 2021	नवम्बर 2021
2020-21	33393.04	71147.76	16941.40	9176.56	6199.94	9725.80	328.30	683.37	0.00	15.20	208.26	53.64
2021-22	दिसम्बर 2021	जनवरी 2022	फरवरी 2022	मार्च 2022	अप्रैल 2022	मई 2022
2022-23	नवम्बर 2022	दिसम्बर 2022	जनवरी 2023	फरवरी 2023	मार्च 2023	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023
	2819	85987	59253	13061

अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 स्वच्छ गावार्थिक आयुर्विज्ञान
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


प्रपत्र-ब (1)

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रों से राईस मिलर्स को धान प्रदाय की जानकारी

(धान की मात्रा मे. टन में)

क्र.	सोसायटी का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	मिलर को प्रदाय धान मात्रा
1	अड़भार	अड़भार	2544.36
2	अड़भार	बुंदेली	2312.56
3	अड़भार	बंदोरा	1153.86
4	अमलडीहा	अमलडीहा	4275.42
5	आमनदुला	आमनदुला	1316.04
6	कटेकोनी छोटे	कटेकोनी छोटे	1565.37
7	करापाली	करापाली	2216.64
8	कलमा	कलमा	2048.35
9	कंवली	कंवली	2796.44
10	कुसमुल	कुसमुल	1457.00
11	कांसा	कांसा	2820.28
12	किरारी (डभरा)	किरारी	2121.04
13	कोटमी (डभरा)	कोटमी	2616.62
14	चंद्रपुर	चंद्रपुर	3099.89
15	चरौदा	चरौदा	3081.16
16	जवाली	जवाली	1932.40
17	डभरा	डभरा	4161.83
18	दर्री	दर्री	2420.69
19	देवरघटा (डभरा)	देवरघटा (डभरा)	3346.36
20	देवरघटा (डभरा)	बरतुंगा	1683.72
21	धुरकोट (डभरा)	धुरकोट	2492.00
22	नवापारा (मालखरौदा)	नवापारा (मालखरौदा)	2112.39
23	पुंटीडीह	पुंटीडीह	1907.56
24	पिरदा	पिरदा	1175.04
25	पोता	करीगाँव	843.66
26	पोता	पोता	2485.48
27	फगुरम	फगुरम	5230.64
28	फगुरम	भाटा	3084.80

29	फरसवानी	फरसवानी	3258.80
30	बघौद	टूडरी	961.80
31	बघौद	बघौद	1938.28
32	बडेकटेकोनी	बडेकटेकोनी	2045.02
33	बडेपाइरमुडा	बडेपाइरमुडा	1029.20
34	बडेसीपत	बडेसीपत	2791.84
35	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह	1865.00
36	बारापीपर	बारापीपर	1942.12
37	भठोरा	भठोरा	1763.92
38	मुक्ता	जमगहन	621.16
39	मुक्ता	मुक्ता	1138.88
40	मइवा (डभरा)	मइवा	4214.72
41	मालखरौदा	मालखरौदा	1724.38
42	रेडा	रेडा	1988.24
43	सकराली	सकराली	1499.90
44	सपोस	सपोस	3875.26
45	सिंघरा	सिंघरा	1291.00
46	सिंघीतराई	सिंघीतराई	965.12
47	सिरियागढ़	सिरियागढ़	4021.52
48	सोनादुला	सुलौनी	832.40
49	सोनादुला	सोनादुला	1759.52
कुल योग			109829.67


अनुभाग अधिकारी
 वक्श क्रमांक-2
 रवाय नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मन्नालय, रायपुर


प्रपत्र-ब (2)

वर्ष 2021-22 में विधानसभा चन्द्रपुर क्षेत्र अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रों से मिलरों को प्रदाय धान की जानकारी

धान की मात्रा में. टन में

क्र.	सोसायटी का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	मिलर को प्रदाय धान मात्रा
1	अड़भार	अड़भार	2962.84
2	अड़भार	बुंदेली	2729.48
3	अड़भार	बंदोरा	1605.16
4	अमलडीहा	अमलडीहा	4250.00
5	आमनदुला	आमनदुला	1724.08
6	कटेकोनी छोटे	कटेकोनी छोटे	1579.56
7	करापाली	करापाली	2490.68
8	कलमा	कलमा	2067.08
9	कलमा	पलसदा	1234.20
10	कंवली	कंवली	3977.64
11	कुसमुल	कुसमुल	2416.08
12	कांसा	कांसा	3378.84
13	किरारी (डभरा)	किरारी	2175.04
14	कोटमी (डभरा)	कोटमी	4667.28
15	चंद्रपुर	चंद्रपुर	3693.88
16	चरौदा	चरौदा	4205.20
17	जवाली	जवाली	2194.00
18	डभरा	डभरा	4578.44
19	डभरा	रामभाठा	1196.20
20	दरी	दरी	2900.76
21	देवरघटा (डभरा)	देवरघटा (डभरा)	4523.40
22	देवरघटा (डभरा)	बरतुंगा	1646.56
23	धुरकोट (डभरा)	धुरकोट	2814.52
24	नवापारा (मालखरौदा)	नवापारा (मालखरौदा)	1600.68
25	पुंटीडीह	पुंटीडीह	1685.52
26	पिरदा	पिरदा	2588.12
27	पोता	करीगाँव	1400.24
28	पोता	पोता	3421.52
29	फगुरम	फगुरम	5171.36
30	फगुरम	भाटा	3466.00
31	फरसवानी	गोबरा	2591.52
32	फरसवानी	फरसवानी	2704.28


33	बघौद	टूडरी	2598.00
34	बघौद	बघौद	2702.80
35	बडेकटेकोनी	बडेकटेकोनी	2705.68
36	बडेपाडरमुडा	बडेपाडरमुडा	2229.96
37	बडेसीपत	बडेसीपत	2975.92
38	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह	2608.72
39	बारापीपर	बारापीपर	1899.28
40	भठोरा	भठोरा	2335.68
41	मुक्ता मालखरौदा	जमगहन	1122.64
42	मुक्ता मालखरौदा	मुक्ता	1899.32
43	मडवा (डभरा)	मडवा	2356.16
44	मालखरौदा	मालखरौदा	1914.28
45	रेडा	रेडा	2807.48
46	सकराली	सकराली	2070.92
47	सपोस	सपोस	4421.36
48	सिंघरा	सिंघरा	2238.28
49	सिंघीतराई	सिंघीतराई	1386.12
50	सिरियागढ	सिरियागढ	3722.64
51	सोनादुला	सुलौनी	1257.20
52	सोनादुला	सोनादुला	2062.16
कुल योग			136954.76


 अनुभाग आ.सि.स.
 बंध क्रमांक-2
 स्वच्छ नागरिक आपूर्ति
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र ब 3

वर्ष 2022 -23 में विधानसभा चन्द्रपुर क्षेत्र अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रों से मिलरों को प्रदाय धान की जानकारी			
क्र.	सोसायटी का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	प्रदाय धान की मात्रा
1	अड्भार	अड्भार	3039.12
2	अड्भार	बुंदेली	2742.2
3	अड्भार	बंदोरा	1630.68
4	अमलडीहा	अमलडीहा	5863.8
5	आमनदुला	आमनदुला	1803.04
6	कटेकोनी छोटे	कटेकोनी छोटे	1921.24
7	करापाली	करापाली	2775.28
8	कलमा	कलमा	2381.24
9	कलमा	पलसदा	1333.52
10	कंवली	कंवली	3175.12
11	कुसमुल	कुसमुल	2420.08
12	कांसा	कांसा	3521.84
13	किरारी (डभरा)	किरारी	3093.56
14	कोटमी (डभरा)	कोटमी	5684.44
15	चंद्रपुर	चंद्रपुर	3779.92
16	चरौदा	चरौदा	2273.44
17	चरौदा	लिमगांव	2030.84
18	जवाली	जवाली	2841.04
19	डभरा	डभरा	5217.36
20	डभरा	रामभाठा	1238.8
21	दर्री	दर्री	4295.28
22	देवरघटा (डभरा)	देवरघटा (डभरा)	2505.6
23	देवरघटा (डभरा)	बरतुंगा	1768.64
24	देवरघटा (डभरा)	सुखदा	2125
25	धुरकोट (डभरा)	धुरकोट	3400.36

26	नवापारा (मालखरौदा)	नवापारा (मालखरौदा)	2244.96
27	पुंटीडीह	पुंटीडीह	2248.4
28	पिरदा	पिरदा	3682.12
29	पोता	करीगाँव	1381.96
30	पोता	पोता	3516.72
31	फगुरम	फगुरम	5415.32
32	फगुरम	भाटा	3548.4
33	फरसवानी	गोबरा	2624.64
34	फरसवानी	फरसवानी	2695.12
35	बघौद	टूडरी	3772.92
36	बघौद	बघौद	3232.36
37	बड़ेकटेकोनी	बड़ेकटेकोनी	2758.16
38	बड़ेपाड़रमुड़ा	बड़ेपाड़रमुड़ा	2540.12
39	बड़ेसीपत	नगझर	2027.36
40	बड़ेसीपत	बड़ेसीपत	3543.4
41	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह	2063.52
42	बारापीपर	बारापीपर	3031.76
43	भठोरा	भठोरा	2387.36
44	मुक्ता मालखरौदा	जमगहन	1332.48
45	मुक्ता मालखरौदा	मुक्ता	1923.64
46	मड़वा (डभरा)	मड़वा	4323.44
47	मालखरौदा	मालखरौदा	2929.2
48	रेड़ा	रेड़ा	3599.8
49	सकराली	सकराली	2534
50	सपोस	सपोस	5623.84
51	सिंघरा	सिंघरा	2644.84
52	सिंघीतराई	सिंघीतराई	1567
53	सिरियागढ़	सिरियागढ़	5739.24
54	सोनादुला	सुलौनी	1820.36
55	सोनादुला	सोनादुला	1507.32
कुल			161121.2



 अनुभाग २२
 कक्षा क्रमांक-२
 स्वच्छ नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मन्त्रालय, रायपुर

प्रपत्र - स

(धान की मात्रा मे. टन में)

चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत धान संग्रहण केन्द्र में धान भण्डारण
का विवरण

क्र.	वर्ष	संग्रहण केन्द्र का नाम	योग
1	2020-21	बोड़ासागर (शेरो)	12223.20
2		शा. भूमि डभरा	23076.40
3		सक्ती	2744.00
कुल योग			38043.60
1	2021-22	बोड़ासागर(शेरो)	9772.00
2		शा. भूमि डभरा	10508.80
3		सक्ती	465.00
कुल योग			20745.80
1	2022-23	बोड़ासागर(शेरो)	निरंक
2		शा. भूमि डभरा	
3		सक्ती	
कुल योग			



 अनुभाग अधीक्षक
 कक्षा प्रशासन
 स्वयं जागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मन्त्रालय, रायपुर

परीशद - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1472) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	संग्रहण केन्द्र का नाम	विपणन संघ के अंतर्गत नियोजित कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक/कर्मचारी				ठेकेदार के अंतर्गत नियोजित श्रमिक/कर्मचारी				कुल नियोजित श्रमिक/कर्मचारी			
		कुशल	अर्द्धकुशल	अकुशल	योग	कुशल	अर्द्धकुशल	अकुशल	योग	कुशल	अर्द्धकुशल	अकुशल	योग
1	सिंधोला	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
2	सेवताटोला	4	0	0	4	0	6	34	40	4	6	34	44
3	बीजाभाठा	4	0	0	4	0	8	26	34	4	8	26	38
4	कलकसा	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
योग		15	0	0	15	0	14	60	74	15	14	60	89


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1497) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	सड़क का नाम	स्वीकृत नवीन सड़क / वार्षिक मरम्मत (नवीनीकरण) / रख-रखाव (पैच मरम्मत)	स्वीकृत नवीन सड़क / वार्षिक मरम्मत (नवीनीकरण) / रख-रखाव (पैच मरम्मत)	स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	
1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक					
1	जिला रायगढ़ के अस्पताल पारा से कांसाबहार पहुँच मार्ग लं. 4.00 कि.मी.	नवीन सड़क	नवीन सड़क	अपूर्ण	06 / 2023
	योग :- 01 कार्य			01 अपूर्ण	
1	----- निरंक -----	वार्षिक मरम्मत	वार्षिक मरम्मत	----- निरंक -----	
1	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग के कि.मी. 01 से 25/4, 25/6, 45/4, 88 से 130 एवं 131 से 171	रख-रखाव	रख-रखाव	पूर्ण	--
2	घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग के कि.मी. 36 से 40 = 5.00 कि.मी.	रख-रखाव	रख-रखाव	पूर्ण	--
3	धरमजयगढ़-खरसिया मार्ग के कि.मी. 10 से 14 = 5.00 कि.मी.	रख-रखाव	रख-रखाव	पूर्ण	--
	योग :- 03 कार्य			03-पूर्ण	
1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक					
1	जिला रायगढ़ के बोजिया से चीतापाली मार्ग निर्माण लं. 6.00 कि.मी.	नवीन सड़क	नवीन सड़क	अपूर्ण	03 / 2023

क्र.	सड़क का नाम	स्वीकृत नवीन सड़क / वार्षिक मरम्मत (नवीनीकरण) / रख-रखाव (पैंच मरम्मत)	स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
2	जिला रायगढ़ के कोन्धा से सेमीपाली मार्ग निर्माण लं. 7.00 कि.मी.	नवीन सड़क	अपूर्ण	निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
3	जिला रायगढ़ के हाटी से जामपाली मार्ग निर्माण लं. 12.00 कि.मी.	नवीन सड़क	अपूर्ण	निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
4	जिला रायगढ़ के ससकोबा बांधापारा तिलडेगा मार्ग लं. 2.00 कि.मी.	नवीन सड़क	अपूर्ण	03 / 2023
5	जिला रायगढ़ के घरघोड़ा -छाल मार्ग के 13.40 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (कार्य वर्ष 2020-21)	नवीन सड़क	अपूर्ण	05 / 2023
6	जिला रायगढ़ के बरमौना मार्ग से ठाकुरदेव पहुँच मार्ग लं. 1.90 कि.मी.	नवीन सड़क	अपूर्ण	03 / 2023
7	जिला रायगढ़ के चंद्रपुर- डभरा- खरसिया- धरमजयगढ़ -पथलगांव मार्ग लंबाई 102.50 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य	नवीन सड़क	अपूर्ण	04 / 2024
8	रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य लं. 56.00 कि.मी.	नवीन सड़क	अपूर्ण	12 / 2024
9	जिला रायगढ़ के छाल -घरघोड़ा मार्ग के कि.मी. 8,9,10 एवं 17 से 23 कुल 10 कि.मी. का उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य पुल पुलिया सहित।	नवीन सड़क	अपूर्ण	04 / 2023
	योग :- 09 कार्य		09 अपूर्ण	

क्र.	सड़क का नाम	स्वीकृत नवीन सड़क / वार्षिक मरम्मत (नवीनीकरण) / रख-रखाव (पैंच मरम्मत)	स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
1	बैहामुड़ा-भेन्द्रा पहुँच मार्ग किमी 1 से 4 = 4.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य।	वार्षिक मरम्मत	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
	योग :- 01 कार्य		01 अपूर्ण	
1	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
2	धरमजयगढ़-खरसिया मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
3	अम्बटिकर, पहुँच मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
4	घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
5	दनौट-कया-कमतरा मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
6	राजपुर-कोड़ासिया-बहमा मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
7	तमनार-उरबा-लैलूंगा मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
8	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग कि.मी.116/10 से 117 = 1.20 कि.मी.	रख-रखाव	पूर्ण	-
	योग :- 08 कार्य		08-पूर्ण	
1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक				
1	निरंक	नवीन सड़क		निरंक
1	निरंक	वार्षिक मरम्मत		निरंक

क्र.	सड़क का नाम	स्वीकृत नवीन सड़क / वार्षिक मरम्मत (नवीनीकरण) / रख-रखाव (पैंच मरम्मत)	स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
1	अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग कि.मी. 159 से 171	रख-रखाव	पूर्ण	-
2	घरघोड़ा -लैलूगा मार्ग कि.मी. 36 से 47	रख-रखाव	पूर्ण	-
3	चरखापारा- ससकोबा-बंधनपुर- कापू मार्ग	रख-रखाव	पूर्ण	-
4	बालकपोड़ी पहुँच मार्ग व्ही.आर-94	रख-रखाव	पूर्ण	-
5	ठाकुरपोड़ी पहुँच मार्ग व्ही.आर-95	रख-रखाव	पूर्ण	-
6	लिप्ती -विजयनगर मार्ग व्ही.आर-96	रख-रखाव	पूर्ण	-
7	रैरूमा -खुर्द पहुँच मार्ग व्ही.आर-97	रख-रखाव	पूर्ण	-
8	दनौट-कया-कमतरा मार्ग	रख-रखाव	अपूर्ण	03 / 2023
9	कापू से कुमरता मार्ग व्ही.आर-180	रख-रखाव	अपूर्ण	03 / 2023
	योग :- 09 कार्य		07 पूर्ण 02 अपूर्ण	

Handwritten signature

मुख्य अभियंता (यो.)
कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1499) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में				
सरलक्र.	थाना	दुर्घटना	मृतक	घायल
01	कोतवाली	202	82	141
02	चक्रधरनगर	83	41	51
03	कोतरारोड	67	41	43
04	जूटमिल	2	2	0
05	पूजीपथरा	36	30	37
06	पुसौर	70	41	39
07	छाल	38	27	29
08	खरसिया	127	70	112
09	भूपदेवपुर	32	24	17
10	लैलूंगा	83	60	35
11	धरमजयगढ़	49	37	55
12	घरघोड़ा	85	54	48
13	तमनार	85	40	58
14	कापू	21	14	18
योग		980	563	683


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र "ब"

सरल क्रमांक	लंबित प्रकरणों की सूची नाम सहित
1	संजीत चौहान
2	श्यामावती
3	भक्तीन सिदार
4	यामल लाल चौहान, सीतराम सिदार
5	सोमेश्वर प्रसाद पटेल
6	विजरहीन बाई सिदार
7	दीनबंधु पटेल
8	मनोज कुमार सिंह
9	कमल कुमार
10	सनित राम रजक
11	किशन कुमार बंजारे,
12	घड़ी लाल सिदार
13	लाल कुमार सिदार
14	मुरलीधर मेहर
15	सुभाष सिदार
16	बजरंग विश्वकर्मा
17	ललिता गुप्ता
18	मिलन कुमार खड़िया
19	कमलेश पटेल
20	अमोल साय बरेठ
21	उज्वल यादव
22	लेखराज साहू
23	लेखन कंवर
24	यादराम पटेल
25	विष्णुराम
26	रामा महेश्वरी
27	बुधराम मेहरा
28	प्रभात एक्का
29	जयसागर
30	शीतल बाई साहू
31	सोमनाथ चौहान
32	यशवंत पटेल

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

33	हरिप्रसाद पटेल
34	राकेश पटेल
35	गगन सारथी
36	नरसिंग राठिया
37	कंवरधर यादव
38	अनिता यादव
39	चैतन कुमार धनवार
40	बिरू राम पिता-बिसाहू राम
41	ताराचंद राठौर
42	लक्ष्मी कुमार राठौर
43	ललित कुमार रोहिदास
44	सुभाष सागर
45	बोधराम उर्फ राजेश कुमार
46	भागीरथी उर्फ बोटलाल चौहान
47	पितांबर यादव
48	उमेन्द्र राम पटेल
49	उमेश कुमार शर्मा
50	अजीत तिग्गा
51	हेलारियुश खलखो
52	मोंगरा बघेल
53	शंकर मंडल
54	प्रिंस केलाबड़ा
55	हेलारियुश खलखो
56	सिकंदर दास
57	राम सिंह राठिया


अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - पेंतीस

अतरांकेत प्रश्न संख्या 12 (क. 1516) की जानकारी

प्रपत्र - अ**राशनकार्ड नियम 2016 के अनुसार राशनकार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज-****1. (अन्त्योदय/निराश्रित/निःशक्तजन राशनकार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज) -**


1. बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबूझमाडिया, पण्डो एवं भूजिया जनजाति के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
2. विधवा अथवा एकाकी महिला की पहचान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
3. राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गंभीर लाईलाज बीमारी से ग्रसित होने के मामले में, संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. निःशक्त व्यक्ति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र।
5. निराश्रित व्यक्ति की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. विमुक्त बंधुवा मजदूर की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति।
7. आवासहीन व्यक्तियों की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
8. मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
9. बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
10. निवास पते की पुष्टि हेतु आवेदक की सहमति से सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन क्रमांक के साथ संचालक द्वारा तय फोटोयुक्त कोई एक परिचय पत्र जिसमें मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, किसान फोटो पासबुक की छायाप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी आवेदक के फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है।

2. (प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज)–

1. अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का पात्र राशनकार्डधारी होने की स्थिति में, राशनकार्ड की छायाप्रति।
2. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
3. सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. सदस्य का आधारकार्ड एवं बैंक खाता की छायाप्रति।
7. मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
8. बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
9. निवास पते की पुष्टि हेतु आवेदक की सहमति से सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन क्रमांक के साथ संचालक द्वारा तय फोटोयुक्त कोई एक परिचय पत्र जिसमें मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, किसान फोटो पासबुक की छायाप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी आवेदक के फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है।

3. (सामान्य राशनकार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज)–

1. मुखिया एवं सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति।
2. मतदाता परिचयपत्र की छायाप्रति



अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - ब

बिलासपुर जिला अंतर्गत 01.01.2020 से दिनांक 15.02.2023 तक की स्थिति में संलग्नीकृत उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्रमांक	संलग्नीकृत उचित मूल्य दुकान	माह/वर्ष
1	आजाद महिला साख सहकारी समिति मर्यादित नगर निगम बिलासपुर आई0डी0 401001115	दिसंबर 2022
2	जय गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नगर निगम बिलासपुरआई0डी0 401001016	दिसंबर 2022
3	श्री शक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नगर निगम बिलासपुर आई0डी0 401001031	जुलाई 2022
4	मिलनसार महिला स्व सहायता समूह नगर निगम बिलासपुर आई0डी0 401001010	जून 2022
5	सिद्ध महिला समूह नगर निगम बिलासपुर आई0डी0 401001118	जून 2022
6	जय भवानी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नगर निगम बिलासपुर आई0डी0 401001057	जुलाई 2021
7	नगर पंचायत मल्हार आई0डी0 401011004	सितम्बर 2022
8	ग्राम पंचायत धनिया विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002051	अप्रैल 2021
9	ग्राम पंचायत बिनौरी विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002031	अगस्त 2020
10	ग्राम पंचायत सुकुलकारी विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002028	मार्च 2022
11	ग्राम पंचायत उडांगी विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002073	अगस्त 2022
12	ग्राम पंचायत बसहा विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002061	अगस्त 2022
13	ग्राम पंचायत ठरकपुर विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002071	फरवरी 2021
14	ग्राम पंचायत गतौरा विकासखण्ड मस्तूरी आई0डी0 402002014	मार्च 2022
15	नगर पंचायत रतनपुर वार्ड क्रमांक 11 आई0डी0 401007007	जून 2022
16	नगर पंचायत रतनपुर वार्ड क्रमांक 09 आई0डी0 401007002	जून 2022
17	ग्राम पंचायत मोहदा विकासखण्ड कोटा आई0डी0 402003073	सितम्बर 2022
18	ग्राम पंचायत पोड़ी विकासखण्ड कोटा आई0डी0 402003032	सितम्बर 2022
19	ग्राम पंचायत सलखा विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001098	दिसंबर 2021
20	ग्राम पंचायत खैरखुण्डी विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001097	जुलाई 2021
21	ग्राम पंचायत पेण्डरवा विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001149	जून 2022
22	ग्राम पंचायत बांका विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001102	जून 2022
23	ग्राम पंचायत कोरबी विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001101	सितम्बर 2022
24	ग्राम पंचायत नगोई विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001010	सितम्बर 2022
25	ग्राम पंचायत गतौरी विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001072	फरवरी 2022
26	सेवा सहकारी समिति तखतपुर आई0डी0 401004005	जुलाई 2022
27	ग्राम पंचायत निगारबंद विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004003	सितम्बर 2020
28	ग्राम पंचायत चनाडोंगरी विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004026	जुलाई 2022
29	ग्राम पंचायत जौकी विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004081	अप्रैल 2021
30	ग्राम पंचायत मेडपार बाजार विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004052	सितम्बर 2020
31	ग्राम पंचायत छतौना विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004055	दिसम्बर 2020
32	ग्राम पंचायत गनियारी विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004062	सितम्बर 2020

क्रमांक	संलग्नीकृत उचित मूल्य दुकान	माह / वर्ष
33	ग्राम पंचायत काटाकोनी विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004080	अप्रैल 2020
34	ग्राम पंचायत मरहीकापा विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004122	जून 2022
35	ग्राम पंचायत उडनताल विकासखण्ड बिल्हा आई0डी0 402001038	जून 2022
36	ग्राम पंचायत हिरीमाईस विकासखण्ड तखतपुर आई0डी0 402004063	अप्रैल 2020


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मन्त्रालय, राधपुर

पारिशेष - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1517) की जानकारी


प्रपत्र

राशनकार्ड नियम 2016 के अनुसार राशनकार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज—1. (अन्त्योदय/निराश्रित/निःशक्तजन राशनकार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज) —

1. बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कुमार, अबूझमाड़िया, पण्डो एवं भूजिया जनजाति के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
2. विधवा अथवा एकाकी महिला की पहचान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
3. राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गंभीर लाईलाज बीमारी से ग्रसित होने के मामले में, संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. निःशक्त व्यक्ति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र।
5. निराश्रित व्यक्ति की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. विमुक्त बंधुवा मजदूर की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति।
7. आवासहीन व्यक्तियों की पुष्टि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
8. मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
9. बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
10. निवास पते की पुष्टि हेतु आवेदक की सहमति से सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन क्रमांक के साथ संचालक द्वारा तय फोटोयुक्त कोई एक परिचय पत्र जिसमें मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, किसान फोटो पासबुक की छायाप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी आवेदक के फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है।

2. (प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज)–

1. अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का पात्र राशनकार्डधारी होने की स्थिति में, राशनकार्ड की छायाप्रति।
2. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
3. सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. सदस्य का आधारकार्ड एवं बैंक खाता की छायाप्रति।
7. मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
8. बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
9. निवास पते की पुष्टि हेतु आवेदक की सहमति से सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन क्रमांक के साथ संचालक द्वारा तय फोटोयुक्त कोई एक परिचय पत्र जिसमें मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, किसान फोटो पासबुक की छायाप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी आवेदक के फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है।


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - सेंटोस

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1548) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रूपये लाख में)

क्रं.	स्वीकृत कार्य का नाम	मद का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि
वित्तीय वर्ष 2021-22				
1	स्वच्छ सर्वेक्षण ओडीएफ, आजादी का अमृत महोत्सव, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अंतर्गत होर्डिंग्स, पोस्टर, प्रचार प्रसार कार्य	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	58.42	21.43
वित्तीय वर्ष 2022-23				
2	स्वच्छ सर्वेक्षण ओडीएफ, सीटी पीटी शौचालय में सनबोर्ड बैनर साईनेज स्टीकर प्रचार प्रसार कार्य	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	5.72	4.80
वित्तीय वर्ष 2023-24 (30 जनवरी 2023 तक)				
3	निरंक			
योग			64.14	26.23




अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भद्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - अड़तीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1551) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि लाख में)

क्रं.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	प्रदत्त राशि	व्यय राशि				लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
				संचालन	दवा क्रय	प्रचार प्रसार	योग	
1	2021-22	मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना	212.60	38.19	69.84	0.64	108.67	59641
2	2022-23 (15.02.2023 तक)		145.24	25.46	38.25	0.21	63.92	47062
योग			357.84	63.65	108.09	0.85	172.59	106703


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवन, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारोक्ष - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1697) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021-22 से 15/02/2023 तक चिन्हित स्थलों के विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	स्थल का नाम	वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि रु. (करोड़)
1	मुकुंदपुर- नगरी	2021-22	प्रवेश द्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र छोटा टायलेट ब्लॉक, पार्किंग, पहुंच मार्ग एवं ड्रेन, कलवर्ट डव्हलपमेंट, एलइडी ब्राडिंग, लॉन डव्हलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, इलेक्ट्रीफिकेशन, एक्सटरनल प्लम्बिंग, इंटरनल प्लम्बिंग, ओव्हरहेड वॉटर टैंक, कॉटेज निर्माण, स्टेयर्स, स्टेज, मॉडयूलर शॉप, श्रीराम जी स्टेच्यू एवं सप्तऋषि प्लेटफॉर्म, सप्तऋषि स्थल का विकास, साइनेजेस एवं दीप स्तंभ, श्रीराम जी स्टेच्यू गजिबो, बाउण्ड्रीवॉल, साइट डव्हलपमेंट (गार्ड रूम, रेस्ट रूम, यूजी टैंक, सेप्टिक टक, पम्प रूम एवं स्टोर रूम)। कार्य प्रगति पर।	8.29
2	श्रृंगी-ऋषि आश्रम	2022-23	करटेन वॉल (म्यूरल के साथ), प्रवेश द्वार रेलिंग एवं शड निर्माण, गजिबो ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, यज्ञशाला (रूपर), इंटरनल प्लम्बिंग, श्रृंगी-ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण, पाथवे का विकास,, टॉयलेट का जीर्णोद्धार, वाशरूम। कार्य प्रगति पर।	1.32


पारिशेष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1729) की जानकारी

प्रपत्र

जिला कबीरधाम की एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग (सतत विकास लक्ष्य) के लिये विभागों की वर्षवार हुई बैठकों का विवरण

क्र.	विभाग की आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या		अन्य विवरण
	विभाग का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2021-2022			
1	निरंक	निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष 2022-2023 (15 फरवरी 2023 तक की स्थिति में)			
1.	ऊर्जा	1	दिनांक 10.01.2023
2.	पंचायत	1	दिनांक 10.01.2023
3.	नगरीय निकाय	1	दिनांक 10.01.2023
4.	स्वास्थ्य	1	दिनांक 10.01.2023
5.	खाद्य	1	दिनांक 10.01.2023
6.	उच्च शिक्षा	1	दिनांक 10.01.2023
7.	स्कूल शिक्षा	1	दिनांक 10.01.2023
8.	समाज कल्याण	1	दिनांक 10.01.2023
9.	कृषि	1	दिनांक 10.01.2023
10.	वन	1	दिनांक 10.01.2023
11.	जल संसाधन	1	दिनांक 10.01.2023
12.	श्रम	1	दिनांक 10.01.2023
13.	महिला एवं बाल विकास	1	दिनांक 10.01.2023
14.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	1	दिनांक 10.01.2023
15.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	दिनांक 10.01.2023
16.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1	दिनांक 10.01.2023
17.	लीड बैंक	1	दिनांक 10.01.2023
18.	गृह	1	दिनांक 10.01.2023


 17/03/2023
 (हेमलता एक्का)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभा

परोशेष्ट - इकतालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1744) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

(राशि रूपये में)


क्र.	पद नाम	वेतन/मानदेय	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	एमबीबीएस चिकित्सक	65000.00	140000.00
2	नर्स	11750.00	18000.00
3	फार्मासिस्ट	11750.00	18000.00
4	लैब टेक्नशियन	11750.00	18000.00
5	ड्राईवर	11750.00	17300.00

टीप:- विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा पृथक पृथक नगरीय क्षेत्रों में पृथक पृथक वेतन/मानदेय का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जाता है।


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भन्नालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

क्र.	जिला मे संचालित यूपीएसएस का नाम	जिला का नाम	संचालित एमएमयू की संख्या	मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालन हेतु अनुबंधित फर्म	फर्म द्वारा किये गये अनुबंध का दिनांक
1	रायपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	रायपुर	15	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि, भोपाल	प्रथम चरण 15.09.2020 (रायपुर)
			2		प्रथम चरण 17.11.2020 (बीरगांव)
			4		द्वितीय चरण 08.02.2022
2	गरियाबंद जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	गरियाबंद	1	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	द्वितीय चरण 28.01.2022
3	बलौदा बाजार-भाटापारा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बलौदाबाजार - भाटापारा	4	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 17.02.2022
		सारंगढ़-बिलाईगढ़			
4	धमतरी जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	धमतरी	4	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 12.11.2021 द्वितीय चरण 25.01.2022
5	महासमुंद जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	महासमुंद	2	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 10.01.2022
6	दुर्ग जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	दुर्ग	11	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 23.09.2020
			2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 19.01.2022
7	बालोद जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बालोद	3	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 01.01.2022
8	बेमेतरा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बेमेतरा	2	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 21.02.2022
9	राजनांदगांव जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	राजनांदगांव	6	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	प्रथम चरण 07.08.2022 द्वितीय चरण 04.01.2022
मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी		0			
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		1			
12	कबीरधाम जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	कबीरधाम	3	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 04.01.2022
13	गौरैला-पेंण्ड्रा-मरवाही जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	गौरैला-पेंण्ड्रा-मरवाही	1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 05.04.2022
14	बिलासपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बिलासपुर	4	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	प्रथम चरण 01.09.2020
			3	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 14.02.2022
15	मुगेली जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	मुगेली	2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 08.03.2022
16	कोरबा जिला अरबन सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	कोरबा	8	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 15.10.2020
			1		द्वितीय चरण 14.02.2022
17	जांजगीर चांपा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	जांजगीर चांपा	4	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 23.02.2022
18	रायगढ़ जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	रायगढ़	7	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 11.02.2022
20		सारंगढ़-बिलाईगढ़	1		
21	जशपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	जशपुर	2	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 01.02.2022
22	सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सरगुजा	4	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 28.11.2020
			1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 24.02.2022
23	बलरामपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बलरामपुर	2	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 18.02.2022
24	सूरजपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सूरजपुर	2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 08.02.2023
25	कोरिया जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	कोरिया	2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 23.12.2020
		भरतपुर-मनेद्रगढ़-चिरमिरी	2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 15.02.2022

क्र.	जिला में संचालित यूपीएसएस का नाम	जिला का नाम	संचालित एमएमयू की संख्या	मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालन हेतु अनुबंधित फर्म	फर्म द्वारा किये गये अनुबंध का दिनांक
27	बस्तर जिला अरबन सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	बस्तर	4	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	प्रथम चरण 01.10.2020
28	कोंडागांव जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	कोंडागांव	1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 20.12.2021
29	नारायणपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	नारायणपुर	1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 07.02.2022
30	कांकेर जिला अरबन सार्वजनिक सर्विस सोसायटी कांकेर	कांकेर	2	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा.लि., भोपाल	द्वितीय चरण 11.02.2022
31	दन्तेवाडा जिला अरबन सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	दन्तेवाडा	2	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 15.02.2022
32	बीजापुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बीजापुर	1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 04.03.2022
33	सुकमा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सुकमा	1	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	द्वितीय चरण 05.01.2022
कुल योग			120		



 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र 'स'

क्र	जिला में संचालित यूपीएसएस का नाम	जिला का नाम	मोबाईल मेडिकल के संचालन हेतु अनुबंधित फर्म	सेवा प्रदाता को एमएमयू. संचालन हेतु मुगदान (राशि लाख में)	मोबाईल मेडिकल यूनिट हेतु दवा क्रय के लिए अनुबंधित फर्म	दवाई क्रय हेतु (राशि लाख में)	मोबाईल मेडिकल यूनिट हेतु प्रचार-प्रसार के लिए वचनित फर्म	प्रचार-प्रसार हेतु (राशि लाख में)
1	रायपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	रायपुर	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	875.00	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर द्वारा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से	220.00	व्यापक ईटरआईजेस रायपुर	13.00
2	गरियावंद जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	गरियावंद	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	36.26	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर	43.70	लक्ष्मी फ्लेक्स	0.80
3	बलौदाबाजार भाटापारा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बलौदाबाजार-भाटापारा	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	203.02	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर बलौदाबाजार श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर भाटापारा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर सिमगा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर कसबोल श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पलारी	21.94 10.04 6.27 9.95 13.37		0.16
4	धमतरी जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	धमतरी	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	149.91	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर धमतरी श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर कुरुद श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर मगरलौड श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नगरी श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर भखारा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर आमदी	96.28 9.73 14.94 13.40 22.60 3.91	प्रिंट पार्टनर बलौदाबाजार	0.85
5	महासमुंद जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	महासमुंद	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	76.81	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर महासमुंद श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर बागबाहरा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर सरायपाली श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर बसना श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पिथैरा श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर तुमगाव राजपाल ट्रेडर्स	16.65 13.90 22.40 2.68 4.14 0.01 38.14	हीरा आर्ट धमतरी के द्वारा फ्लेक्स बैनर इत्यादि से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।	0.28
6	दुर्ग जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	दुर्ग	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	750.00	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स सिटी मेडिकल स्टोर्स सीजीएमएससी	52.59 26.96 5.14 22.38 102.79	अजंता प्रिंटर्स भिलाई (फ्लेक्स पाम्पलेट, स्टैण्ड, बैनर सामग्री हेतु)	4.00
7	बालोद जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बालोद	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	106.20	श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर गुरुर श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर बालोद श्री धनवतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर गुडरदेही	38.22 21.58 6.34	आर्ट कलेक्शन बालोद वियत प्रिंटिंग प्रेस बालोद षडूंग आर्ट क्रियेशन खैरागढ़ ओम प्रिंटिंग एवं सप्लायर्स बालोद गुप्ता ट्रेडर्स बालोद	0.48 0.37 0.32 2.97 0.49

क्र	जिला मे संचालित यूपीएसएस का नाम	जिला का नाम	मोबाईल मॉडिकल के संचालन हेतु अनुबंधित फर्म	सेवा प्रदाता को एमएसयू संचालन हेतु युगतान (राशि लाख में)	मोबाईल मॉडिकल यूनिट हेतु दवा क्रय के लिए अनुबंधित फर्म	दवाई क्रय हेतु (राशि लाख में)	मोबाईल मॉडिकल यूनिट हेतु प्रचार-प्रसार के लिए ब्ययनित फर्म	प्रचार-प्रसार हेतु (राशि लाख में)
8	बेमेतरा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बेमेतरा	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	8.64	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर बेमेतरा श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर साजा श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर नवगढ़	22.42 6.00 6.00	ईमेज मल्टीकलर्स प्रिंटेर्स बेमेतरा	0.25
9	राजनांदगांव जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	राजनांदगांव मोहला- मानपुर-चौकी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	308.74	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर राजनांदगांव श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर डोंगरागढ़ श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर छुरिया श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर डोंगरागढ़ श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर अबागढ़ चौकी श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर राजनांदगांव श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर खैरागढ़ श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर छुईखदान श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर गंडई	87.95 6.07 12.32 4.85 6.26 2.85 4.37 3.96 1.67	विनय साउंड सर्विस	1.44
10	कबीरधाम जिला शहरी सावजनिक सर्विस सोसायटी	कबीरधाम	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	97.47	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर कर्वा श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर बोडला	23.98 32.77	प्रमात ग्राफिक्स एवं मों भगवती फ्लैक्स	0.57
11	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	70.79	श्री वैभव लक्ष्मी मोडिकल	43.27	आनंद फ्लैक्स प्रिंटेर्स, गौरेला	0.33
12	बिलासपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बिलासपुर	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	221.46 146.21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर	123.03	राजदीप फ्लैक्स एव बैनर बिलासपुर	0.93
13	मुंगेली अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	मुंगेली	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	74.50	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर, मुंगेली	24.10	प्रिया प्रिंटेर्स द्वारा पाम्पलेट, बैनर	0.30
14	कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	कोरबा	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	688.10	सीजीएमएससी एवं श्री धनवंतरी मोडिकल स्टोर कोरबा	55.01	राकेश इंडस्ट्रीज एण्ड प्रिंटेर्स कोरबा	0.97
15	जांजगीर चांपा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	जांजगीर चांपा सक्ति	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	295.77	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर जांजगीर	132.12	अग्रवाल प्रिंटेर्स	0.25
16	रायगढ़ जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	रायगढ़ सारगढ़ बिलाईगढ़	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाडा	413.19	श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर रायगढ़ श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर पुसौर श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर खरसिया श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर सारंगगढ़ श्री धनवंतरी जेनरिक मोडिकल स्टोर बरमकेला	206.03 2.78 2.89 8.88 4.48	यश प्रिंटेर्स एवं अग्रसेन ऑफसेट रायगढ़	2.00

क्र	जिला में संचालित यूपीएसएस का नाम	जिला का नाम	मोबाईल मंडिकल के संचालन हेतु अनुबंधित फर्म	सेवा प्रदाता को एमएमयू संचालन हेतु भुगतान (राशि लाख में)	मोबाईल मंडिकल यूनिट हेतु दवा क्रय के लिए अनुबंधित फर्म	दवाई क्रय हेतु (राशि लाख में)	मोबाईल मंडिकल यूनिट हेतु प्रचार-प्रसार के लिए चयनित फर्म	प्रचार-प्रसार हेतु (राशि लाख में)
17	जशपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	जशपुर	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	58.60	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर जशपुर	23.58	विश्वकर्मा एण्ड फ्लैक्स प्रिंटिंग जशपुर	0.25
18	सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सरगुजा	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	279.73	01. सीजी एमएससी, अंबिकापुर 02. श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर अंबिकापुर 03. श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर गांधी स्टेडियम अंबिकापुर 04. श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर लखनपुर 05. श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर सीतापुर	3.83 54.79 9.02 5.45 2.88 9.99	विनय स्क्रीन अंबिकापुर	1.75
19	बलरामपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बलरामपुर	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	66.32	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर बलरामपुर	7.49 4.87 3.31	आयुष फ्लैक्स प्रिंटिंग बलरामपुर	1.43
20	सुरजपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सुरजपुर	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	13.06	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर सुरजपुर	20.99	श्री श्याम फ्लैक्स सूरजपुर	0.93
21	कोरिया जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	कोरिया भरतपुर-मनदगाढ़-चिरमिरी	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	214.47	1. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 2. नाहर मंडिकल ऐजेंसी रायपुर 3. श्री धनवंतरी जेनरिक सस्ती दवा दुकान	0.51 6.27 78.38	आनंद प्रिंटिंग प्रेस कोरिया	4.78
22	बस्तर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	बस्तर	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	313.66	जन औषधि केंद्र डीनरापाल, जगदलपुर श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर, जगदलपुर श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर कोण्डागांव, श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर फरसागांव श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर केशवाला	95.85 6.71 3.29 10.94	साहू प्रिंटिंग एलेसी आईटी सॉल्यूशन जगदलपुर एमडीके फ्लैक्स	2.10 0.60
23	कोण्डागांव जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	कोण्डागांव	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	55.00	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर केशवाला	21.63	नोबेल फ्लैक्स एण्ड प्रिंट मिडिया नारायणपुर	0.75
24	नारायणपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	नारायणपुर	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	35.82	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर नारायणपुर	9.57	मधु आर्ट्स कांकेर	0.45
25	कांकेर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	कांकेर	मेसर्स साईराम टेक्नो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि., भोपाल	65.38	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर कांकेर श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर चारामा श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर भाग्यतापपुर श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर अंतागांव श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर दन्तेवाड़ा	18.50 8.41 10.25 19.25	पूजा टेंट हाउस ईशांत इंटरप्राइजेस एवं प्रिंटर्स	0.49 0.87
26	दन्तेवाड़ा जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसायटी	दन्तेवाड़ा	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	69.00	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर बारसू	12.80	बाबा प्रिंटर्स बीजापुर	1.00
27	बीजापुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	बीजापुर	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	45.05	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर बीजापुर श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर गोपालपटनम	21.53 7.41	डीबी कोर्प राजय ग्राफिक्स	0.31 0.17
28	सुकमा अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	सुकमा	मेसर्स भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि. विजयवाड़ा	66.42	श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर दोरनापल एवं कोण्टा श्री धनवंतरी जेनरिक मंडिकल स्टोर सुकमा	8.97 25.25 2195.84		46.64
				कुल योग				


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपर (छ.ग.)


पारोशेष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क. 1751) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी 2019 से दिनांक 15.02.2023 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिलेवार घोषणा का विवरण।

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा का नाम	घोषणा का दिनांक	घोषणा का विवरण	की गई घोषणा स्थिति		अपूर्ण घोषणा करने की संभावित तिथि	मान.मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किये गये अप्रारंभ कार्य	मान.मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किये गये अपूर्ण कार्य	अपूर्ण रहने का कारण	टीप
					पूर्ण	अपूर्ण					
1	बिलासपुर	बेलतरा	17.06.2019	राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर महतराई नामकरण स्व.श्री बी.आर. यादव के नाम पर किये जाने की घोषणा।	पूर्ण	-	-	-	10	11	12 कार्य पूर्ण। माह 07/2021।
2	बिलासपुर	बेलतरा	17.06.2019	राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र महतराई बिलासपुर के हॉकी मैदान में गैलरी निर्माण एवं फ्लड लाइट कार्य।	पूर्ण	-	-	कार्य अप्रारंभ। राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र महतराई बिलासपुर के हॉकी मैदान में गैलरी निर्माण एवं फ्लड लाइट कार्य।	-	-	स्वीकृति पूर्ण, खेल विभाग द्वारा विलंब से अनुमोदन के कारण। कार्य अप्रारंभ है।
				योग-2 कार्य	2-पूर्ण	-					


 मुख्य अभियंता (योजना)
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लो.नि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1755) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांकित अवधि में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत श्रमिक कार्ड (पंजीयन) हेतु प्राप्त आवेदन, लंबित आवेदन, निरस्त आवेदन एवं श्रमिक पंजीयन की मंडलवार जानकारी

क्र.	मंडल का नाम	पंजीयन (श्रमिक कार्ड) हेतु प्राप्त आवेदन	लंबित आवेदन	निरस्त आवेदन	पंजीयन (श्रमिक कार्ड) संख्या
1	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	278	0	243	35
2	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	3639	0	1036	2603
	योग	3917	0	1279	2638

Pratibha
 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय, राय

पारोशेष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1756) की जानकारी

प्रपत्र

जिला सक्ती तथा जिला जांजगीर चांपा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विगत 03 वर्षों में जांजगीर चांपा जिले में कराये गये कार्य, स्थल एवं लागत राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड	कार्य का नाम	वर्ष	स्थान का नाम	क्रियान्वित किये जा रहे विकास कार्य	कार्य की प्राक्कलित लागत राशि (रु. करोड़)	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगति की जानकारी
1	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	राम वनगमन पर्यटन परिपथ	2021	शिवरीनारायण प्रथम चरण	घाट सौंदर्यीकरण, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर/ कैफेटेरिया, साइनेजेस कम्पोनेंट, इंटरनल प्लम्बिंग, प्रशासनिक कार्यालय, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, मंदिर परिसर जीर्णोद्धार, पार्किंग, पब्लिक शौचालय निर्माण स्वीकृत।	5.76	पूर्ण
				2022	शिवरीनारायण द्वितीय चरण पार्ट-1	मुख्य प्रवेश द्वार, छोटा प्रवेश द्वार, सीसीटीवो कैमरा, दीप स्तंभ, एलईडी ब्राण्डिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, साइनेजेस कम्पोनेंट, लैण्डस्केपिंग, लक्ष्मण मंदिर खरौद में विद्युतीकरण कार्य, मार्केट अपग्रेडेशन, एक्सटरनल प्लम्बिंग, घाट वाकवे का विकास, पार्किंग	7.20	कार्य प्रगति पर
				2022	शिवरीनारायण द्वितीय चरण पार्ट-2	भगवान श्रीराम स्टेच्यू, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, घाट विकास, घाट वाकवे का विकास, साइनेजेस कम्पोनेंट, इलेक्ट्रीफिकेशन, लैण्डस्केपिंग, प्रीफैब मॉड्यूलर शॉप, बाउंड्रीवॉल,	9.49	कार्य प्रगति पर

पारोक्ष - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1760) की जानकारी

प्रपत्र

आर. के. ट्रांसपोर्ट एवं कन्सट्रक्शन लिमिटेड कोरबा के द्वारा सम्पादित कार्य।
वर्ष 2019 से 2023

स. क्रं.	कार्य का नाम	ज्वॉइंट वेंचर (जे.वी.)		कार्य की स्थिति	कंपनी को स्वीकृत कार्यों में से कुछ कार्य निरस्त भी किये गये हैं, यदि हां तो क्यों?	कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य/अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आयी है?	प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?
		मे. बीएलए प्रोजेक्ट प्रा.लि. (51%) (रु. लाख में)	आर.के. ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा.लि. (49%) (रु. लाख में)				
1	जिला कोरबा के उरगा से हाटी मार्ग लं. 46.70 किमी निर्माण कार्य।	5501.95	5286.19	पूर्ण	नहीं	नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।
2	जिला कोरबा के पसान-पिपरिया-कोडगार-डुल्लापुर मोड़ मार्ग लं. 32.32 किमी निर्माण कार्य।	3503.36	3365.98	पूर्ण	नहीं	नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।



मुख्य अभियंता (योजना)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1770) की जानकारी

वर्नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक

"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010—माघ 16, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-190/18/2005.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा छ. ग. नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा बहुमंजिले आवासीय परिसरों, व्यवसायिक, औद्योगिक और संस्थागत भवनों में अनिवार्य रूप से मीटर लगाकर जल आपूर्ति किये जाने हेतु जलकर की न्यूनतम दर निम्नानुसार विहित करती है :—

क्र.	प्रयोजन	मासिक खपत (किलो लीटर में)				
		0-11	11-15	15-25	25-50	50 से अधिक
दंस प्रति किलो लीटर (रुपयों में)						
1.	घरेलु	5	6	7	8	9
2.	आवास सह व्यवसाय	6	8	10	12	14
3.	व्यवसायिक	9	11	14	18	22
4.	औद्योगिक संस्थागत					
	1. शासकीय	8	10	12	14	16
	2. गैर शासकीय	10	12	14	16	18

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010


Raipur, the 3rd February 2010

NOTIFICATION

No. F.5-190/18/2005.—In exercise of the powers conferred upon it by Section 132 sub-section (1) para (b) of the Chhattisgarh Municipal Corporations Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 127 sub-section (1) para (b) of the Chhattisgarh Municipal Council Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby fixes the minimum charges for compulsory metered water supply in multi-storied residential buildings, commercial, industrial and institutional buildings as follows :—

S. No.	Use	Monthly consumption in Kilo Liters				
		0-11	11-15	15-25	25-50	Above 50
		Rate per Kilo Liter (In Rs.)				
1.	Domestic	5	6	7	8	9
2.	Residential-cum-commercial	6	8	10	12	14
3.	Commercial	9	11	14	18	22
4.	Industrial & Institutional					
	(a) Governmental	8	10	12	14	16
	(b) Non-Governmental	10	12	14	16	18

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया सत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/द्वारा/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-4/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, जलकर की न्यूनतम मासिक दर निम्नानुसार विहित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	नगर निगम (3)	नगरपालिका (4)	नगर पंचायत (5)
1.	घरेलू कनेक्शन	रु. 200 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)
2.	आवास सह व्यवसाय	रु. 350/-	रु. 300/-	रु. 300/-
3.	व्यवसायिक	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-

an 2011 11:15

HP LASERJET FAX

18:

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	होटल (5 कमरे तक) अति. प्रति कमरे	रु. 800/- रु. 100/-	रु. 600/- रु. 80/-	रु. 600/- रु. 80/-
5.	भोजनालय/रेस्टारेंट 10 टेबल तक 15 टेबल तक 15 टेबल से अधिक	रु. 800/- रु. 1200/- रु. 2000/-	रु. 600/- रु. 900/- रु. 1700/-	रु. 600/- रु. 900/- रु. 1700/-
6.	औद्योगिक	रु. 1000/-	रु. 800/-	रु. 800/-
7.	संस्थागत :- शासकीय निजी	रु. 800/- रु. 800/-	रु. 600/- रु. 600/-	रु. 600/- रु. 600/-

इसी प्रकार बहुमंजिलीय आवासीय भवनों में घरेलू कनेक्शन की दर नगर निगम क्षेत्र में रु. 200/- प्रतिमाह नगरपालिका क्षेत्र में रु. 180/- प्रतिमाह और नगर पंचायत क्षेत्र में रु. 180/- प्रतिमाह, प्रति कनेक्शन (प्रति फ्लैट) के अनुसार होगी.

क्र. (1)	नगरीय विकास (2)	आयकर दाता (3)	गैर आयकर दाता (4)
1.	नगर निगम	5000/-	2000/-
2.	नगरपालिका	4000/-	1500/-
3.	नगर पंचायत	3000/-	1500/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 5-4/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ 5-4/18/2010 दिनांक 12-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 12th January 2011

NOTIFICATION

F 5-4/18/2010.— In exercise of the powers conferred upon it by Section 132 sub-section (1) para (1) of the Chhattisgarh Municipal Corporations Act, 1956 (No. 23 of 1956), and section 127 sub-section (1) para (b) of

अनुभाग अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - सैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1774) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग को प्राप्त बजट आबंटन एवं समर्पित राशि की जानकारी (प्रश्नांश 'क' एवं 'घ')

(राशि लाख में)

स.क्र.	वर्ष	प्राप्त आबंटन	आबंटित बजट में व्यय नहीं की जा सकी राशि (समर्पित राशि)
1	2	3	4
1	2020-21	645323.508	296888.098
2	2021-22	636289.129	186815.872
3	2022-23 (फरवरी-2023 तक)	700241.532	-



मुख्य अभियंता (योजना)

कार्या. प्रमुख अभियंता

लो.नि.वि., नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

विधानसभावार स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य एवं व्यय राशि की जानकारी (प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग')

सं.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	पूर्ण कार्य की संख्या	पूर्ण कार्य की व्यय राशि	अपूर्ण कार्य की संख्या	(राशि लाख में)	
						कुल व्यय राशि	अपूर्ण कार्य की व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	
1	भरतपुर-सोनहत	74	40	1447.06	34	3866.56	
2	मनेन्द्रगढ़	58	31	2150.54	27	5126.00	
3	बैकुण्ठपुर	70	37	1654.53	33	3422.30	
4	प्रेमनगर	69	37	2252.28	32	4777.43	
5	भटगांव	62	33	1184.65	29	4365.41	
6	प्रतापपुर	88	38	1473.96	50	5061.34	
7	रामानुजगंज	56	23	874.60	33	3099.67	
8	सामरी	41	23	503.35	18	1838.87	
9	लुण्डा	56	37	1337.08	19	7750.93	

सं.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
10	अम्बिकापुर	102	76	5821.75	26	13048.75
11	सीतापुर	97	79	5337.73	18	13200.65
12	जशपुर	69	39	1752.88	30	6631.69
13	कुनकुरी	58	34	409.81	24	4736.67
14	पथलगांव	57	38	853.90	19	3800.35
15	लैलूंगा	54	23	210.99	31	1650.24
16	रायगढ़	55	25	3039.96	30	6416.64
17	सांरगढ़	50	20	3262.33	30	5647.76
18	खरसिया	69	15	1740.47	54	5418.59
19	धर्मजयगढ़	57	8	61.54	49	5075.33
20	रामपुर	46	21	1384.08	25	3227.80
21	कोरबा	26	17	176.53	9	528.47

सं.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
22	कटघोरा	50	22	195.81	28	1066.65
23	पाली-तानाखार	72	29	164.93	43	899.75
24	मरवाही	65	50	6583.15	15	16023.00
25	कोटा	46	24	2283.90	22	4279.20
26	लोरमी	31	25	1671.27	6	3342.54
27	मुंगेली	42	24	824.34	18	1648.68
28	तखतपुर	58	33	2196.98	25	3814.79
29	बिल्हा	69	47	1452.70	22	1822.06
30	बिलासपुर	19	13	41.73	6	41.73
31	बेलतरा	53	27	320.00	26	320.00
32	मस्तूरी	22	13	447.05	9	466.93
33	अकलतरा	33	18	515.63	15	2791.53

स.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
34	जांजगीर-चांपा	30	10	119.92	20	174.34
35	सक्ती	63	38	6151.93	25	10368.75
36	चन्द्रपुर	40	25	1652.86	15	7171.37
37	जैपुर	60	29	1629.69	31	1785.63
38	पामगढ़	33	16	948.59	17	1585.11
39	सराईपाली	42	21	1294.92	21	2690.12
40	बसना	28	15	1516.76	13	2904.97
41	खल्लारी	35	19	709.12	16	3550.96
42	महासमुन्द	50	23	1345.35	27	1559.15
43	बिलाईगढ़	77	39	1659.85	38	2931.98
44	कसडोल	52	33	872.28	19	2664.38
45	बलौदाबाजार	56	35	2431.93	21	2595.71

स.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
46	भाटापारा	69	44	2081.58	25	2949.98
47	धरसीवा	43	39	1283.03	4	1783.03
48	रायपुर ग्रामीण	71	38	1089.76	33	1361.44
49	रायपुर नगर, पश्चिम	63	27	1904.18	36	2793.09
50	रायपुर नगर, उत्तर	48	16	490.44	32	490.44
51	रायपुर नगर, दक्षिण	11	3	350.90	8	647.93
52	आरंग	85	75	2099.96	10	5379.57
53	अमनपुर	78	54	2302.02	24	2650.80
54	राजिम	42	16	288.13	26	1843.82
55	बिन्दानवागढ़	32	17	314.87	15	2555.22
56	सिहावा	78	28	277.03	50	2452.19
57	कुरुद	95	64	1390.26	31	2073.98

स.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
58	धमतरी	71	31	454.11	40	894.37
59	संजारी बालोद	79	33	423.99	46	936.87
60	डौंडी लोहारा	43	16	116.21	27	438.14
61	गुन्डरदेही	49	19	150.79	30	150.79
62	पाटन	125	85	33157.08	40	42288.42
63	दुर्ग ग्रामीण	163	128	11867.58	35	23569.20
64	दुर्ग शहर	10	7	502.15	3	1002.68
65	भिलाई नगर	2	0	0.00	2	517.63
66	वैशाली नगर	2	2	286.52	0	286.52
67	अहिवारा	8	7	2752.89	1	2995.65
68	साजा	131	89	2342.98	42	2997.41
69	बेमेतरा	307	250	5270.34	57	6549.74

स.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
70	नवागढ़	105	65	859.80	40	859.80
71	पंडरिया	90	66	647.16	24	894.31
72	कवर्धा	132	102	2128.99	30	2789.29
73	खैरागढ़	49	35	1082.28	14	1512.36
74	डोंगरगढ़	74	52	623.97	22	1251.06
75	राजनांदगांव	55	23	714.42	32	714.42
76	डोंगरगांव	65	39	328.51	26	872.77
77	खुज्जी	73	34	333.72	39	2542.17
78	मोहला-मानपुर	114	55	268.58	59	1727.13
79	अंतागढ़	51	18	318.79	33	1418.34
80	भानुप्रतापपुर	87	34	203.27	53	1029.45
81	कांकर	72	7	52.16	65	1071.83

सं.क्र.	विधानसभा का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
82	केशकाल	32	11	228.22	21	3007.86
83	कोण्डागांव	112	37	854.34	75	1443.35
84	नारायणपुर	63	18	1014.88	45	2853.69
85	बस्तर	88	25	970.46	63	2309.17
86	जगदलपुर	112	67	3130.71	45	4624.22
87	चित्रकोट	143	20	333.70	123	2251.82
88	दन्तवाड़ा	65	16	547.16	49	1536.12
89	बीजापुर	60	19	268.33	41	2915.10
90	कोन्दा	82	31	1265.47	51	3727.47
	योग	5869	3184	161332.43	2685	336151.42



मुख्य अभियंता (योजना)

कार्या. प्रमुख अभियंता


छ.सो.नि.वि., नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परोशेष्ट - अड़तालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1776) की जानकारी

प्रपत्र

धान खरीदी की वर्षवार जानकारी (मात्रा मे.टन में)

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2019 -20	खरीफ वर्ष 2020 -21	खरीफ वर्ष 2021- 22	खरीफ वर्ष 2022- 23
1	बस्तर	119206	142633	158915	199699
2	बीजापुर	58284	60284	63710	94128
3	दन्तेवाड़ा	10554	16307	17437	25241
4	कांकेर	280371	296518	318974	409593
5	कौडागांव	114677	143468	153346	216117
6	नारायणपुर	14872	19544	22795	31887
7	सुकमा	32035	38490	46291	58490
8	बिलासपुर	482803	451142	484135	513000
9	गौरलापेन्द्रामरवाही	0	74907	69525	91014
10	जांजगीरवाम्पा	786775	798399	824849	462038
11	कोरवा	98807	135271	170251	212925
12	मुंगेली	327762	361356	383865	397647
13	रायगढ़	484601	533510	573872	
14	सक्तौ	0	0	0	365092
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	0	0	0	330718
16	बालोद	501604	521716	519503	567899
17	बेमेतरा	526315	587672	630616	664057
18	दुर्ग	362257	407348	417103	431319
19	कवधो	337060	393470	416301	444876
20	राजनांदगांव	675401	760591	825135	529448
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	0	0	0	281267
22	मोहलामानपुरअं. चौकी	0	0	0	182366
23	बलौदाबाजार	649904	669412	696431	618606
24	धमतरी	417407	427750	431397	453030
25	गरियाबंद	300622	323585	331515	381845
26	महासमुंद	727304	750901	774343	824028
27	रायपुर	494449	503714	509956	516291
28	बलरामपुर	123405	156311	193871	172641
29	जशपुर	80378	116919	154195	196675
30	कोरिया	89985	119154	140093	94017
31	सरगुजा	137401	181108	219967	238325
32	सुरजपूर	160351	210911	250976	264984
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	0	0	0	70794
	योग	8394590	9202392	9799367	10753025


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उत्प्रेक्षता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्य - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1783) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विगत 03 वर्षों में किये गये कार्य, लागत राशि की जानकारी वर्षवार पर्यटन वार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
01	2020	डोंगरगढ़	बूढ़ादेव पहाड़ी में शौचालय निर्माण एवं ज्योति कक्ष निर्माण	9.55
02			प्रशाद योजना के तहत मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना के अंतर्गत श्रद्धालु सुविधा केन्द्र का विकास, बम्लेश्वरी मंदिर परिसर एवं प्रज्ञागिरी परिसर में पर्यटक सुविधाओं का विकास कार्य	4126.74
03		सांकरादाहरा	निरंक	निरंक
04	2021	डोंगरगढ़	निरंक	निरंक
05		सांकरादाहरा	निरंक	निरंक
06	2022	डोंगरगढ़	निरंक	निरंक
07		सांकरादाहरा	निरंक	निरंक

परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1784) की जानकारी

प्रपत्र-अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक पंजीकृत श्रमिकों की मंडलवार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

01. छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीकृत निर्माण श्रमिक संख्या		
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक)	योग
1	छुरिया	623	2702	3325
2	अंबागढ़ चौकी	129	455	584
	योग	752	3157	3909

02. छ.ग.असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीकृत असंगठित कर्मकार संख्या		
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक)	योग
1	छुरिया	449	599	1048
2	अंबागढ़ चौकी	246	524	770
	योग	695	1123	1818

Reethi
अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक लाभान्वित श्रमिकों की योजनावार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

क्र.	योजना क नाम	विकासखण्ड-छुरिया										विकासखण्ड-अंबागढ़ चौकी				महायोग	
		वर्ष, 2021-22		वर्ष, 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी)		योग		वर्ष, 2021-22		वर्ष, 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी 2023 तक)		योग		लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि
		लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	21	2100000	18	1800000	39	3900000	6	600000	0	0	6	600000	45	4500000		
2	भिनीमाता महतारी जतन योजना	327	2190000	644	12760000	971	14950000	42	335000	114	2275000	156	2610000	1127	17560000		
3	मुख्यमंत्री नोनिहाल छात्रवृत्ति योजना	68	120000	178	407000	246	527000	2	4000	8	19000	10	23000	256	550000		
4	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1	5000	3	16000	4	21000	0	0	0	0	0	0	4	21000		
5	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	19	380000	305	6100000	324	6480000	0	0	16	320000	16	320000	340	6800000		
6	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	0	0	16	300000	16	300000	0	0	1	20000	1	20000	17	320000		
7	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	504	5040	2702	27020	3206	32060	87	870	455	4550	542	5420	3748	37480		
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	117	286650	882	2160900	999	2447550	0	0	0	0	0	0	999	2447550		
	योग	1057	5086690	4748	23570920	5805	28657610	137	939870	594	2638550	731	3578420	6536	32236030		

Raathin
 अनुभाग अधिकारी
 क्षम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-स

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक लाभान्वित श्रमिकों की योजनावार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

क्र.	मंडल का नाम	विकासखण्ड-छुरिया						विकासखण्ड-अंबागढ़ चौकी						महायोग			
		वर्ष, 2021-22		वर्ष, 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी 2023 तक)		योग		वर्ष, 2021-22		वर्ष, 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी)		योग					
		लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित असंगठित कर्मकारों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	1057	5086690	4748	23570920	5805	28657610	137	939870	594	2638550	731	3578420	6536	32236030		
2	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	179	7830750	290	6183750	469	14014500	93	6420000	127	2797000	220	9217000	689	23231500		
	योग	1236	12917440	5038	29754670	6274	42672110	230	7359870	721	5435550	951	12795420	7225	55467530		

Geetha

अनुभाग अधिकारी
भ्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर


परोशेष्ट - इन्क्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1787) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर संभाग अन्तर्गत बनाये गये बीपीएल राशनकार्ड की जानकारी

क्र	जिला	वित्तीय वर्ष		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	बस्तर	7877	1219	1518
2	बीजापुर	6545	4833	2706
3	दत्तेवाडा	2424	1969	2428
4	कांकेर	836	1203	5040
5	कोण्डागाव	836	2401	5687
6	नारायणपुर	1059	687	848
7	सुकमा	5728	5889	2588


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1788) की जानकारी

प्रपत्र - अ

श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी।

(1) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल -

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
4	मिनीमाता महतारी जतन योजना
5	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
6	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
7	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
8	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
9	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना
10	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना
11	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
12	श्रम मित्र योजना
13	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
14	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
15	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
16	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
17	विशेष शिक्षा सहायता योजना
18	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना
19	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
20	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
21	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
23	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
24	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
25	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
26	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
27	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना

(2) छठगठ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल -

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
7	ई-रिक्शा सहायता योजना
8	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
9	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
10	ई-टैला सहायता योजना
11	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
12	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
13	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
14	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
15	स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना
16	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
17	अटल पेंशन योजना
18	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
19	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
20	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
21	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
22	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
23	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
24	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
25	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
26	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
27	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
28	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
29	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
30	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
31	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमालतथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
32	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

(3) छठवां श्रम कल्याण मंडल -

क्र.	योजना का नाम
1	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
2	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
3	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
4	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
10	सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
13	खेल-कूद प्रोत्साहन योजना

Prathin
 अनुभाग अधिकारी
 श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - ब


श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों द्वारा बस्तर संभागांतर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से 28 फरवरी 2023 तक श्रमिक पंजीयन की मंडलवार, वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी।

01. छ0ग0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल -

क्र0	जिले का नाम	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या		योग
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक)	
1	बस्तर	2092	2027	4119
2	कांकेर	1908	3446	5354
3	कोण्डागांव	664	3215	3879
4	दंतेवाड़ा	1714	1223	2937
5	नारायणपुर	1735	3496	5231
6	बीजापुर	141	1842	1983
7	सुकमा	1096	591	1687
	योग	9350	15840	25190

02. छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल -

क्र0	जिले का नाम	पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संख्या		योग
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक)	
1	बस्तर	596	681	1277
2	कोण्डागांव	1064	1465	2529
3	नारायणपुर	34	57	91
4	सुकमा	349	208	557
5	बीजापुर	48	329	377
6	दंतेवाड़ा	1290	2422	3712
7	कांकेर	454	1371	1825
	योग	3835	6533	10368


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

03. छठगठ श्रम कल्याण मंडल -

क्र०	जिले का नाम	पंजीकृत संगठित श्रमिकों की संख्या		योग
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक)	
1	बस्तर	215	148	363
2	सुकमा	8	0	8
3	कांकेर	30	0	30
4	दंतेवाड़ा	5	0	5
5	कोण्डागांव	56	77	133
6	बीजापुर	0	0	0
7	नारायणपुर	0	0	0
	योग	314	225	539

Deethi
अनुमान अधिकारी
श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1789) की जानकारी

"प्रपत्र"

मर्ग जांच पर से पंजीबद्ध अपराध की जानकारी (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)
न्यायालय पेश प्रकरण

क्र०	थाना	मर्ग क्रमांक	अपराध क्रमांक व धारा	न्यायालय पेश दिनांक
1.	राजिम	20/2021	अप. क्र. 120/21 धारा 279,337,304 ए भादवि	19.08.21
2.		23/21	अप. क्र. 119/21 धारा 279,337,304 ए भादवि	28.09.21
3.		29/2021	अप. क्र. 124/21 धारा 279,337 भादवि	17.08.21
4.		44/21	अपराध क्रमांक 194/21 धारा 302,307,34 भादवि	21.10.21
5.		48/21	अप.क्र. 296/21 धारा 279,337,304 ए भादवि	17.12.21
6.		55/21	अपराध क्रमांक 323/21 धारा 302,201,34 भादवि	10.01.2022
7.		56/2021	अपराध क्रमांक 276/21 धारा 307,302 भादवि	10.01.22
8.	फिरोश्वर	29/21	82/21 धारा 304(ए) भादवि	06.07.21
9.		40/21	103/21 धारा 283, 304(ए) भादवि, 146/196 मो.व्ही. एक्ट	23.12.21
10.		43/21	111/21 धारा 304(ए) भादवि	24.07.21
11.		51/21	149/21 धारा 304(ए) भादवि	17.08.21
12.		55/21	165/21 धारा 279, 337, 304 (ए) भादवि	16.09.21
13.		60/21	191/21 धारा 302, 294, 34 भादवि	09.11.21
14.		61/21	192/21 धारा 302 भादवि	09.11.21
15.		64/21	219/21 धारा 279, 337, 304(ए) भादवि	26.10.21
16.		65/21	225/21 धारा 279, 337, 338, 304(ए) भादवि	09.12.21
17.		68/21	257/21 धारा 279, 337, 304(ए) भादवि	09.12.21
18.		69/21	266/21 धारा 302 भादवि, 3(2) v क एसटी/एससी एक्ट	27.01.22
19.		75/21	292/21 धारा 279, 337, 304 (ए) भादवि	25.03.22
20.		04/22	34/22 धारा 302, 201 भादवि।	02.05.22
21.	छुरा	25/21	58/2021 धारा 279,337,304ए भादवि0	12.08.2021
22.		27/21	33/2021 धारा 279, 337 भादवि0	14.07.2021
23.		31/21	61/2021 धारा 304 ए भादवि	16.07.2021
24.		34/21	73/2021 धारा 304बी, 201, 34 भादवि0	15.07.2021
25.		39/21	82/2021 धारा 304 ए भादवि0	07.09.2021
26.		40/21	2021 धारा 279, 337,304 ए भादवि0	23.08.2021
27.		44/21	91/2021 धारा 302, 506बी भादवि0	03.09.2021
28.		50/21	116/2021 धारा 279, 337, 304 ए भादवि0	18.11.2021
29.		59/21	2021 धारा 279, 337, 304 ए भादवि0	20.12.2021
30.		62/21	112/2021 धारा 279, 337 भादवि0	20.12.2021
31.		70/21	162/2021 धारा 279, 337, 304 ए भादवि0	23.12.2021
32.		72/21	173/2021 धारा 279, 337, 304ए भादवि	15.01.2022
33.		82/21	185/2021 धारा 279, 304 ए भादवि0	19.01.2022
34.		85/21	187/2021 धारा 304 ए	28.09.2022
35.	पाण्डुका	10/21	38/21 धारा 304,34 भादवि विद्युत अधिनियम की धारा 135	23.06.21
36.		14/21	52/21 धारा 279,337 भादवि जोड़ने धारा 304 ए भादवि	06.08.21
37.		15/21	. 53/21 धारा 279,337,338 304 ए भादवि	24.03.22
38.		16/21	53/21 धारा 279,337,338 304 ए	24.03.22
39.		17/21	53/21 धारा 279,337,338 304 ए	24.03.22
40.		18/21	53/21 धारा 279,337,338 304 ए	24.03.22
41.		19/21	53/21 धारा 279,337,338 304 ए	24.03.22

42.		21/21	55/21 धारा 304 "ए" भादवि	23.07.21
43.		24/21	61/21 धारा 304(ए) भादवि	02.12.21
44.		26/21	68/21 धारा 304(ए) भादवि	11.11.21
45.		32/21	96/21 धारा 304 ए भादवि	23.12.21
46.		33/21	105/21 धारा 304(ए) भादवि	23.12.21
47.		38/21	120/21 धारा 304(ए) भादवि	01.01.22
48.		02/22	02/22 धारा 304(ए) भादवि	15.03.22
49.		06/22	08/22 धारा 279, 337, 304(ए) भादवि	07.05.22
50.		12/22	31/22 धारा 304(ए) भादवि	28.03.22
51.		15/22	10/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	14.06.22
52.	गरियाबंद	27/21	अप क 159/21 धारा 452, 302,294, 323, 506(बी) भादवि	03.08.21
53.		45/21	अप क 244/21 धारा 279, 304ए भादवि.	03.02.22
54.		68/21	अप क 327/21 धारा 279, 337, 304ए भादवि	16.06.22
55.		69/21	अप क 327/21 धारा 279, 337, 304ए भादवि	16.06.22
56.		70/21	अप क 327/21 धारा 279, 337, 304ए भादवि	16.06.22
57. e	मैनपुर	16/21	34/2021 धारा 279,337,304 ए भादवि	22.03.22
58.		23/21	44/2021 धारा 279,337,304 ए भादवि	26.08.21
59.		25/21	43/21 धारा 302,34,201 भादवि	24.09.21
60.		39/21	76/21 धारा 304 ए भादवि	10.02.22
61.		45/21	83/21 धारा 302 भादवि	11.02.22
62.		47/21	86/21 धारा 304 ए भादवि	23.03.22
63.		02/22	10/22 धारा 279,337,304 ए भादवि	09.05.22
64.		06/22	28/22 धारा 302,201,34 भादवि	30.05.22
65.		07/22	30/22 धारा 302,201 भादवि	06.05.22
66.	जुगाड़	07/21	05/21 धारा 279, 337, 304(ए) भादवि0	17.09.2021
67.		11/21	17/21 धारा 302 भादवि0	03.01.2022
68.	इंदागांव	10/21	17/21 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	21.03.22
69.		01/22	अप.क. 06/22 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	08.06.22
70.		02/22	अप.क. 08/22 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	17.08.22
71.	देवभोग	20/21	119/21 धारा 306 भादवि	27.07.2021
72.		37/21	221/21 धारा 304-ए भादवि	28.10.2021
73.		38/21	221/21 धारा 304-ए भादवि	28.10.2021
74.		53/2021	350/2021 धारा 279,337,304-ए भादवि	25.01.2022
75.		06/2022	30/2022 धारा 304-ए भादवि	10.06.2022
76.		08/2022	39/2022 धारा 279,337 भादवि	16.12.2022
77.		09/22	52/2022 धारा 279,337 304-ए भादवि	08.02.2023
78.		11/22	62/2022 धारा 279,337,304-ए भादवि	06.07.2022
79.	अमलीपदर	02/2022	10/2022 धारा 306, 34 भादवि0।	04.05.2022
80.		06/2022 व 07/2022 धारा	22/2022 धारा 304 ए भादवि0।	02.06.2022

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

01 अप्रैल 2022 से 15 फरवरी 2023 तक)

क्र०	थाना	मर्ग क्रमांक	अपराध क्रमांक व धारा	न्यायालय पेश दिनांक	
1.	राजिम	20/22	अपराध क्रमांक 170/22 धारा 304 ए भादवि	20.05.22	
2.		22/22	अपराध क्रमांक 197/22 धारा 304 ए भादवि	21.09.22	
3.		24/22	अपराध क्रमांक 347/21 धारा 279,337, 304 ए भादवि	28.06.22	
4.		49/22	अपराध क्रमांक 372/22 धारा 304 ए भादवि	12.12.22	
5.		51/22	अपराध क्रमांक 418/22 धारा 304 भादवि	29.12.22	
6.		54/22	अपराध क्रमांक 269/22 धारा 279,337,304 ए भादवि में	23.12.22	
7.	फिरोश्वर	11/22	87/22 धारा 363, भादवि 306 भादवि 4 पाकसी एक्ट	14.06.22	
8.		12/22	89/22 धारा 302, 201 भादवि।	24.06.22	
9.		09/22	129/22 धारा 279, 337 304 ए 338 भादवि	30.05.22	
10.		18/22	131/22 धारा 304 (ए) भादवि	14.06.22	
11.		27/22	189/22 धारा 279, 337, 304 (ए) भादवि	20.12.22	
12.		34/22	194/22 धारा 279, 337,304 (ए) भादवि	20.09.22	
13.		29/22	221/22 धारा 304 ए भादवि	30.12.22	
14.		42/22	271/22 धारा 304 ए भादवि	13.10.22	
15.		37/22	285/22 धारा 304 (ए) भादवि	24.11.22	
16.		39/22	286/22 धारा 304 (ए) भादवि	22.12.22	
17.		59/22	348/22 धारा 304 (ए) भादवि	29.12.22	
18.		01/23	08/23 धारा 306 भादवि, 3(2) (ढ) एससी एसटी एक्ट	23.02.23	
19.		छुरा	16/22	63/2022 304 ए, 283 भादवि0	22.03.2022
20.			25/22	187/2021 धारा 304 ए	28.09.2022
21.			27/22	97/2022 धारा 304 ए भादवि0	20.09.2022
22.			32/22	80/2022 धारा 304 ए भादवि0	07.09.2022
23.			40/22	18/2022 धारा 279, 337 भादवि0	16.11.2022
24.			42/22	99/2022 धारा 279, 337, 304 ए भादवि0	19.09.2022
25.	51/22		128/2022 धारा 279,337,304 ए भादवि0	26.11.2022	
26.	56/22		150/2022 धारा 304ए भादवि	02.11.2022	
27.	58/22		161/2022 धारा 302, 201 भादवि	20.01.2023	
28.	63/22		189/2022 धारा 279, 337, 304 ए भादवि0	24.12.2022	
29.	64/22		176/2022 धारा 302 भादवि0	13.02.2022	
30.	65/22		185/2022 धारा 304 ए भादवि0	27.02.2023	
31.	69/22		193/2022 धारा 304 ए भादवि0	08.02.2023	
32.	70/22		193/2022 धारा 304 ए भादवि0	08.02.2023	
33.	पाण्डुका	17/22	44/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	21.06.22	
34.		22/22	56/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	31.10.22	
35.		26/22	63/22 धारा 304(ए) भादवि	14.06.22	
36.		29/22	80/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	12.12.22	
37.		30/22	80/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	12.12.22	
38.		31/22	90/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	27.10.22	
39.		33/22	56/22 धारा 279,337,304(ए) भादवि	31.01.22	
40.	गरियाबंद	27/22	अप.क्रमांक 103/22 धारा 279,337,304 ए भादवि	27.05.22	
41.		38/22	अप.क्रमांक 159/22 धारा 279, 304 ए भादवि	03.12.22	
42.		39/22	अप.क्रमांक 161/22 धारा 302 भादवि	26.09.22	
43.		42/22	अप.क्रमांक 170/22 धारा 279,304 ए भादवि	07.09.22	
44.		48/22	अप.क्रमांक 213/22 धारा 302 भादवि	20.10.22	
45.		52/22	अप.क्रमांक 233/22 धारा 279,337,304 ए भादवि	29.11.22	

46.		58/22	अप.क्रमांक 255/22 धारा ,304 ए भादवि	23.10.22
47.		59/22	अप.क्रमांक 261/22 धारा 306 भादवि	13.12.22
48.		68/22	अप.क्रमांक 262/22 धारा 279,337,304 ए भादवि	13.12.22
49.		78/22	अप.क्रमांक 343/22 धारा 302 भादवि	28.02.23
50.		07/23	अप क 34/22 धारा 304ए भादवि	09.02.23
51.		10/23	अप क 17/23 धारा 304ए भादवि.	24.02.23
52.	मैनपुर	15/22	42/22 धारा 279,337,304 ए भादवि	27.06.22
53.		24/22	75/22 धारा 304,ए भादवि 135 विद्युत अधिनियम	15.12.22
54.		47/22	87/22 धारा 304ए भादवि	19.12.22
55.		50/22	124/22 धारा 304ए भादवि	28.11.22
56.		53/22	113/22 धारा 302,34 भादवि	09.01.23
57.	जुगाड़	03/22	06/22 धारा 279, 337, 304(ए) भादवि0	09.12.2022
58.	इंदागांव	06/22	अप.क्र. 17/22 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	20.12.22
59.		08/22	अप.क्र. 17/22 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	20.12.22
60.		13/22	अप.क्र. 33/22 धारा 279, 337, 304ए भादवि0	09.02.22
61.	देवभोग	16/2022	112/2022 धारा 304-ए भादवि	29.09.2022
62.		43/2022	361/2022 धारा 304-ए भादवि	16.12.2022
63.		48/2022	387/2022 धारा 376(2) (ढ) भादवि	18.01.2023
64.	अमलीपदर	08/2022	33/2022 धारा 302 भादवि0।	02.08.2022
65.		09/2022	32/2022 धारा 279, 337, 338 भादवि जोडने धारा 304 ए भादवि0।	25.06.2022
66.		17/2022	53/2022 धारा 302 भादवि0।	24.11.2022


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1790) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

क्र	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	निविदा क्र. (01) प्रचार हेतु इको फ्रेडली फ्रेब्रीक मीडिया में मल्टीकलर प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, पास, आईडी कार्ड, प्रशस्ति पत्र, स्टीकर आदि कागज सहित मुद्रण कार्य।	संबंधित फर्म / व्यक्तियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रदवार व्यय राशि निरंक है।
	निविदा क्र. (01) पाम्पलेट, पोस्टर-कागज सहित मुद्रण कार्य, विविध ध्वज/तोरण निर्माण कार्य हेतु कार्य।	
2	निविदा क्र. 02 टी शर्ट, गमछा, कैप (मोनो प्रिंटिंग सहित) कार्य।	
3	निविदा क्र. 03 विडियो शूटिंग व प्रसारण स्थानीय केबल/केबल नेटवर्क में सीधा प्रसारण (Live Telicast) एवं सोशल मीडिया जैसे Facebook/ Twitter/ youtube/ Instagarm में प्रसारण कार्य हेतु कार्य।	
	निविदा क्र. 03 फोटोग्राफी एवं एलबम कार्य हेतु कार्य।	
	निविदा क्र. 03 एल.ई.डी स्क्रीन लगाकर प्रचार- प्रसार कार्य हेतु कार्य।	
4	निविदा क्र. 04 मीडिया सेंटर की स्थापना एवं संचालन-समाचार फोटो/वीडियो का प्रसारण कार्य (प्रिंट, ईलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया) मीडिया कर्मियों के लिए बैठक व्यवस्था हेतु कार्य।	
5	निविदा क्र. 05 हल्के वाहन- सुमो, तवेरा, स्कार्पियो मिनीबस, बस, मेटाडोर ट्रक उपलब्ध कराने का कार्य।	
6	निविदा क्र. 06 फूल, माला, बुके आपूर्ति कार्य का कार्य।	
7	निविदा क्र. 07 पर्व स्नान एवं शोभायात्रा हेतु रथ एवं झांकियां प्रदत्त आपूर्ति कार्य का कार्य।	
8	निविदा क्र. 08 सुरक्षाकर्मी व्यवस्था हेतु योग्य कर्मचारी/गार्ड उपलब्ध आपूर्ति कार्य का कार्य।	
9	निविदा क्र. 09 साफ-सफाई हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु कार्य।	
10	निविदा क्र. 10 संत महात्माओं के भोजन निर्माण हेतु कारीगर उपलब्ध आदि कार्य स्वाल्पाहार परोसने का कार्य हेतु वेटर उपलब्ध कराने हेतु कार्य।	
11	निविदा क्र. 11 अधिकारी/कर्मचारियों एवं कलाकारों को भोजन व्यवस्था प्रति थाली (सामग्री कारीगर एवं वेटर सहित) आपूर्ति कार्य का कार्य।	
12	निविदा क्र. 12 मिनरल/RO वाटर व्यवस्था का कार्य।	
13	निविदा क्र. 13 दूध, दही प्रदाय कार्य का कार्य।	
	निविदा क्र. 13 सब्जी प्रदाय का कार्य।	
	निविदा क्र. 13 फल प्रदाय कार्य का कार्य।	
14	निविदा क्र. 14 अनाज आपूर्ति किराना एवं जनरल सामग्री प्रदाय हेतु कार्य।	
	निविदा क्र. 14 यज्ञ सामग्री प्रदाय हेतु कार्य।	

15	निविदा क्र. 01 अस्थाई विद्युत व्यवस्था मुख्य मंच, सूचना केन्द्र व जुड़े हुए कार्यालयों के कक्ष एवं मंच के आसपास मुख्य मार्ग खुले मैदानों के आसपास विद्युत व्यवस्था स्ट्रीट लाईट, टावरलाईट, फोकस एवं संत समागम क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पंखे कुलर लाईट आदि कार्य का कार्य।	संबंधित फर्म / व्यक्तियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रदवार व्यय राशि निरंक है।
16	02 मुख्य मंच, सांस्कृतिक मंच एवं महानदी आरती स्थल पर डेकोरेटिव लाईट इफेक्ट एवं अन्य विद्युत आइटम लगाने का कार्य का कार्य।	
17	निविदा क्र. 03 अस्थाई माईक व्यवस्था मुख्य मंच, सूचना केन्द्र व जुड़े हुए कार्यालयों के कक्ष एवं मंच के आसपास मुख्य मार्ग खुले मैदानों के आसपास हेतु कार्य।	
18	निविदा क्र. 04 अस्थाई सी.सी.टी.वी. कैमरा व्यवस्था मुख्य मंच, सूचना केन्द्र व जुड़े हुए कार्यालयों के कक्ष एवं मंच के आसपास मुख्य मार्ग खुले मैदानों के आसपास हेतु कार्य।	
19	05 विभिन्न स्थानों पर अस्थाई फेंसी लाईटिंग स्वागत द्वार (कलकत्ता पैटर्न) लगाने का कार्य का कार्य।	

for अरमान अहमद
16/3/23
अरमान अहमद
अरमान अहमद

प्रपत्र- "ख"

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक मई, 2022

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022)" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 50,000 (पचास हजार) से अधिक की न हो।"

(दो) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 50,001 से 3,00,000 (रुपए पचास हजार एक से रुपए से तीन लाख) तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

परंतु, वे परिशिष्ट-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर/उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय वें लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।"

(तीन) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदाएँ बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य. -

- (1) रू. 3,00,001 से 5.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।
- (2) रू. 5.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।

परन्तु, खुली निविदा पद्धति में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।”

(चार) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.4.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जायेगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहाँ तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।”

(पांच) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	15	10	5
खुली निविदा (रू. 3,00,001 से अधिक रू. 10 लाख तक)	21	14	7
खुली निविदा (रू. 10 लाख से अधिक)	30	20	10
ग्लोबल निविदा	45	30	20

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञापित प्रकाशन की तिथि से होगी।

(छ) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.6.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी व्यवस्था-

- (अ) निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ब) एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जाएगा।
- (स) अमानत राशि (ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
- (द) ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑन-लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- (सात) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
- अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी निर्देश -**
- (अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त की जाये। यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 1.5 दिवस में वापस लौटा दी जाए।
- (ब) प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाये।
- (स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।
- (आठ) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 के पश्चात नवीन उपनियम 4.7.1 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-
- सुरक्षा निधि प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश-**
- निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये।
- (नौ) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
- सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) के प्रकार-**
- (अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- (ब) निविदाकार को सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेख शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान व मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

“8443 - सिविल जमा राशियां

103 - प्रतिभूति जमा”

- (स) निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनूसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।
- (दस) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
- क्रय की शर्तें-**
- (अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो।
- (ब) राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने।
- (स) निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावे।
- (द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहाँ आवश्यक हो लिया जावे।
- (ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा।
- (फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ज) क्रयकर्ता अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है।
- (ह) निविदा प्रपत्र में प्रदायक / विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टतः उल्लेखित किया जावे।
- (ग्यारह) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.14 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना -

किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट-2 की वस्तु होने की स्थिति में “छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड” द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो।

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/"छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6(छः) माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

किन्तु, दर अनुबंध के 1(एक) वर्ष + छः माह से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।

(बारह) उक्त अधिसूचना के नियम-5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें एवं वाहन की दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो, हेतु विभाग द्वारा ऐसे वस्तुओं जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी जेम वेबसाइट (GeM Website) में उपलब्ध हो, का क्रय आवश्यकतानुसार जेम वेबसाइट (GeM Website)से सीधे क्रय कर सकेगा। किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेबसाइट से संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

(तिरह) उक्त अधिसूचना के नियम-5 के उपनियम 5.1 - विलोपित

(चौदह) उक्त अधिसूचना के नियम-7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण, परिशिष्ट-1 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" व परिशिष्ट-2 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

(पंद्रह) उक्त अधिसूचना के नियम-7 के उपनियम 7.5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 व छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।

(सोलह) उक्त अधिसूचना के नियम-12 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना :-

वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा किये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंध की जांच करें अतः रूपए तीन लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।

(सत्रह) उक्त अधिसूचना के नियम-15 - विलोपित

(अट्खरह) उक्त अधिसूचना के नियम-15 के उपनियम 15.4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

जिन वस्तुओं की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जावे।

(उन्नीस) उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता. —

(मनोज कुमार पिगुआ)


प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठ. क्र. एफ 20-70/2004/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09 मई, 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय (छ0ग0) रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्नेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध कराये।
6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग